वार्षिक रिपोर्ट
2021-22

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

निदेशक-मंडल

प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशकगण

श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (13 दिसम्बर, 2021 तक)
श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त)/अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

अंशकालिक पदाधिकारी/सरकारी निदेशकगण

श्री एम सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव, उद्यम नीति एवं विधिक (ईपीएल) (28 मार्च, 2022 से)
श्रीमती जी. जयंती, संयुक्त सचिव (वित्त)

स्वतंत्र निदेशकगण

श्री पी.एस. राघवन
डॉ. अजीत टी कलघाटगी
श्री कमल बाली

इसरो नामित निदेशकगण

श्री शांतनु भाटवडेकर (28 मार्च, 2022 से)

सांविधिक लेखापरीक्षक

मेसर्स एसपीआर एवं कं.
सनदी लेखाकार
पंचम् तल, अपेक्स प्लाज़ा
नं.3, नुगमबक्कम हाइ रोड
चेन्नई - 600 034

बैंकर

केनरा बैंक
आरएमवी एक्सटेंशन शाखा
बेंगलूरु-560 080

भारतीय स्टेट बैंक
डॉलर कॉलोनी शाखा
बेंगलूरु-560 054

पंजीकृत कार्यालय

कॉर्पोरेट कार्यालय
अंतरिक्ष भवन परिसर
न्यू बी.ई.एल रोड के निकट
बेंगलूरु-560 094

विषयसूची

निदेशकगण की रिपोर्ट	1
स्वतंत्र लेखापरीक्षकों हेतु प्रबंधन का उत्तर	9
कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट	10
वित्त वर्ष 2021-22 हेतु सी.एस.आर. क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट	17
स्वतंत्र लेखापरीक्षक की रिपोर्ट	28
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट 'क'	34
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट 'ख'	39
लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट से संबंधित परिशिष्ट 'ग'	41
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की अभ्युक्ति	42
तुलनपत्र	44
लाभ तथा हानि लेखा	46
नकद प्रवाह विवरणी	47
एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी	49
वित्तीय विवरणी के नोट	50
वित्तीय विवरणी के भाग के रूप में अन्य नोट	91

निदेशकगण की रिपोर्ट

आपके निदेशकगण 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए लेखा के लेखापरीक्षित विवरण, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (सी.ए.जी) की टिप्पणी सहित तीसवीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत कर प्रसन्नता का अनुभव कर रहे हैं।

कार्य निष्पादन संबंधी प्रमुख विशेषताएँ

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, कंपनी का व्यापार पिछले वर्ष के ₹ 65,438.12 लाख की तुलना में ₹18,164.62 लाख था। पिछले वर्ष के ₹ 5,571.12 लाख की तुलना में करोपरान्त लाभ ₹ 2,495.75 लाख है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में आपकी कंपनी अंतरिक्ष तकनीक को वाणिज्यिक उपयोग में लाती रही है जिसके परिणामस्वरूप भारतीय ग्राहक नवोन्नत मनोरंजन, प्रौद्योगिकी तथा अन्य उपयोगों का आनन्द उठा रहे हैं। आपकी कंपनी, इसरो की अंतरिक्ष क्षमताओं का अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों के साथ विपणन भी कर रही है।

उपग्रह संचार प्रेषानुकर सेवाएँ

भौगोलिक रूप से फैले हुए भारत जैसे देश के सुदूर और दुर्गम क्षेत्रों में उपग्रह संचार व्यवस्था से प्रसारण प्रदान किया जा सकता है| उपग्रह प्रौद्योगिकी के अनोखेपन और लाभ का कोई विकल्प नहीं है| यह निर्णायक राष्ट्रव्यापी संचार संरचना की अभिवृद्धि और जहाँ भौतिक प्रसारण या अन्य प्रकार का संयोजन संभव नहीं है, के अंतर की भरपाई के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है| सैटकॉम के अनुप्रयोग जैसे टेलीविजन, डीटीएच, डीएसएनजी,वीसैट टेलीफोनी सेवाएँ, बैकहॉलिंग, गतिशील'ता आदि ने लाखों लोगों के जीवन को प्रभावित किया है|

कोविड महामारी के चलते, इस क्षेत्र में वृद्धि कमोवेश थम-सा गया है| प्रचालनीय चैनलों की संख्या में कमी आई और विज्ञापन से प्राप्त राजस्व में भी भारी गिरावट हुई है| बाज़ार की सुस्त स्थिति के बावजूद, आपकी कंपनी ने एलईओ/एमईओ खंड में अवसर तलाशने के लिए विभिन्न व्यापारिक प्रयास किए हैं| कंपनी ने विभिन्न भारतीय प्रयोक्ताओं के साथ सी बैण्ड पट्टे पर देने के लिए करार तामील किया है| भारत में अपने उपग्रह की सी बैण्ड क्षमता हेतु पुनर्विक्रेता बनने के लिए विदेशि प्रचालकों से कुछ एसी ही बातें चल रही है।

आपकी कंपनी ने अंतरिक्ष खंड प्रभार से व्यापार में हुई भारी कमी को देखा है जिसकारण कंपनी के राजस्व और लाभ पर सीधा प्रभाव पड़ा है| व्यापार अंतरिक्ष खंड प्रभार में कमी की इस प्रवृत्ति के कारण कंपनी के भविष्य के राजस्व और लाभ पर व्यापक प्रभाव पड़ेगा| आपकी कंपनी ने सामरिक प्रयोक्ताओं के लिए अंतरिक्ष आधारित स्वचालित पहचान प्रणाली (ए.आइ.एस) प्रदान करना जारी रखा है| आपकी कंपनी नए सामरिक प्रयोक्ताओं के लिए भी अंतरिक्ष आधारित ए.आइ.एस के आपूर्ति हेतु प्रयास कर रही है|

उपग्रह मिशन सहायक सेवाएँ

आपकी कंपनी विश्व भर में प्रतिष्ठित ग्राहकों को उपग्रह प्रचालन के लिए दूरमिति, अनुवर्तन तथा आदेश (टी.टी.सी), प्रमोचन एवं पूर्व कक्ष चरण (एल.ई.ओ. पी) एवं उपग्रह/प्रमोचन संचालन हेतु अन्य संबंधित सेवाएँ प्रदान करती रही है। एम.सी.एफ एवं इस्ट्रैक के भू-स्टेशन के उपयोग से प्रतिष्ठित अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों को एलईओपी एवं टीटीसी सहायता प्रदान की गई थी |

उपग्रह प्रणाली, नौवहन एवं परीक्षण सेवाएँ

आपकी कंपनी ने भारतीय मौसमविज्ञान विभाग (आइएमडी) के लिए उपग्रह संबंधी आँकड़ा प्रापण एवं प्रसंस्करण प्रणाली को मान्य कर चालू किया है| आपकी कंपनी, देश में नाविक आधारित उपयोग के लिए नाविक सी+ गगन/जीपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक, नाविक मात्र एसपीएस अभिग्राही प्रतिरूपक एवं नाविक मात्र निष्क्रिय एंटिना की आपूर्ति कर अपना पहल जारी रखे हुए है| कंपनी ने मेसर्स एच.ए.एल को परीक्षण सेवाएँ प्रदान करने के लिए एक आदेश प्राप्त किया है|

आपकी कंपनी, उपप्रणाली, उपग्रह प्रणाली एवं परीक्षण सेवाओं की आपूर्ति से जुड़े व्यापार विकास की संभावनाएँ तलाश रही है |

प्रमोचन सेवाएँ एवं अवसंरचना परियोजनाएँ

आपकी कंपनी ने तिरुवनंतपुरम, केरल में विस्तृत अंतरिक्ष पार्क की स्थापना के लिए केरल राज्य

के साथ भागीदार के तौर पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है| भूमि एवं अपेक्षित अवसंरचना की पहचान के लिए परामर्शिता अध्ययन संपन्न किया हुआ है| आपकी कंपनी विस्तृत व्यापारिक वस्तुस्थिति आकलन अध्ययन एवं व्यापक परियोजना रिपोर्ट की तैयारी हेतु उत्तरदायित्व निर्वहन की दिशा में कार्यरत है|

आपकी कंपनी, अंतरिक्ष क्षेत्र में हो रहे विनियमन के परिणामस्वरूप विभिन्न भारतीय कंपनियों एवं नवोदित प्रतिष्ठानों के साथ प्रमोचन/उपग्रह उपप्रणाली की आपूर्ति से जुड़े व्यापार विकास की संभावनाएँ तलाश रही है|

आइआरएस संबंधी क्रियाकलाप

आपकी कंपनी, रिसोर्ससैट-2, कार्टोसैट-2 एस एवं ओशनसैट-2 उपग्रहों से अंतर्राष्ट्रीय ग्राहकों की भू-प्रेक्षण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए भारतीय सुदूर संवेदी (आइआरएस) उपग्रह समूह हेतु, आँकड़ा उत्पादों तथा डाउनलिंक सेवाओं का विपणन करती रही है। वर्ष के दौरान, दो उपग्रहों से एक अंतर्राष्ट्रीय हस्ताक्षर किया है और आइआरएस उत्पादों को अधिक से अधिक लोगों तक पहुँचाने के लिए और प्रचारित करने के लिए पाँच पुन: विक्रेता करार पर अधिक पुन: विक्रेता की तलाश की प्रक्रिया जारी रखे हुए है। इसके अलावा, आपकी कंपनी, वैश्विक एवं भारतीय ग्राहकों के लिए भूस्थानिक एवं संबद्ध सेवाएँ प्रदान करने एवं क्षमता निर्माण पर अपना ध्यान केंद्रित किए हुए है।

विशेष प्रयोक्ताओं को वी.एच.आर आँकड़े प्रदान करना

आपकी कंपनी, जहाँ घरेलू क्षमता उपलब्ध नहीं है, विदेशी उपग्रह प्रचालकों से सामरिक प्रयोक्ताओं को अति उच्च विभेदन (वी.एच.आर) आँकड़े प्रदान करती रही है| इसके अलावा, आपकी कंपनी सामरिक प्रयोक्ताओं की दीर्घकालीन आवश्यकताओं को पूरा करने पर भी ध्यान दे रही है|

दौरों का विनिमय

समीक्षावधि के दौरान, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि ने व्यापारिक परिचर्चा एवं व्यापारिक संभावनाएँ तलाशने हेतु एन्ट्रिक्स का दौरा किया| कोविड-19 से संबंधित यात्रा-प्रतिबंध के चलते अधिकांश व्यापारिक परिचर्चाएँ और बैठकें ऑनलाइन आयोजित की गईं|

लाभांश

आपकी कंपनी, केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यम (सीपीएसई) होने के नाते, पूँजी पुनर्रचना हेतु निवेश एवं सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआइपीएएम) के पत्रांक 5/2/2016 दिनांक

वित्तीय परिणाम

वित्तीय परिणाम	31.03.22 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)	31.03.21 को समाप्त हुए वर्ष के लिए (₹ लाख में)
कुल आय	23,244.49	70,958.20
कुल व्यय	19,473.66	63,060.12
मूल्यह्रास एवं कर पश्चात् लाभ	**3,770.83**	**7,898.08**
घटाइए: मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय घटाइए: कराधान के लिए प्रावधान घटाइए: आस्थगित कर	146.55 1,075.20 53.33	175.61 2,080.56 70.79
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	**2,495.75**	**5,571.12**
अन्य व्यापक आय/(हानि)	9.42	3.46
कुल व्यापक आय	**2,505.17**	**5,574.58**
पुनर्वियोजन हेतु उपलब्ध लाभ	**2,505.17**	**5,574.58**

27 मई, 2016 द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुसरण करती है । दिशानिर्देश यह इंगित करते हैं कि प्रत्येक सीपीएसई अपने करोपरान्त लाभ का कम-से-कम 30% या कुल संपत्ति का 5%, जो भी वर्तमान कानूनी प्रावधानों के तहत महत्तम लाभांश हो, वार्षिक लाभांश के तौर पर भुगतान करेगा।

वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के दिनांक 27 मई, 2016 के कार्यालय ज्ञापन सं एफ/5/2/2015-नीति के अनुरूप, आपके निदेशकगण ₹ 680 लाख के प्रदत्त एक्विटी शेयर पूँजी पर ₹ 7,570.00 लाख (विगत वर्ष ₹ 7850.00 लाख) लाभांश के तौर पर दिए जाने का अनुमोदन करते हैं। यह 31 मार्च, 2022 को समाप्त हो चुके वर्ष के लिए 303% करोपरान्त लाभ इंगित करता है|

रिज़र्व में स्थानांतरित

वर्ष के दौरान, कंपनी, सामान्य रिज़र्व में कोई भी धनराशि रखने का प्रस्ताव नहीं रखती है|

आगामी दृष्टिकोण

एन्ट्रिक्स के व्यापारिक क्रियाकलापों की पुनर्रचना जारी है| उभरते नवोदित प्रतिष्ठानों एवं अंतरिक्ष के वाणिज्यिक व्यापार के विकेंद्रीकरण के चलते विभिन्न नए अवसर संभावित हैं| सैटकॉम के लिए, टी.वी एवं डी.एस.एन.जी हेतु सी बैण्ड क्षमता का प्रावधान एक खुला बाज़ार प्रदान करता है और एन्ट्रिक्स, विदेशी सेवा प्रदाता के साथ सहयोग करके भारतीय प्रयोक्ताओं के लिए भारत में उनकी सी बैण्ड क्षमता के विपणन और पुनर्विक्रय की कोशिश कर रहा है|

कंपनी ने विदेशी ए.आइ.एस प्रचालकों से ए.आइ.एस आँकड़ों की आपूर्ति एवं विभिन्न सामरिक प्रयोक्ताओ की सेवा कर अच्छी प्रगति की है| सैटकॉम एवं ईओ आँकड़ा-क्षेत्र में विभिन्न रोचक अवसर प्राप्त हो रहे हैं और अंतरिक्ष विभाग के सहयोग और स्वीकृति से एन्ट्रिक्स इस अवसर का लाभ उठाने की पुरज़ोर कोशिश कर रहा है|

एन्ट्रिक्स की प्रमुख क्षमता रक्षा-क्षेत्र में निहित है-जहाँ सामरिक प्रयोक्ताओं के लिए नवोन्नत, आद्योपांत आँकड़े एवं उत्पाद समाधान प्रदान करने के लिए कंपनी के अनुभव का उपयोग किया जा सकता है| रक्षा-क्षेत्र में अंतरिक्ष सेवाओं में भलीभाँति वृद्धि हो रही है| रक्षा-क्षेत्र में अपने व्यापार को बढ़ाने हेतु अंतरिक्ष की योजना पर विचार-विमर्श चल रहा है|

कंपनी सारे घटनाक्रम पर नज़र गड़ाए हुए है और मौज़ूदा बाज़ार में अपनी पैठ बनाने के लिए प्रतीक्षित है ताकि एक नए व्यापारिक क्षेत्र की ओर रुख किया जाए और कंपनी के लिए एक राजस्व-स्रोत विकसित की जाए|

निदेशकगण

यह कंपनी, भारत सरकार की है| इसकारण, प्रशासनिक मंत्रालय के माध्यम से भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी निदेशकों की नियुक्ति/पुनर्नियुक्ति करते हैं|

आपकी कंपनी के मंडल में सात(7) निदेशकगण हैं अर्थात् एक(1) प्रकार्यात्मक निदेशक, दो(2) सरकार द्वारा नामित निदेशकगण, एक(1) ग़ैर-सरकारी अंशकालिक (इसरो नामित) निदेशक एवं तीन(3) ग़ैर-सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकगण, सभी भिन्न-भिन्न क्षेत्रों के विशद् अनुभव वाली नामी-गिरामी हस्तियाँ हैं|

श्री राकेश शशिभूषण, 13 दिसम्बर, 2021 से कंपनी के अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के पद से मुक्त हो चुके हैं| आपके निदेशकगण, श्री राकेश शशिभूषण द्वारा अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक के तौर पर दी गई बहुमूल्य सेवाओं करने के लिए इनकी भूरि-भूरि प्रशंसा करते हैं|

श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) को श्री राकेश शशिभूषण के स्थान पर अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) के तौर पर नियुक्त किया गया है|

श्री एम. सुब्रमण्यण, संयुक्त सचिव, (उद्यम, नीति एवं विधिक), अंतरिक्ष विभाग, को 28 मार्च, 2022 से सरकारी नामित निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है| श्री शांतनु भाटवडेकर, वैज्ञानिक सचिव, इसरो को 28 मार्च, 2022 से इसरो द्वारा नामित निदेशक के तौर पर नियुक्त किया गया है|

निदेशकों के उत्तरदायित्व का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134(5) के अंतर्गत आवश्यकता के अनुसरण में, निदेशकमंडल, अपने उत्तम ज्ञान और योग्यता के आधार पर यह पुष्ट करते हैं कि:

i. वार्षिक लेखा की तैयारी में तात्विक विचलन के संबंध में समुचित स्पष्टीकरण सहित लागू लेखा

मानकों का अनुपालन किया गया है;

ii. निदेशकों ने ऐसी लेखाविधि नीतियों का चयन किया है तथा उनको एकरूपता से लागू किया है और निर्णय लिए हैं एवं आकलन किए हैं जो उपयुक्त एवं विवेकपूर्ण थे ताकि वित्तीय वर्ष अर्थात् 31 मार्च, 2022 के अंत में कंपनी से संबंधित मामले की स्थिति तथा उस तिथि को समाप्त हो रहे वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि के बारे में कंपनी की सच्ची और सही स्थिति प्रस्तुत की जा सके |

iii. निदेशकों ने कंपनी की परिसंपत्तियों की सुरक्षा करने तथा अन्य अनियमितताओं को रोकने और बेईमानी का पता लगाने हेतु कंपनी अधिनियम, 2013, समय-समय पर यथासंशोधित, के प्रावधानों के अनुसार लेखा संबंधी अभिलेखों के पर्याप्त अनुरक्षण हेतु समुचित एवं पर्याप्त सावधानी बरती है;

iv. निदेशकों ने "जारी व्यापार" के आधार पर 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के लिए वार्षिक लेखा तैयार किए हैं;

v. निदेशकों ने लागू होने वाले सभी कानूनों के प्रावधानों के अनुपालन को सुनिश्चित करने के लिए उपयुक्त प्रणाली की संरचना की है और ऐसी प्रणालियाँ पर्याप्त रही हैं और प्रभावशाली ढंग से काम कर रही हैं |

कॉर्पोरेट शासन

कॉर्पोरेट शासन संहिता पर कंपनी की स्थितिप्रज्ञता

सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा समय-समय पर जारी

दिशानिर्देशों का अनुसरण और अच्छे कॉर्पोरेट शासन हेतु समकालीन माँग के साथ कंपनी के प्रत्येक निर्णय में कॉर्पोरेट शासन के मूलभूत सिद्धांत और दर्शन का अक्षरश: पालन किया जाता है| कंपनी में, बोर्ड के सभी सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन हेतु व्यापार आचार संहिता और नैतिकता लागू की गई हैं| वार्षिक आधार पर सभी संबंधित सदस्यों द्वारा संहिता का अनुपालन सुनिश्चित किया गया है| मुख्य कार्यकारी द्वारा इस बाबत की गई घोषणा इस रिपोर्ट का हिस्सा है| कॉर्पोरेट शासन पर विस्तृत रिपोर्ट इस रिपोर्ट का हिस्सा है| सी.पी.एस.ई के पुनरीक्षित वर्गीकरण मानक के अनुरूप डी.पी.ई द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन के मामले में आपकी कंपनी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए 100% अंक के साथ "उत्कृष्ट" श्रेणी मिलने के आसार हैं|

प्रशिक्षण एवं अभिवृद्धि

वर्ष के दौरान, कार्मिकों को ऑफलाइन एवं ऑनलाइन प्रशिक्षण प्रदान किया गया है जिससे उनकी प्रतिभा परिमार्जित होगी एवं उनकी जीवन-वृत्ति में प्रगति हो सकेगी|

संबंधित पक्ष अंतरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी इण्ड ए.एस-24 के अनुरूप संबंधित पक्ष अंतरण का प्रकटीकरण वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखा के भाग के रूप में नोट की नोट सं. 35 के तौर पर संलग्न है| संबधित पक्ष अंतरण के अंतर्गत शामिल अंतरण, यदि हुए थे, तो वे निष्पक्ष, पारदर्शी एवं पहुँच के भीतर थे |

संबंधित पक्ष अंतरण

भारतीय सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी इण्ड ए.एस-24 के अनुरूप संबंधित पक्ष अंतरण का प्रकटीकरण वर्ष 2021-22 के वार्षिक लेखा के भाग के रूप में नोट की नोट सं. 35 के तौर पर संलग्न है| संबधित पक्ष अंतरण के अंतर्गत शामिल अंतरण, यदि हुए थे, तो वे निष्पक्ष, पारदर्शी एवं पहुँच के भीतर थे |

सतर्कता प्रक्रिया

मंडल द्वारा अनुमोदित सूचना प्रदाता नीति अपनाई जा रही है| यह कॉर्पोरेट शासन को सबल बनाने के लिए कंपनी द्वारा किए जा रहे उपायों का हिस्सा है|

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एवं उनकी पर्याप्तता

कंपनी ने वित्तीय उपयुक्तता के सभी मापदंडों को पूरा करने के लिए आवश्यक आंतरिक नियंत्रण प्रणाली की स्थापना की है | हम मानते हैं कि आंतरिक नियंत्रण एवं जोखिम प्रबंधन शासन-सिद्धान्त लागू करने के लिए आवश्यक पूर्वापेक्षा है | हमारे पास प्रभावशाली आंतरिक नियंत्रण प्रणाली है जो यह सुनिश्चित करती है कि हमारी सभी परिसंपत्ति नुकसान से सुरक्षित और संरक्षित है|

एक बाह्य लेखापरीक्षक प्रतिष्ठान मेसर्स बालू एवं आनंद, सनदी लेखाकार को, प्रतिवेदन-काल के दौरान, आंतरिक लेखापरीक्षण का कार्य सौंपा गया था| इससे प्रणाली एवं नियंत्रण की पर्याप्तता सुनिश्चित करने में मदद मिली है | उनकी रिपोर्ट की समीक्षा मंडल द्वारा नियुक्त लेखापरीक्षण समिति द्वारा भी की गई है| सुधार-कार्रवाई की पहल के साथ आंतरिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट की परिचर्चा प्रबंधन के साथ हुई है जिसकी मंडल की लेखापरीक्षण समिति ने भी समीक्षा की है | लेखापरीक्षण समिति भी आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता एवं प्रभावोत्पादकता की समीक्षा करती है |

लेखापरीक्षकों ने अपनी रिपोर्ट में प्रतिवेदन-काल के दौरान किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी का उल्लेख नहीं किया है |

मंडल की बैठक की संख्या

विवरण कॉर्पोरेट शासन की रिपोर्ट में दिया गया है |

मंडल-समिति

कंपनी की नीतियों एवं लक्ष्यों का अनुसरण करते हुए इसकी विधिवत् गठित मंडल-स्तरीय उप समितियाँ नियमित रूप से बैठकों में विचार-विमर्श करके कंपनी को मार्गदर्शन प्रदान करती हैं| समिति की बैठकों के विस्तृत विवरण कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट में संलग्न हैं|

मंडल एवं सामान्य बैठकों में सचिवालयीन मानकों का अनुपालन

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 118 (10) की शर्तों के आधार पर, कंपनी, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा वर्णित तथा केंद्र सरकार द्वारा स्वीकृत सचिवालयीन मानक 1 और 2 का क्रमश: मंडल की बैठक तथा सामान्य बैठक के लिए उपयोग करती है। कंपनी ने, भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी किए गए सचिवालयीन मानक 3 को लाभांश के लिए और सचिवालयीन मानक 4 को निदेशक-मंडल की रिपोर्ट के लिए स्वैच्छिक रूप से अपनाया है।

कार्यस्थल पर महिलाओं का लैंगिक उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुनवाई) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत प्रकटीकरण

आपकी कंपनी में, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिग उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुनवाई) अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक शिकायत समिति स्थापित है। कंपनी की आंतरिक शिकायत समिति की नीति, कार्यस्थल पर महिलाओं के लैंगिग उत्पीड़न से बचाव और रोकथाम तथा इसतरह की शिकायत दर्ज़ कराने की सुविधा प्रदान करती है। वर्ष के दौरान, इस नीति के तहत कोई भी शिकायत प्राप्त नहीं हुई है| इसके अलावा, महामारी जैसे हालात के बावजूद, आपकी कंपनी ने कोविड-19 दिशानिर्देशों और सभी सावधानी बरतते हुए 'लैंगिग उत्पीड़न की रोकथाम' विषय पर जागरुकता कार्यक्रम का संचालन किया था| साथ ही, आंतरिक शिकायत समिति की दो बैठकें भी आयोजित की गई थीं| वर्ष के दौरान, समिति के सदस्यों ने महिलाओं के लैंगिग उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं सुनवाई) अधिनियम 2013 से संबंधित एक ऑनलाइन प्रशिक्षण सत्र और ऑनलाइन अभिमुखी कार्यशाला में भाग लिया| और, स्थानीय शिकायत समिति के समक्ष अधिनियम के अनुरूप आवश्यक वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की गई है|

कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास (सी.एस.आर एवं एस.डी)

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 135, पठ्य कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 का अनुपालन करते हुए कंपनी ने एक सी.एस.आर नीति बनाई है| सी.एस.आर एवं एस.डी समिति आवधिक अंतराल पर बैठक करके विचार-विमर्श करती है और सी.एस.आर पहल के तौर पर विभिन्न परियोजनाओं के क्रियान्वयन के लिए अनुमोदन प्रदान करती है, साथ ही, जारी परियोजनाओं के कार्यों की गति और प्रगति की निगरानी करती है| समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, एन्ट्रिक्स ने सी.एस.आर क्रियाकलापों पर ₹ 574.86 लाख की अब तक की सबसे बड़ी राशि ख़र्च की है|

कंपनी की सी.एस.आर संबंधी क्रियाकलापों पर वार्षिक रिपोर्ट जिसमें कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के अंतर्गत सी.एस.आर समिति की संरचना शामिल है, **अनुलग्नक-1** के रूप में संलग्न है|

लेखापरीक्षकगण

सांविधिक लेखापरीक्षकगण:

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक ने दिनांक 23 अगस्त, 2021 के पत्र सं. सीए.वी/सीओआइ/केंद्र सरकार, एन्ट्रिक्स (1)/544 द्वारा मेसर्स एस.पी.आर एंड कंपनी, सनदी लेखाकार, बैंगलूरु को 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की वार्षिक लेखा के

लेखापरीक्षण संचालित करने के लिए सांविधिक लेखापरीक्षक के रूप में नियुक्त किया |

आंतरिक लेखापरीक्षक:

आपकी कंपनी ने मेसर्स बालू एवं आनंद, सनदी लेखाकार, बेंगलूरु को वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु आंतरिक लेखापरीक्षण संचालित करने के लिए नियुक्त किया है|

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की टिप्पणी इस रिपोर्ट में सांविधिक लेखापरीक्षक की रिपोर्ट के बाद शामिल किए गए हैं|

सावधि जमा

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने जनता से किसी प्रकार की जमा को न तो आमंत्रित किया है और न ही स्वीकार किया है|

राजकोष में योगदान

आपकी कंपनी ने पिछले वर्ष के ₹ 18,513.28 लाख की तुलना में वित्तीय वर्ष 2021-22 के दौरान लाभांश, शुल्क एवं कर के रूप में ₹ 9,411.64 लाख की राशि का योगदान दिया है|

सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 का क्रियान्वयन

एन्ट्रिक्स, महामारी जैसे हालात के बावजूद, सूचना के अधिकार संबंधी अधिनियम 2005 के अंतर्गत एक सार्वजनिक प्राधिकरण होने के नाते अपने कर्तव्यों का निर्वहन करता रहा है| समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, आपकी कंपनी ने अधिनियम के तहत निर्धारित समय-सीमा के भीतर सूचना प्राप्तकर्ता को अपेक्षित सूचना प्रदान कर और केंद्रीय सूचना आयोग को आरटीआइ आवेदन-पत्रों/अनुरोधों की तिमाही रिपोर्ट प्रस्तुत कर अपने दायित्यों का निर्वहन किया है| नागरिकों को सूचना-प्राप्ति सुविधा प्रदान करने के उद्देश्य से और कंपनी के दर्शन तथा कॉर्पोरेट शासन के भाग के तौर पर भी एन्ट्रिक्स की वेबसाइट पर पूर्वपहल प्रकटीकरण किया गया है| इसकारण, पूछे जाने वाले प्रश्नों की संख्याओं में अपेक्षित कमी हुई है|

कर्मचारियों के विवरण

कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं, जी.एस.आर 463 (ई) के अनुरूप सरकारी कंपनी को कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 एवं उसके नियमों से छूट मिली हुई है|

मानव संसाधन विकास एवं आरक्षण

एन्ट्रिक्स में कुल 16 स्थाई कार्मिक कार्यरत हैं| [वर्ग क: व्यापार खण्ड-05; वर्ग क: (प्रशासन) 04; वर्ग ख: (प्रशासन) - 04; वर्ग ग: (प्रशासन) - 03] कार्यरत हैं| समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, अनुसूचित जाति (अ.जा), अनुसूचित जनजाति (अ.जजा.) एवं अन्य पिछड़े वर्ग तथा दिव्यांग जनों एवं भूतपूर्व सैनिकों के प्रतिनिधित्व की स्थिति छः थी।

जोखिम प्रबंधन नीति

एन्ट्रिक्स में, मंडल द्वारा स्वीकृत जोखिम प्रबंधन नीति है और विभिन्न प्रक्रियायों से उत्पन्न होने वाले जोखिम की चर्चा आंतरिक समीक्षा बैठक एवं कॉर्पोरेट प्रबंधन बैठक में की जाती है।

ऊर्जा संरक्षण, प्रौद्योगिकी समावेशन एवं विदेशी मुद्रा का अर्जन तथा निर्गम पर रिपोर्ट

ऊर्जा संरक्षण एवं प्रौद्योगिकी समावेशन संबंधी दी जाने वाली सूचना **शून्य** है, क्योंकि कंपनी ने प्रत्यक्ष रूप से न तो किसी ऊर्जा का उपयोग किया है और न ही किसी विदेशी प्रौद्योगिकी का आयात किया है। विदेशी मुद्रा अर्जन और निर्गम की रिपोर्ट अनुलग्नक-2 के रूप में संलग्न है|

राजभाषा कार्यान्वयन

राजभाषा विभाग, भारत सरकार के नीतिगत दिशानिर्देशों के अनुसार, कंपनी सभी स्तरों पर राजभाषा का प्रयोग करती रही है।

व्यापार खण्ड एवं अन्य तीन अनुभाग यथा - लेखा, प्रशासन, क्रय एवं भंडार, अपने दैनिक सरकारी कामकाज में हिन्दी का अधिक-से-अधिक उपयोग करके राजभाषा-क्रियान्वयन को प्रभावी ढंग से लागू कर रहे हैं। हिन्दी के प्रगामी प्रयोग और प्रचार-प्रसार के लिए अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई है।

कार्मिकों को नियमित तौर पर कार्यशाला और प्रशिक्षण हेतु नामित किया जाता है। केंद्रीय हिन्दी शिक्षण संस्थान द्वारा संचालित हिन्दी भाषा परीक्षाओं में 5 कार्मिकों ने मेधा के आधार पर उत्कृष्ट प्रदर्शन करते

हुए अपनी-अपनी परीक्षाएँ उतीर्ण की हैं।

राजभाषा नियम, 1976 की धारा 8(4) का अनुपालन करते हुए राजभाषा विभाग द्वारा निर्गत वार्षिक कार्यक्रम 2021-22 में वर्णित संबंधित लागू बिंदुओं का उल्लेख कर जाँच बिंदु सभी कार्मिकों के बीच अनुपालन एवं प्रभावी कार्यान्वयन हेतु प्रचालित की गई हैं। कार्मिकों के बीच द्विभाषी शब्दावली और शब्द एवं मुहावरे की पुस्तिका परिचालित की गई है और मिसिलों/फोल्डरों में वाक्यांश हिन्दी में मुद्रित किए गए हैं जिनका उपयोग दैनंदिन कार्यों में किया जा सकता है।

राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा आयोजित हुई अर्धवार्षिक बैठकों में अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक ने स्वयं भाग लिया है।
कंपनी ने अपनी राजभाषा कार्यान्वयन समिति की बैठक चार बार आहूत की जिसमें कार्यसूची के बिंदुओं पर विस्तार से चर्चा की गई।

आपकी कंपनी, 'सोलिस (अंतरिक्ष राजभाषा कार्यान्वयन योजना) लागू करती रही है जिससे कार्मिकों को अपने अधिकतम कार्यालयीन कार्य हिन्दी में करने और प्रोत्साहन के रूप में मौद्रिक लाभ लेने की प्रेरणा मिलती रही है।

आपकी कंपनी की वेबसाइट फिलहाल हिन्दी और अँगरेज़ी में उपलब्ध है।

अंतरिक्ष विभाग द्वारा नामित निरीक्षण अधिकारी, प्रधान, का. एवं सा. प्र., पी.आर.एल द्वारा हिन्दी के प्रगामी प्रयोग से संबंधित वार्षिक निरीक्षण ऑनलाइन माध्यम से संपन्न हुई।

आपकी कंपनी, अंतरिक्ष विभाग एवं नगर राजभाषा कार्यान्वयन समिति (उपक्रम), बेंगलूरु द्वारा आयोजित सभी कार्यक्रमों में भाग लेती रही है और कार्मिकों ने कई पुरस्कार भी प्राप्त किया है।

आपकी कंपनी, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश का अनुसरण करते हुए आगामी वर्षों में भी समान हौसला और उत्साह के साथ और अच्छा करने की दिशा में अग्रसर रहकर अपना योगदान देती रहेगी।

आभारोक्ति

आपके निदेशकगण, अपने उत्पादों और सेवाओं के ग्राहकों तथा अन्य प्रयोक्ताओं से प्राप्त सहायता के लिए आभार प्रकट करने में अतीव प्रसन्नता महसूस करते हैं और आगामी वर्षों में भी उनसे सहायता की आशा करते हैं | आपके निदेशकगण, अन्य सरकारी विभागों तथा एजेंसियों, बैंकरों एवं उद्योगों से प्राप्त सहयोग एवं सहायता के लिए उनका भी विशेष आभार प्रकट करते हैं | सआपके निदेशकगण, वर्ष के दौरान, कंपनी के विक्रेताओं, बैंकरों, सी एवं ए.जी, वैधानिक/आंतरिक लेखापरीक्षकगण, अध्यक्ष-लेखापरीक्षण समिति, मंडल की अन्य उपसमितियों के अध्यक्ष, सलाहकार, आदि से निरंतर मिलने वाले सहयोग और मार्गदर्शन के लिए अपने हार्दिक आभार प्रकट करते हैं|

आपके निदेशकगण, समीक्षाधीन वर्ष के दौरान आपकी कंपनी के सफलतापूर्वक प्रचालन के लिए अंतरिक्ष विभाग, विविध इसरो केंद्रों एवं आपकी कंपनी के अधिकारियों एवं कार्मिकों के सहयोग और योगदान के लिए उनकी सराहना करते हैं |

हस्ता/-

(संजय कुमार अग्रवाल)

अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

एवं निदेशक (वित्त)

स्थान : बेंगलूरु

तिथि : 19 जुलाई, 2022

अनुलग्नक-02

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम (वास्तविक) निम्नानुसार हैं:

(राशि लाख में)

वित्त वर्ष 2021-22 के लिए विदेशी मुद्रा अर्जन एवं निर्गम के विवरण			
	यूएसडी	**यूरो**	**समतुल्य राशि ₹ लाख में**
विदेशी मुद्रा अर्जन			
निर्यात से	5.25	-	391.12
तकनीकी परामर्शिता से	0.79	-	58.94
अन्य सेवाओं से	-	-	-
प्रमोचन सेवाओं से	-	-	-
यात्रा से	-	-	-
कुल	**6.04**	-	**450.07**
विदेशी मुद्रा निर्गम			
प्रमोचन सेवा के एवज़ में	1.66	-	127.29
यात्रा के एवज़ में	0.029	-	2.21
आयात की लागत के एवज़ में	12.62	-	950.40
तकनीकी सेवाओं के एवज़ में	374.67	-	27,844.18
अन्य सेवाओं (विधिक) के एवज़ में	10.90	0.95	896.76
अन्य भुगतान के एवज़ में	6.11	-	455.07
कुल	**405.98**	**0.95**	**30,275.91**

स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट हेतु प्रबंधन का उत्तर

क्र.सं.	लेखापरीक्षक की टिप्पणी	प्रबंधन का उत्तर
1	<u>जारी व्यापार से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता</u> हम स्वसंपूर्ण इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में एक प्रतिष्ठान से **₹ 6,41,808.62** लाख [शामिल नोट में वर्णित तरीके से राशि निर्धारित की गई है एवं न्यायिक परिणाम पर निर्भर करता है] के दावे के बारे में नोट सं **42(i)(क)(iv)** एवं **44(घ)** के ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं। जैसा कि वर्णित है कि घटनाक्रम या स्थितियाँ यह सूचित करती हैं कि एक तरह की आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार के प्रति उल्लेखनीय संशय पैदा करती है। इन मामलों में हमारा मंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है।	"आइसीसी के मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध कंपनी की चुनौती माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय, के समक्ष लंबित है। मध्यस्थता निर्णय के विरुद्ध कंपनी की चुनौती के आधार में अन्य बातों के साथ-साथ आइसीसी न्यायाधिकरण का न्यायक्षेत्र, क्षतिपूर्ति के निर्णय का परिमाण एवं अन्य कानूनी सिद्धांत जैसे भारतीय कानून का उल्लंघन एवं सार्वजनिक नीति का विरोध शामिल है। इन आधारों पर, ऐसी उम्मीद की जाती है कि मध्यस्थता निर्णय रद्द किया जाए।"

कॉर्पोरेट शासन रिपोर्ट

1. कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देश संबंधी कंपनी के दर्शन पर संक्षिप्त रिपोर्ट

1.1 कंपनी कॉर्पोरेट शासन पर अधिक बल देती है। कंपनी का दृढ़ विश्वास है कि उत्तम कॉर्पोरेट शासन की नीतियाँ एवं व्यवहार वह बुनियाद होते हैं जिन पर कॉर्पोरेट संस्था का निर्माण होता है और इसकी नीतियाँ एवं योजनाएँ कॉर्पोरेट संस्था की सफलता का मार्ग प्रशस्त करती हैं।

2. निदेशकमंडल

2.1. मंडल सदस्यों की संरचना और विवरण:

2.1.1. एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के मंडल के सदस्यगण अच्छा कॉर्पोरेट शासन सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मंडल में पर्याप्त संख्या में कार्यपालक और ग़ैर-कार्यपालक सदस्य शामिल हैं। मंडल में एक महिला निदेशक भी हैं। निदेशकों के बीच कोई परस्पर संबंध नहीं हैं। समीक्षाधीन वर्ष के दौरान, मंडल की संरचना निम्नवत् हैं:

(क) प्रकार्यात्मक/पूर्णकालिक निदेशकगण:

(i) श्री राकेश शशिभूषण, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (13 दिसम्बर, 2021 तक)
(ii) श्री संजय कुमार अग्रवाल, निदेशक (वित्त) एवं अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार)

(ख) अंशकालिक पदाधिकारी/सरकारी निदेशकगण:

(i) श्री एम सुब्रमण्यम, संयुक्त सचिव (ई.पी एवं एल), अंतरिक्ष विभाग (28 मार्च 2022 से)
(ii) श्रीमती जी. जयंती, संयुक्त सचिव (वित्त), अंतरिक्ष विभाग

(ग) अंशकालिक ग़ैर-सरकारी/स्वतंत्र निदेशकगण:

(i) श्री पी.एस. राघवन, भारतीय विदेश सेवा (सेवानिवृत्त)
(ii) डॉ. अजीत टी कलघाटगी, पूर्व-निदेशक (आर एवं डी), भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेंगलूरु
(iii) श्री कमल बाली, अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, वॉल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड

(घ) अंशकालिक ग़ैर-सरकारी/नामित निदेशकगण:

(i) श्री शांतनु भाटवडेकर, वैज्ञानिक सचिव, इसरो (28 मार्च 2022 से)

2.1.2. कंपनी के वर्तमान संस्था विधान भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी द्वारा सभी निदेशकों की नियुक्ति का प्रावधान प्रदान करते हैं। नियुक्त निदेशकगण अपने-अपने कार्यक्षेत्र की नामी-गिरामी हस्तियाँ हैं। कंपनी के इन निदेशकों में कोई भी दस से अधिक समितियों के सदस्य नहीं रहे थे या वर्ष के दौरान, सभी सूचीबद्ध प्रतिष्ठानों की पाँच समितियों के अध्यक्ष पद को सुशोभित नहीं किया है जिनमें वे निदेशक रहे/रही हैं। वर्ष के दौरान, कंपनी के किसी स्वतंत्र निदेशक ने सात से अधिक कंपनी में निदेशक का पदभार ग्रहण नहीं किया।

2.1.3. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक एवं प्रकार्यात्मक निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा होती है, पहले 5 वर्ष के लिए या अधिवर्षिता की आयु तक या अगले आदेश तक जो भी पहले हो। उसके बाद सेवा-विस्तार काबीना की नियुक्ति समिति(एसीसी) की स्वीकृति से होती है। स्वतंत्र निदेशकों की नियुक्ति एसीसी द्वारा की जाती है, पहले 3 वर्षों के लिए या अगले आदेश तक जो भी पहले हो।

2.1.4. इस बाबत कोई सेवा-विस्तार या पुनर्नियुक्ति भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देश के अनुरूप होती है।

3. मंडल की बैठक एवं उनमें उपस्थिति:

3.1. प्रति वर्ष कम-से-कम चार (4) बैठकों की सांविधिक आवश्यकताओं की तुलना में वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत मंडल के सदस्यगण पाँच (5) बार बैठक में भाग ले चुके हैं। वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी मंडलीय बैठकों में निदेशकगण की औसत उपस्थिति 77% रही है। इन बैठकों की तिथि और निदेशकगण की उपस्थिति निम्नवत् हैं:

क्र.सं.	बैठकों की सं.	बैठकों की तिथि	मंडलीय सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	125	09.07.2020	7	5
2.	126	24.09.2020	6	6
3.	127	07.12.2020	6	5
4.	128	25.01.2022	5	3
5.	129	28.03.2022	7	5

अनुलग्नक I (क) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

3.2. मंडल के सभी सदस्यों ने मंडल में उनकी नियुक्ति के समय या नियुक्ति के बाद अपने मालिकाना, साझेदारी या किसी कंपनी में अपने वैयक्तिक,आधिकरिक और अन्य मौद्रिक संबंधों, चाहे वे निजी हों या अपने सगे-संबंधियों से जुड़ी हों, की जानकारी मंडल को दे रखी है। ऐसे प्रकटीकरण की पुनरुक्ति प्रति वर्ष की जाती है। मंडलीय बैठक में किए गए ऐसे प्रकटीकरण निम्नवत् प्रस्तुत हैं:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	संकाय/कॉर्पोरेट जिनसे निदेशक संबंध रखते हैं	संबंधों की प्रकृति
1.	श्री राकेश शशिभूषण	शून्य	-
2.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	शून्य	-
3.	श्रीमती जी जयंती	शून्य	-
4.	श्री पी एस राघवन	मेसर्स कार्बोरंडम यूनिवर्सल लिमिटेड (दो विदेशी सहायक कंपनी सहित)	स्वतंत्र निदेशक
7.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	शून्य	-
8.	श्री कमल बाली	1. वॉल्वो ग्रुप इंडिया प्राइवेट लिमिटेड 2. वॉल्वो वित्तीय सेवा (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड 3. भारत में स्वीडिश वाणिज्यिक प्रकोष्ठ 4. ज़ेवियर प्रबंधन संस्थान 5. सनदी प्रबंधन लेखाकार संस्थान, लंदन 6. ज़ेवियर एमलियॉन वैश्विक व्यवसाय विद्यालय	अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक अतिरिक्त निदेशक अध्यक्ष एवं मंडल सदस्य निदेशक सदस्य, उद्योग परामर्शदायी, कार्यकारी सूची निदेशक

3.3 वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत निदेशकों के बीच चार: (4) प्रस्ताव परिचालित किए गए।

4. आम बैठक:

4.1. पिछले 3 वर्षों में कंपनी की वार्षिक आम बैठकों के विवरण निम्नवत् हैं:

एजीएम की संख्या	वित्तीय वर्ष	बैठकों की तिथि	बैठक का स्थान
27	2018-19	19-12-2019	मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, पंजीकृत कार्यालय,अंतरिक्ष भवन, न्यू बी.ई.एल रोड, बेंगलूरु - 560 094.
28	2019-20	28-09-2020	
29	2020-21	24-09-2021	

अनुलग्नक I (ग) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

4.2. वित्तीय वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत कंपनी ने "डाक मतपत्र" के ज़रिए कोई प्रस्ताव पारित नहीं किया है।

5. मंडलीय समितियाँ, उनकी सीमाएँ एवं उनकी बैठकें:

5.1. 31 मार्च, 2022 तक एन्ट्रिक्स की तीन (3) निम्नलिखित समितियाँ हैं:

5.2. लेखापरीक्षण समिति (ए.सी):

5.2.1. प्रशासकीय मंत्रालय द्वारा जारी निर्देशों के अनुरूप वर्ष 2013 में कंपनी के निदेशकमंडल द्वारा मौलिक लेखापरीक्षण समिति का गठन हुआ। बाद में, सार्वजनिक उद्यम विभाग(डी.पी.ई), भारी उद्योग मंत्रालय एवं सार्वजनिक उपक्रम, भारत सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुरूप यह कार्य करता रहा है।

5.2.2. लेखापरीक्षण समिति, कंपनी अधिनियम, 2013; समय-समय पर यथा संशोधित डी.पी. ई. दिशानिर्देशों के अंतर्गत लागू प्रावधानों में उल्लिखित संदर्भ-शर्तों का अनुपालन करती है।

5.2.3. लेखापरीक्षण समिति, फिलहाल, तीन (3) सदस्यों यानी मंडल के तीन (3) स्वतंत्र निदेशकों के साथ काम कर रही है। सांविधिक लेखापरीक्षक, निदेशक (वित्त) बैठक में स्थायी तौर पर आमंतृत किए जाते हैं। लेखापरीक्षण समिति के सभी सदस्यगण, विशेषकर अध्यक्ष के पास लेखाविधि का अच्छा ज्ञान और वित्तीय मामलों में विशेषज्ञता है। कंपनी की आंतरिक/सांविधिक लेखापरीक्षण करने वाली बाहरी लेखापरीक्षक प्रतिष्ठान के प्रतिनिधियों के साथ समिति नियमित रूप से संपर्करत रहती है और वित्त संबंधी मामलों का हिसाब-किताब रखती है।

5.2.4. वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत गठित लेखापरीक्षण समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	श्री कमल बाली	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2.	श्री पी.एस. राघवन	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
3.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	सदस्य	02 अगस्त 2019 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.2.5. लेखापरीक्षण समिति की बैठक में व्यक्तिगत रूप से उपस्थित होने वाले स्वतंत्र निदेशकों की कार्यवाह संख्या दो (2) है। किसी वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की बैठक कम-से-कम चार (4) बार आहूत होनी चाहिए और दो बैठकों के बीच समयांतर 120 दिनों से अधिक नहीं होना चाहिए।

5.2.6. लेखापरीक्षण समिति के अध्यक्ष और/या अन्य स्वतंत्र **ग़ैर-सरकारी अंशकालिक निदेशक जो लेखापरीक्षण समिति के सदस्य भी हैं** को डी.पी.ई के दिशानिर्देश एवं इण्ड ए.एस 24 के अंतर्गत यथा विचारित संबंधित पक्ष अंतरण हेतु पूर्व स्वीकृति के लिए उत्तरदायी व्यक्ति(यों) के रूप में पदनामित किए गए हैं।

5.2.7. वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत लेखापरीक्षण समिति की चार (4) बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की सभी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति 75% रही है। ऐसी बैठकों की आयोजन तिथि और उनमें उपस्थित निदेशकों/सदस्यों के विवरण निम्नवत् हैं:

क्र.सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	16	09.07.21	3	2
2.	17	07.12.21	3	3
3.	18	25.01.22	3	2
4.	19	28.03.22	3	2

अनुलग्नक I (क) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

5.3 पारिश्रमिक समिति (आर.सी):

5.3.1. कार्यपालकों और कार्मिकों के लिए परिवर्तनीय वेतन के वितरण हेतु नियम प्रतिपादित कर निर्णय करने के लिए दिनांक 24 दिसम्बर, 2013 को निदेशकमंडल द्वारा मौलिक रूप से इस समिति का गठन किया गया।

5.3.2. वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत गठित पारिश्रमिक समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	श्री पी.एस. राघवन	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	सदस्य	02 अगस्त 2019 से
3.	श्री कमल बाली	सदस्य	29 नवम्बर 2019 से
4.	श्री राकेश शशिभूषण	सदस्य	02 अगस्त 2019 से 13 दिसम्बर 2021 तक

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.3.3. रिपोर्ट के अंतर्गत आने वाले वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की एक (1) बैठक आयोजित की गई। वित्तीय वर्ष के दौरान पारिश्रमिक समिति की सभी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति 66% रही है। ऐसी बैठकों की आयोजन तिथि और उनमें उपस्थित निदेशकों/सदस्यों के विवरण निम्नवत् हैं:

क्र.सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	3	28.03.22	3	2

अनुलग्नक I (ख) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

5.4. कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास समिति (सी.एस, आर एवं एस.डी):

5.4.1. अप्रैल 2010 के दौरान, सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा जारी दिशानिर्देशों का अनुसरण करते हुए, मंडल द्वारा "कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व एवं दीर्घकालीन विकास समिति" नामक एक समिति

का गठन किया गया। एन्ट्रिक्स की सी.एस.आर नीति के अनुरूप सी.एस.आर. क्रियाकलाप संचालित किए जाते हैं।

5.4.2. वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत गठित सी.एस.आर एवं एस.डी समिति का विवरण निम्नवत् है:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	पद	नियुक्ति की तिथि या समिति में परिवर्तन
1.	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	अध्यक्ष	02 अगस्त 2019 से
2.	श्री राकेश शशिभूषण	सदस्य	23 मार्च 2020 से13 दिसम्बर 2021 तक
3.	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सदस्य	02 अगस्त 2019 से

समिति के सचिव की भूमिका कंपनी सचिव निभाते हैं।

5.4.3. वर्ष 2021-22 के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत सी.एस.आर एवं एस.डी समिति की तीन (3)बैठकें आयोजित की गईं। वित्तीय वर्ष के दौरान लेखापरीक्षण समिति की सभी बैठकों में निदेशकों की उपस्थिति 100% रही है। इन बैठकों के विवरण निम्नवत् हैं:

क्र.सं	बैठकों की सं.	तिथि	समिति के सदस्यों की सं.	उपस्थित निदेशकों की सं.
1.	19	08.07.21	3	3
2.	20	09.11.21	3	3
3.	21	17.03.22	2	2

अनुलग्नक I (ख) में स्वतंत्र निदेशकों की उपस्थिति संलग्न है।

6. व्यवसाय आचार संहिता एवं निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए नैतिकता:

6.1 कॉर्पोरेट शासन से संबंधित दिशानिर्देश बनाते समय अप्रैल 2010 में सार्वजनिक उद्यम विभाग ने व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता का पुनरीक्षण किया। इस संहिता को एन्ट्रिक्स द्वारा अपने निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए अपनाया गया।

6.2 वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों ने आचार संहिता के अनुपालन की पुष्टि करते हुए घोषणाएँ प्रस्तुत की थीं।

6.3 अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा जारी की गई ऐसी घोषणा निम्नवत् है:

7. अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक द्वारा जारी की गई ऐसी घोषणा:

7.1 एतद् द्वारा यह घोषणा की जाती है कि 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए सभी मंडल के सदस्यगण एवं वरिष्ठ सदस्यों ने "एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशकों तथा वरिष्ठ कार्यपालकों के लिए व्यवसाय आचार संहिता एवं नैतिकता" के अनुपालन की पुष्टि की है।

8. मंडल के सदस्यों के लिए प्रशिक्षण:

8.1 एन्ट्रिक्स के मंडल के सदस्यगण वरिष्ठ कार्यपालक हैं जिनके पास शिक्षा, उद्योग, प्रबंधन, मानव संसाधन प्रबंधन एवं प्रशासन के विस्तृत और विविध अनुभव हैं। एन्ट्रिक्स उनकी दूरदर्शिता और उनके ज्ञान से लाभान्वित हुई है। मंडल में शामिल किए जाने के बाद कंपनी के निष्पादन, व्यवसाय के प्रारूप, कॉर्पोरेट की योजना एवं भविष्य के दृष्टिकोण से उन्हें प्रस्तुति के माध्यम से अवगत कराया जाता है। इसके अलावा, मंडल/ समिति/अन्य बैठकों के दौरान व्यवसाय से संबंधित मामलों पर वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक/ पेशेवर व्यक्तियों/सलाहकारों द्वारा विस्तृत प्रस्तुति दी जाती है। प्रभावोत्पादकता बढ़ाने के लिए निदेशकों

को विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रमों की पहचान करने और उनमें शामिल होने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। मंडल ने निदेशकों के प्रशिक्षण हेतु एक नीति भी अपनाई है।

9. प्रकटीकरण:

(i) वर्ष के दौरान, निदेशकों या वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिकों या उनके परिजनों के साथ कंपनी के विद्यमान नियमों के अनुरूप वेतन, शुल्क, लागू अधिक लाभ के सिवाय किसी भी प्रकार की सामग्री और विशिष्ट प्रकृति के सामानों की लेन-देन नहीं हुई थी जिसकारण कंपनी के हित के साथ कोई भारी खिलवाड़ हुआ हो या कंपनी अधिनियम, 2013, की धारा 188 के प्रावधानों को लागू करने की आवश्यकता महसूस हुई हो।

(ii) कंपनी के लिए लागू होने वाले सभी कॉर्पोरेट कानून, नियम एवं विनियम के अनुपालन से संबंधित स्थिति की रिपोर्ट मंडल के समक्ष सूचना एवं समीक्षा के लिए प्रस्तुत की जाती है।

(iii) वर्ष के दौरान, सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों से संबंधित किसी भी मामले पर किसी सांविधिक प्राधिकरण द्वारा कंपनी पर कोई शास्ति या अधिक्षेप नहीं डाले गए थे।

(iv) एक औपचारिक सूचना प्रदाता नीति लागू की गई है। वर्ष के दौरान रिपोर्ट के अंतर्गत लेखापरीक्षण समिति के सदस्यों या इसके अध्यक्ष के पास जाने से किसी भी व्यक्ति को रोका नहीं गया है।

(v) कंपनी में लागू विद्यमान मान्य नियमों के सिवाय वित्तीय विवरणी में कोई भी व्यय-मद शामिल नहीं किया गया जो मंडल के किसी सदस्य या कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यक्तिगत हो।

(vi) पिछले वर्ष के 1.78% की तुलना में इस वर्ष के प्रशासनिक और कार्यालय व्यय 12.71% रहे हैं। वर्ष के दौरान व्यय में बढ़ोत्तरी का मुख्य कारण कंपनी के विरुद्ध विभिन्न विधिक कार्यवाही में प्रदत्त विधिक शुल्क रहा है| मंडल के सदस्यों या कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यय में कोई अपव्यय नहीं पाया गया है।

(vii) वित्तीय विवरणी में कोई भी व्यय-मद शामिल नहीं किया गया जो व्यवसाय के लिए नहीं किया गया हो। वित्तीय वर्ष के अंत और इस रिपोर्ट की तिथि के बीच कोई महत्वपूर्ण परिवर्तन या प्रतिबद्धता नहीं हुए हैं जिससे कंपनी की वित्तीय स्थिति प्रभावित हुई हो।

(viii) सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू) के संचालन संबंधी केंद्र सरकार द्वारा जारी राष्ट्रपति जी के सभी निर्देशों का अनुपालन कंपनी ने किया है।

10. प्रमाणपत्र

10.1. प्रशासनिक मंत्रालय (अंतरिक्ष विभाग) को प्रत्येक तिमाही में कॉर्पोरेट शासन संबंधी दिशानिर्देशों के अनुपालन के बारे में वास्तविक रिपोर्ट प्रस्तुत की जाती है।

11. संचार:

11.1. कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट, संसद के दोनों सदनों में प्रस्तुत किए जाने से पहले इसकी वेबसाइट: www.antrix.co.in पर प्रस्तुत की जाती है। कंपनी की वेबसाइट पर सभी आधिकारिक सूचनाएँ भी प्रदर्शित की जाती हैं।

12. जोख़िम प्रबंधन नीति:

12.1. कंपनी के मंडल द्वारा स्वीकृत जोख़िम प्रबंधन नीति है जिसकी विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखकर समय-समय पर समीक्षा की जाती है।

13. लेखापरीक्षण योग्यता:

13.1. स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट प्रबंधन के उत्तर के साथ संलग्न है।

अनुलग्नक - I (क)

वर्ष के दौरान मंडल की आयोजित बैठक एवं उनमें निदेशकों की उपस्थिति:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	मंडल		लेखापरीक्षण समिति	
		बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं जिनमें शामिल हुए	बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं जिनमें शामिल हुए
1	श्री राकेश शशिभूषण	3	3	लागू नहीं	-
2	श्री संजय कुमार अग्रवाल	5	5	लागू नहीं	-
3	श्री एम सुब्रमण्यम	1	1	लागू नहीं	-
4	श्रीमती जी जयंती	5	3	लागू नहीं	-
5	श्री शांतनु भाटवडेकर	1	-	लागू नहीं	-
6	श्री पी.एस. राघवन	5	5	4	4
7	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	5	3	4	2
8	श्री कमल बाली	5	4	4	3

अनुलग्नक - I (ख)

वर्ष के दौरान मंडल की आयोजित बैठक एवं उनमें निदेशकों की उपस्थिति:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति		नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति	
		बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं जिनमें शामिल हुए	बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं जिनमें शामिल हुए
1	श्री राकेश शशिभूषण	2	2	लागू नहीं	लागू नहीं
2	श्री संजय कुमार अग्रवाल	3	3	लागू नहीं	लागू नहीं
3	श्री एम सुब्रमण्यम	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
4	श्रीमती जी जयंती	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
5	श्री शांतनु भाटवडेकर	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं
6	श्री पी.एस. राघवन	लागू नहीं	लागू नहीं	1	1
7	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	3	3	1	1
8	श्री कमल बाली	लागू नहीं	लागू नहीं	1	-

अनुलग्नक - I (ग)

वर्ष के दौरान मंडल की आयोजित वार्षिक आम बैठक एवं उनमें निदेशकों की उपस्थिति:

क्र.सं.	निदेशकों के नाम	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व समिति	
		बैठकों की कुल सं. जिनमें शामिल होना आवश्यक था	बैठकों की सं जिनमें शामिल हुए
1	श्री राकेश शशिभूषण	1	1
2	श्री संजय कुमार अग्रवाल	1	1
3	श्री एम सुब्रमण्यम	लागू नहीं	-
4	श्रीमती जी जयंती	1	1
5	श्री शांतनु भाटवडेकर	लागू नहीं	-
6	श्री पी.एस. राघवन	1	1
7	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	1	1
8	श्री कमल बाली	1	1

वर्ष 2021-22 के लिए सी.एस.आर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1. **कंपनी की सी.एस.आर नीति की संक्षिप्त रूपरेखा**

कंपनी की सी.एस.आर नीति का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित हैं:-

(i) सामाजिक, आर्थिक और पर्यावरणीय प्रणालियों में मुद्दों की पहचान करना और उन मुद्दों को हल करने के लिए कंपनी की विशेषज्ञता और संसाधनों का लाभ उठाना।

(ii) सभी स्तरों पर कर्मचारियों के लिए सीएसआर और स्थिरता की भावना पैदा करना और अधिक से अधिक भागीदारी को प्रेरित करना।

(iii) समाज के सभी वर्गों के विकास और विकास के उद्देश्य से गतिविधियाँ करना।

2. **सी.एस.आर समिति का गठन:**

क्र.सं.	निदेशक का नाम	पदनाम/निदेशकत्व के प्रकार	वर्ष के दौरान सी.एस.आर बैठकों के आयोजन की संख्या	वर्ष के दौरान सी.एस.आर समिति की बैठकों की संख्या जिसमें शामिल हुए
क	डॉ. अजीत टी कलघाटगी	अध्यक्ष/स्वतंत्र निदेशक	3	3
ख	श्री राकेश शशिभूषण 13.12.21 तक	सदस्य/कार्यकारी निदेशक	3	2
ग	श्री संजय कुमार अग्रवाल	सदस्य/कार्यकारी निदेशक	3	3

3. वे वेबलिंक प्रदान करें जहाँ कंपनी की वेबसाइट पर सी.एस.आर समिति का गठन, सी.एस.आर नीति एवं मंडल द्वारा अनुमोदित सी.एस.आर परियोजनाएँ प्रकट की गई हैं:

(i) सी.एस.आर समिति का गठन -
https://www.antrix.co.in/sites/default/files/u1/CSR%20%26%20SD%20Committee.pdf

(ii) सी.एस.आर नीति -
https://www.antrix.co.in/sites/default/files/ANTRIX%20CSR%20Policy.pdf

4. अगर लागू हो तो, कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 8 के उप नियम (3) का अनुसरण करते हुए क्रियान्वित सी.एस.आर परियोजनाओं के प्रभाव आकलन से संबंधित विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें (रिपोर्ट संलग्न करें)।

विगत तीन वित्त वर्षों में, अधिनियम की धारा 135 की उपधारा (5) का अनुसरण करते हुए कंपनी के पास दस करोड़ रुपये या अधिक के औसतन सी.एस.आर दायित्व नहीं थे इसलिए सी.एस.आर परियोजनाओं का प्रभाव आकलन नहीं किया गया था।

5. कंपनी (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम, 2014 के नियम 7 के उप नियम (3) का अनुसरण करते हुए व्यय हेतु उपलब्ध राशि एवं वित्त वर्ष के लिए व्यय हेतु अपेक्षित राशि, अगर कोई हो, तो उसका विस्तृत विवरण प्रस्तुत करें।

क्र.सं.	वित्त वर्ष	विगत वित्त वर्ष से व्यय हेतु उपलब्ध राशि (₹ लाख में)	वित्त वर्ष के लिए व्यय हेतु अपेक्षित राशि, अगर कोई हो, (₹ लाख में)
1	2019-20	शून्य	शून्य
2	2020-21	0.53	0.53
3	2021-22	0.08	0.08
	कुल	**0.61**	**0.61**

6. धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी का औसत लाभ - ₹ 27,463.88 लाख

(क) धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत - ₹ 549 लाख

(ख) विगत वर्षों के सी.एस.आर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों के बावजूद बची हुई राशि - ₹ 26.31 लाख

(ग) वित्त वर्ष के लिए व्यय हेतु अपेक्षित राशि, अगर कोई हो - ₹ 0.53 लाख

(घ) वित्त वर्ष के लिए कुल सी.एस.आर दायित्व (7क+7ख+7ग) - ₹ 574.78 लाख

7. **(क) वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई या व्यय नहीं की गई राशि का ब्योरा:**

वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (₹ लाख में)	**व्यय नहीं की गई राशि (₹ लाख में)**				
	धारा 135(6) के अनुसार व्यय नहीं की गई सी.एस. आर लेखा में अंतरित कुल राशि		**धारा 135(5) के द्वितीय प्रावधानों के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत वर्णित किसी भी निधि में अंतरित कुल राशि**		
	राशि	**अंतरण की तिथि**	**निधि का नाम**	**राशि**	**अंतरण की तिथि**
574.86	-	-	-	-	-

(ख) वित्त वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं हेतु व्यय की गई सी.एस.आर राशि का ब्योरा **(अनुलग्नक -1)** - ₹ 502.17 लाख

(ग) वित्त वर्ष के लिए जारी परियोजनाओं के अलावा व्यय की गई सी.एस.आर राशि का ब्योरा **(अनुलग्नक -2)** - ₹ 72.65 लाख

(घ) प्रशासनिक मद हेतु व्यय की गई राशि - ₹ 0.04 लाख

(ङ) प्रभाव आकलन, यदि लागू हो, हेतु व्यय की गई राशि - शून्य

(च) वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि (8क+8ख+8ग) - ₹ 574.86 लाख

(छ) व्यय हेतु अतिरिक्त राशि, यदि कोई हो - ₹ 0.08 लाख

क्र.सं.	**विवरण**	**राशि (₹ लाख में)**
i.	धारा 135 (5) के अनुसार कंपनी के औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत	549.00
ii.	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई कुल राशि	574.86
iii.	वित्त वर्ष के लिए व्यय की गई अतिरिक्त राशि [(ii)-(i)]	25.86
iv.	विगत वर्षों के सी.एस.आर परियोजनाओं या कार्यक्रमों या क्रियाकलापों के बावजूद बची हुई राशि, यदि कोई हो	25.78
v.	आगामी वित्त वर्षों में व्यय के लिए उपलब्ध राशि [(iii)-(iv)]	0.08

8. (क) विगत तीन वित्त वर्षों के लिए व्यय नहीं की गई सी.एस.आर राशि का ब्योरा:

क्र.सं.	विगत वित्त वर्ष	धारा 135(6) के अनुसार व्यय नहीं की गई सी.एस. आर लेखा में अंतरित राशि (₹ लाख में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ लाख में)	धारा 135(6) के द्वितीय प्रावधानों के अनुसार अनुसूची VII के अंतर्गत वर्णित किसी भी निधि में अंतरित कुल राशि, यदि कोई हो			आगामी वित्त वर्षों में व्यय के लिए बची राशि (₹ लाख में)
				निधि का नाम	राशि (₹ लाख में)	अंतरण की तिथि	
1	2018-19	-	688.92	-	-	-	922.82
2	2019-20	-	1535.82	-	-	-	112.00
3	2020-21	-	820.53	-	-	-	(-) 0.53
	कुल		**3045.27**				

(ख) इस वित्त वर्ष में विगत वित्त वर्ष (वर्षों) के लिए जारी परियोजनाओं हेतु व्यय की गई सी.एस.आर राशि का ब्योरा **- अनुलग्नक -3**

9. पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन या प्रापण के मामले में, वित्त वर्ष में व्यय की गई सी.एस.आर राशि से सृजित या प्राप्त परिसम्पत्ति का ब्योरा - **अनुलग्नक-4**

10. धारा 135 (5) के अनुसार अगर कंपनी ने अपने औसत शुद्ध लाभ का दो प्रतिशत व्यय नहीं कर पाई है तो उसके कारणों का उल्लेख करें - लागू नहीं

हस्ता/-
(अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक)

हस्ता/-
(अध्यक्ष, सी.एस.आर समिति)

₹ लाख में
अनुलग्नक-1

जारी परियोजनाओं के मद में व्यय की गई सी.एस.आर राशि के विवरण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)		(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना का स्थान	परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ में)	वर्तमान वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	धारा 135 (6) के अनुसार परियोजना में व्यय नहीं की गई सी.एस. आर लेखा में अंतरित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का माध्यम-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम-कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	ज़िला						नाम	सी.एस.आर. पंजीयन संख्या
1	4 प्राथमिक एवं ताल्लुका स्वास्थ्य केंद्रों के लिए स्वास्थ्य उपकरण का प्रायोजन	(i) रक्षक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	नहीं	कर्नाटक	रायचूर		200	200		हाँ	ज़िला प्रशासन, रायचूर द्वारा	
2	महिलाओं के लिए वस्त्र-निर्माण एवं गृह साज-सज्जा के सामानों के निर्माण हेतु कौशल विकास कार्यक्रम का प्रायोजन	(ii)विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों तथा आजीविका अभिवृद्धि परियोजनाओं; हेतु रोज़गारपरक वृत्ति कौशल और विशेष शिक्षा सहित शिक्षा का प्रसार	नहीं	कर्नाटक	यादगीर		23	23		नहीं	वस्त्र-निर्माण एवं गृह साज-सज्जा सेक्टर कौशल परिषद (एएमएचएसएससी)	
3	बेगूसराय के एस.ओ.एस बाल आश्रम में 1 वर्ष के लिए 180 विद्यार्थियों के लिए स्वास्थ्य एवं पोषाहार प्रदान करने हेतु प्रायोजन	(i) रक्षक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	नहीं	बिहार	बेगूसराय		24.57	24.57		नहीं	भारत के एस.ओ.एस बाल आश्रम	सीएसआर00000692
4	कोविड आपदा प्रबंधन हेतु ताल्लुक और ज़िला अस्पतालों में महामारी संघन उपचार इकाई की स्थापना हेतु चिकित्सीय एवं अन्य अस्पताल के उपकरणों का प्रायोजन	(i) रक्षक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	नहीं	कर्नाटक	यादगीर		149.6	149.6		हाँ	ज़िला प्रशासन, यादगीर द्वारा	
5	बाघ परियोजना के लिए 20 कॉलर एवं दो अंकीय खोजी उपकरण का प्रायोजन	(iv) वनस्पति और जीव-जंतु का संरक्षण, पशु कल्याण	नहीं	कर्नाटक	कोड़गू	7 महीने	105	105	0	हाँ	कर्नाटक वन विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा	
						कुल	**502.17**	**502.17**				

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

₹ लाख में
अनुलग्नक-2

जारी परियोजनाओं के अलावा व्यय की गई सी.एस.आर राशि के विवरण

क्र.सं	परियोजना का नाम	अधिनियम की अनुसूची VII में गतिविधियों की सूची से मद	स्थानीय क्षेत्र (हाँ/नहीं)	परियोजना का स्थान		परियोजना के लिए आबंटित राशि (₹ में)	कार्यान्वयन का माध्यम-प्रत्यक्ष (हाँ/नहीं)	कार्यान्वयन का माध्यम-कार्यान्वयन एजेंसी द्वारा	
				राज्य	ज़िला			नाम	सी.एस.आर. पंजीयन संख्या
1	मेघालय एवं उ.पू. क्षेत्र के ग्रामीण बच्चों के लिए आदर्श विद्यालय की दो कक्षाओं के निर्माण के लिए प्रायोजन।	(ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों तथा आजीविका अभिवृद्धि परियोजनाओं; हेतु रोज़गारपरक वृत्ति कौशल और विशेष शिक्षा सहित शिक्षा का प्रसार	नहीं	मेघालय	पश्चिमी जयंतिया पर्वत	16	नहीं	सरस्वती शिक्षा एवं कल्याण न्यास	सीएसआर00002950
2	आदिवासी क्षेत्र पलक्कड़, केरल में, 150 ग्रामीण आदिवासी बच्चों के लिए विद्यालय-शुल्क, परिधान एवं पुस्तकों का प्रायोजन।	(ii) शिक्षा का प्रसार	नहीं	केरल	पलक्कड़	24	नहीं	स्वामी विवेकानंद चिकित्सीय मिशन	सीएसआर00002488
3	बेंगलूरु की झुग्गी-झोपड़ी बस्ती में रहने वाले लोगों (1000) के लिए निःशुल्क कोविड-19 टीकाकरण	(i) रक्षक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	11	हाँ	अपोलो अस्पताल, बेंगलूरु द्वारा	
4	किदवई मेमोरियल अर्बुदविज्ञान संस्थान कैंसर रोगी के उपचार के लिए कार्बन डाइ ऑक्साइड लेजर मशीन का प्रायोजन	(i) रक्षक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	75	हाँ		
5	सामुदायिक शौचालय के लिए अतिरिक्त पाइप बिछाने एवं जलापूर्ति हेतु प्रायोजन (पहले एन्ट्रिक्स द्वारा ही प्रायोजित	(i) स्वच्छता जिसमें स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल हैं	नहीं	मेघालय	पूर्वी खासी पर्वत	2.49	नहीं	सुलभ अंतर्राष्ट्रीय सेवा संगठन	
6	गाँधी वृद्धाश्रम के लिए एम्बुलेंस, चारपाई एवं विछावन का प्रायोजन	(iii)वरिष्ठ नागरिकों हेतु वृद्धाश्रम, दैनिक देखभाल केंद्र एवं ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में व्याप्त असमानता को कम करने के उपाय;	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	9.78	हाँ		
7	दिव्यांग अनाथों के लिए चादर, तौलिया एवं परिधानों का प्रायोजन	(iii) वरिष्ठ नागरिकों हेतु वृद्धाश्रम, दैनिक देखभाल केंद्र एवं ऐसी अन्य सुविधाओं की स्थापना एवं सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़े लोगों में व्याप्त असमानता को कमकरने के उपाय;	नहीं	तमिलनाडु	कोयम्बतूर	2.5	नहीं	दिव्यांग हेतु यूनाइटेड अनाथालय	
8	विद्यालय अवसंरचनाओं के उन्नयन के लिए अतिरिक्त लागत राशि	(ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों तथा आजीविका अभिवृद्धि परियोजनाओं; हेतु रोज़गारपरक वृत्ति कौशल और विशेष शिक्षा सहित शिक्षा का प्रसार	नहीं	कर्नाटक	शिवमोग्ग	5	हाँ	सिविल अनुरक्षण समूह, इसरो मु. द्वारा	
9	केआइओएमएस, कोड़गू के लिए चिकित्सीय उपकरण हेतु अतिरिक्त लागत राशि	(i)रक्षक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	नहीं	कर्नाटक	कोड़गू	0.68	हाँ		
10	युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धाओं की विधवाओं/भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के कल्याण के लिए योगदान	(vi) सेना के दिग्गजों, युद्ध में वीरगति प्राप्त योद्धाओं की विधवाओं, एवं उनके आश्रितों, केंद्रीय सशस्त्र बल पुलिस (सीएपीएफ) एवं केंद्रीय पैरा मिलिट्री बल (सीपीएमएफ) दिग्गजों एवं उनकी विधवाओं सहित उनके आश्रितों के लिए उपाय;	नहीं			5	हाँ		

11	बेंगलूरु सरकारी विद्यालयों में प्लास्टिक जागरुकता कार्यक्रम	(ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों तथा आजीविका अभिवृद्धि परियोजनाओं; हेतु रोज़गारपरक वृत्ति कौशल और विशेष शिक्षा सहित शिक्षा का प्रसार	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	-4.35	हाँ		
12	श्रवणहीन वच्चों के कानों में श्रवण-यंत्र की स्थापना	(i) रक्षक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	हाँ	कर्नाटक	बेंगलूरु	-0.23	हाँ		
13	पाँवफिरा के उपचार हेतु प्रायोजन	(i) रक्षक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	नहीं	कर्नाटक	अखिल कर्नाटक	-34.83	नहीं	क्योर इंटरनेशनल इंडिया न्यास, नई दिल्ली	
14	शादनगर, तेलंगाना के अन्नरम गाँव में ग्रामीण सड़क संपर्क प्रदान करना	(x)ग्राम विकास परियोजनाएँ	नहीं	तेलंगाना	हैदराबाद	-0.46961	हाँ	निर्माण एवं अनुरक्षण समूह (सीएमजी), एनआरएससी-इसरो, हैदराबाद	
15	तेलंगाना के जेलों में रहने वाले कैदियों के लिए कौशल विकास (उन्नति-II, चरण-2)	(ii)विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों तथा आजीविका अभिवृद्धि परियोजनाओं; हेतु रोज़गारपरक वृत्ति कौशल और विशेष शिक्षा सहित शिक्षा का प्रसार	नहीं	तेलंगाना	हैदराबाद	-0.01192	हाँ	जेल विभाग, तेलंगाना	
16	हिरेमठ संस्थान विद्यापीठ न्यास में चरण-II, 125 केएलडी मलजल उपचार संयंत्र का निर्माण	(i) स्वच्छता जिसमें स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल हैं	नहीं	कर्नाटक	बीदर	-1.48	हाँ	निर्माण एवं अनुरक्षण समूह (सीएमजी), एनआरएससी-इसरो, हैदराबाद	
17	निचले तबके की महिलाओं के लिए पुनर्वास एवं स्थाई आजीविका संसाधन कार्यक्रम-केएमएसएस	(ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों तथा आजीविका अभिवृद्धि परियोजनाओं; हेतु रोज़गारपरक वृत्ति कौशल और विशेष शिक्षा सहित शिक्षा का प्रसार	नहीं	केरल	तिरुवनंतपुरम	-27.99735	नहीं	केरल महिला समाक्या सभा	
18	अतिरिक्त सचिवालय, शिलाँग के निकट सामुदायिक शौचालय का निर्माण	(i) स्वच्छता जिसमें स्वच्छता एवं शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराने हेतु केंद्र सरकार द्वारा स्थापित स्वच्छ भारत कोष में योगदान शामिल हैं	नहीं	मेघालय	शिलाँग	-0.00001	नहीं	सुलभ अंतर्राष्ट्रीय समाज सेवा संगठन, शिलॉग	
19	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन द्वारा 150 ग़रीब आदिवासी बच्चों को शैक्षिक सहायता	(ii) विशेषकर बच्चों, महिलाओं, बुजुर्गों एवं दिव्यांगजनों तथा आजीविका अभिवृद्धि परियोजनाओं; हेतु रोज़गारपरक वृत्ति कौशल और विशेष शिक्षा सहित शिक्षा का प्रसार	नहीं	केरल	पलक्कड़	-3.5	नहीं	स्वामी विवेकानंद मेडिकल मिशन, पलक्कड़	
20	सरकारी विद्यालयों, महाविद्यालयों, बेंगलूरु स्थित छात्रावासों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में सैनिटरी नैपकिन हेतु भस्मकारी यंत्र (84 इकाइयाँ) के उपयोग से माहवारी स्वास्थ्य प्रबंधन परियोजना	(i) रक्षक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	नहीं	कर्नाटक	ग्रामीण बेंगलूरु, कोलार	-3.33672	नहीं	रोटरी क्लब, जीवन बीमानगर, बेंगलूरु	
21	कोलार ज़िला के 15 सरकारी विद्यालयों और जूनियर बालिका महाविद्यालयों के लिए सैनिटरी नैपकिन निर्माण एवं निपटारा मशीन की स्थापना के लिए अनुरोध	(i)रक्षक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	नहीं	कर्नाटक	कोलार	-1.19615	हाँ	आइटीआइ लिमिटेड गौंडा द्वारा	
22	मांड्या ज़िला के 10 सरकारी विद्यालयों के लिए सैनिटरी नैपकिन निर्माण एवं निपटारा मशीन की स्थापना के लिए अनुरोध	(i) रक्षक स्वास्थ्य देखभाल सहित स्वास्थ्य देखभाल का संवर्धन	नहीं	कर्नाटक	मांड्या	-1.3955	हाँ	आइटीआइ लिमिटेड गौंडा द्वारा	
					कुल	**72.65**			

₹ लाख में
अनुलग्नक-3

विगत वित्त वर्ष (वर्षों) की जारी परियोजनाओं के मद में इस वित्त वर्ष में व्यय की गई सी.एस.आर राशि के विवरण

-1	-2	-3	-4	-5	-6	-7	-8	-9
क्र.सं.	परियोजना आइडी	परियोजना का नाम	वित वर्ष जब परियोजना शुरू की गई	परियोजना अवधि	परियोजना हेतु आबंटित कुल राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष में व्यय की गई राशि (₹ में)	रिपोर्टिंग वित्त वर्ष के अंत में व्यय की गई संचयी राशि (₹ में)	परियोजना की स्थिति- पूर्ण/जारी
1	ग्राम अभिग्रहण	आदर्श ग्राम विकास- सिरा ताल्लुक में ब्रह्मसांद्रा गाँव	2016-17	5 वर्ष	399.89	0	337.31	जारी: कोविड 19 महामारी के कारण विलम्ब
2	दलदल संरक्षण	वेम्बनाड, केरल में दलदल संरक्षण कार्यक्रम	2017-18	4 वर्ष	272.72	41.93	210.36	पूर्ण
				कुल	**672.61**	**41.93**	**547.67**	

₹ लाख में
अनुलग्नक-4

सी.एस.आर व्यय द्वारा सृजित या अर्जित परिसम्पत्तियों के विवरण

क्र. सं.	(क) सृजित या प्राप्त परिसम्पत्ति की तिथि	(ख) पूँजी परिसम्पत्ति के सृजन या प्रापण के मामले में व्यय की गई सी.एस.आर राशि	(ग) वह प्रतिष्ठान या सार्वजनिक अधिकरण या लाभार्थी जिसके नाम यह परिसंपत्ति पंजीकृत है, उनके पता आदि	(घ) सृजित या प्राप्त पूँजी परिसम्पत्ति (पूँजी परिसम्पत्ति का पूरा पता तथा स्थान सहित) का ब्योरा दें
1	29-10-2021	75.00	किदवई मेमोरियल अर्बुदविज्ञान संस्थान, बेंगलूरु, कर्नाटक	किदवई मेमोरियल अर्बुदविज्ञान संस्थान, बेंगलूरु, कर्नाटक के लिए कार्बन डाइ ऑक्साइड लेजर मशीन का प्रायोजन
2	29-12-2021	26.00	ताल्लुक अस्पताल, शाहपुरा, यादगीर ज़िला, कर्नाटक	ताल्लुक अस्पताल, शाहपुरा, यादगीर ज़िला, कर्नाटक के परिसर में 250 केवीए डीजी सेट
3	19-01-2022	6.00	गाँधी वृद्धाश्रम, मागदी रोड, बेंगलूरु, कर्नाटक	मारुति ईको एम्बुलेंस - सं. 1 , गाँधी वृद्धाश्रम, मागदी रोड, बेंगलूरु, कर्नाटक

सी.एस.आर गतिविधियाँ

मेघालय के ग्रामीण बच्चों के लिए आदर्श विद्यालय की दो कक्षाओं के निर्माण के लिए प्रायोजन।

दिनांक 19 जून, 2021 को मेसर्स राष्ट्रीय क्षत्रिय सेवा समिति न्यास (पंजीकृत) के साथ मिलकर अपोलो अस्पताल, जयनगर द्वारा बेंगलूरु स्थित विजयनगर के झुग्गी-झोपड़ी बस्ती में और इसके आसपास रहने वाले सुविधा-वंचित लोगों के लिए 1100 कोविशील्ड वैक्सीन की ख़ुराक का प्रायोजन एन्ट्रिक्स द्वारा किया गया।

गाँधी वृद्धाश्रम में एम्बुलेंस, चारपाई एवं विछावन का प्रायोजन।

ವಿದ್ಯೆ ನೀಡಿದ ದೇಗುಲ ಶಾಲೆ: ಭೀಮರಾಜ್

ಆ್ಯಂಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಕಾರ್ಪೊರೇಷನ್ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ನೆರವಿನಲ್ಲಿ ಅಂದಾಸುರ ಶಾಲೆ ನವೀಕೃತ ಕಟ್ಟಡ ಉದ್ಘಾಟನೆ

अंडसूरा, सागर ताल्लुक, शिवमोग्ग ज़िला, कर्नाटक के सरकारी निम्न प्राथमिक पाठशाला में कक्षाओं एवं स्मार्ट कक्षा-सुविधाओं का निर्माण।

किदवई मेमोरियल अर्बुदविज्ञान संस्थान, बेंगलूरु के लिए कार्बन डाइ ऑक्साइड लेजर मशीन का प्रायोजन।

पलक्कड़, केरल में, ग्रामीण आदिवासी बच्चों के लिए विद्यालय-शुल्क एवं परिधान का प्रायोजन।

अयुकुड़ि, तमिलनाडु में अमरसेवा शारदाम्बल आइ.टी.आइ की स्थापना।

स्वतंत्र लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट

सेवा में, एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यगण

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी का लेखापरीक्षण पर रिपोर्ट

मत

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("कंपनी") की इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी का लेखा परीक्षण किया है जिसके साथ दिनांक 31 मार्च, 2022 तक का तुलनपत्र, अन्य व्यापक आय सहित लाभ तथा हानि का विवरण, नकद प्रवाह विवरणी एवं प्रमुख लेखा-नीतियों का सारांश और व्याख्यात्मक सूचना सहित तब समाप्त हुए वर्ष की एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी शामिल है|

हमारे विचार से तथा हमें प्राप्त सूचना एवं दिए गए विवरण के आधार पर, उक्त वित्तीय विवरणी, कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") द्वारा अपेक्षित तरीके से आवश्यक सूचना प्रदान करती है और अधिनियम की धारा 133 में यथावर्णित, पठ्य 31 मार्च, 2022 तक कंपनी की परिस्थिति संबंधी कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम, 2015, अन्य व्यापक आय सहित इसके लाभ, इसके नकद प्रवाह एवं समाप्त हुए वर्ष की एक्विटी में परिवर्तन सहित उपर्युक्त विवरणी भारत में सर्वमान्य लेखा-विधि सिद्धान्तों की आवश्यकताओं के अनुरूप सत्य एवं स्पष्ट दृष्टिकोण परिलक्षित करती है|

मत का आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत उल्लिखित लेखापरीक्षण मानक (एस.ए) के अनुरूप लेखापरीक्षण किया है| उन मानकों के अंतर्गत इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण के लिए लेखापरीक्षक के उत्तरदायित्व खण्ड के अंतर्गत अपने उत्तरदायित्व का वर्णन आगे प्रस्तुत अपनी रिपोर्ट में किया गया है| भारत के सनदी लेखाकार संस्थान द्वारा जारी नैतिक-संहिता के साथ-साथ कंपनी अधिनियम, 2013 एवं इसमें शामिल नियमों के प्रावधानों के अनुरूप हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और इन आवश्यकताओं एवं नैतिक-संहिता के अनुरूप हमने अपना नैतिक दायित्व निभाया है|

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण से संबंधित साक्ष्य जो हमने प्राप्त किया है वह इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के बारे में अपने लेखापरीक्षण-मंतव्य को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त है|

जारी व्यापार से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता हम इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में एक प्रतिष्ठान से, 41,808.62 लाख [शामिल नोट में वर्णित तरीके से राशि निर्धारित की गई है एवं न्यायिक परिणाम पर निर्भर करता है] के दावे के बारे में नोट सं 42 (i)(क)(iv) एवं 44 (घ) की ओर ध्यान आकर्षित करना चाहते हैं जो विवाद लंबित होने के कारण कंपनी के प्रति दावे को ऋण के रूप में स्वीकार नहीं करता है| जैसा कि ऊपर के नोट में वर्णित है कि घटनाक्रम या स्थितियाँ यह सूचित करती हैं कि एक तरह की आर्थिक अनिश्चितता मान कंपनी के जारी व्यापार के प्रति उल्लेखनीय संशय पैदा करती है| इन मामलों में हमारा मंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है|

तथ्यात्मक महत्ता

हम वित्तीय विवरणी में शामिल निम्नलिखित बातों की ओर ध्यान आकर्षित करते हैं :

(क) नोट संख्या 48 एवं 49 - ग्राहकों/विक्रेताओं से बाकी बची शेषराशि नहीं प्राप्त होने की पुष्टि एवं लंबित मिलान के कारण लाभ तथा हानि विवरणी पर पड़ने वाले व्यापक प्रभाव से संबंधित|

(ख) नोट संख्या 42 (i)(क)(i) - लंबित कर विवादों के अंतर्गत दावों से संबंधित एवं नोट संख्या 50 - नोट संख्या 42 (i)(क)(i) के अंतर्गत कर माँग के निमित्त व्यापक ब्याज एवं शास्ति का समावेश नहीं करने से संबंधित|

इन मामलों में हमारा मंतव्य किंचित भी परिवर्तित नहीं हुआ है |

प्रमुख लेखापरीक्षण मामले

मुख्य लेखापरीक्षण मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, 31 मार्च, 2022 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षण में सबसे महत्वपूर्ण थे। इन मामलों को इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के संपूर्ण स्वरूप के हमारे लेखापरीक्षण के संदर्भ में संबोधित किया गया था और उस पर अपनी राय बनाने में इन मामलों पर हम अपनी अलग राय प्रदान नहीं करते हैं। हमने नीचे वर्णित मामले को अपनी रिपोर्ट में संसूचित करने के लिए प्रमुख लेखापरीक्षण मामले के रूप में निर्धारित किया है। नीचे दिए गए मामले को संबोधित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रियाओं सहित हमारी लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं के परिणाम, ए.एस. वित्तीय विवरणी पर हमारे लेखापरीक्षण मत के लिए आधार प्रदान करते हैं।

मुख्य लेखापरीक्षण मामले का विवरण	**मुख्य लेखापरीक्षण मामले को संबोधित करने के लिए लेखापरीक्षण प्रक्रियाएँ**
कंपनी के पास विभिन्न प्राधिकरणों के साथ वर्ष के अंत में लंबित विवाद हैं, जो आकस्मिकताओं के परिणाम पर महत्वपूर्ण प्रभाव डाल सकते हैं। इन विवादों की स्थिति और कंपनी के प्रति दावों के रूप में मानी जाने वाली राशि जिसे ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया है, को इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणी के नोट 42, 44 और 50 के अंतर्गत प्रकट किया गया है। बाहरी कर एवं विधि विशेषज्ञ से मिले परामर्श और वर्ष के दौरान हुए घटनाक्रम के मद्देनज़र प्रबंधन और निदेशक मंडल द्वारा मूल्यांकन के आधार पर दावों को आकस्मिक देयता के रूप में माना गया है।	इन दावों के परिमाणीकरण और प्रकटीकरण से संबंधित हमारी लेखापरीक्षण प्रक्रियाओं में निम्नलिखित शामिल हैं: i) लंबित विवादों की पहचान करने और प्रकटीकरण की पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के नियंत्रणों की प्रभावशीलता का परीक्षण करना। ii) आंतरिक विधि दल, प्रबंधन के साथ चर्चा और वर्ष के दौरान घटनाक्रम एवं वित्तीय विवरणी पर पड़ने वाले प्रभाव को समझने के लिए निदेशक मंडल और लेखापरीक्षण समिति की बैठकों के कार्यवृत्त की समीक्षा | iii) वर्ष के दौरान बिना किसी घटनाक्रम से संबंधित विवादों के बारे में, चुनिंदा तौर पर सहायक दस्तावेज़ की समीक्षा और लेखाविधि एवं प्रकटीकरण के आधार पर प्रबंधन के साथ चर्चा। iv) वर्ष के दौरान प्रकटीकरण या दावे की राशि पर घटनाक्रम के कारण पड़ने वाले प्रभाव का आकलन| v) वर्ष के अंत में हमारी लेखापरीक्षण रिपोर्ट की स्थिति में होने वाले वस्तुपरक परिवर्तनों की तिथि तक वर्ष के अंत के बाद की घटनाओं के प्रभाव का आकलन|

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी एवं लेखापरीक्षण विवरणी के अलावा सूचना

कंपनी के प्रबंधन और निदेशक-मंडल अन्य सूचना को तैयार करने के लिए उत्तरदायी हैं\| अन्य सूचनाओं में, बोर्ड रिपोर्ट की अनुसूची सहित बोर्ड रिपोर्ट, कॉर्पोरेट शासन एवं शेयरधारक संबंधी सूचना शामिल हैं, परन्तु इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी और उसके साथ लेखापरीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है \|

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर हमारे मत में अन्य सूचना शामिल नहीं है और उसपर हम कोई निश्चित निष्कर्ष व्यक्त नहीं करते हैं|

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के हमारे लेखापरीक्षण से संबंधित हमारा उत्तरदायित्व दूसरी सूचना को पढ़ना है, और, ऐसा करते समय, यह विचार करना है कि अन्य सूचना इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी या लेखापरीक्षण में हमें प्राप्त ज्ञान या अन्यथा ग़लत आर्थिक विवरण प्रतीत होने के साथ आर्थिक रूप से अस्थिर है|

जब हम मंडल रिपोर्ट की समीक्षा करते हैं तो हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि अगर ऐसी अन्य सूचना के साथ कोई ग़लतबयानी हुई है, तो हमें उस तथ्य को निदेशकमंडल के सम्मुख प्रस्तुत करना आवश्यक हो जाता है|

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी हेतु प्रबंधन का उत्तरदायित्व

अधिनियम की धारा 134 (5) में उल्लिखित बातों के अनुरूप इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को तैयार करने के लिए कंपनी के प्रबंधन और निदेशक-मंडल उत्तरदायी हैं, जो अधिनियम की धारा 133 कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम, 2015 के साथ पठ्य के तहत वर्णित भारतीय लेखाविधि मानकों के साथ-साथ सामान्यत: भारत में स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांत के अनुरूप कंपनी की वित्तीय स्थिति, अन्य व्यापक आय सहित वित्तीय निष्पादन, नकद प्रवाह एवं एक्विटी में परिवर्तन की सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाती है | इस जिम्मेदारी में, कंपनी की परिसंपत्ति की रक्षा एवं धोखाधड़ी तथा अनियमितताओं को पता लगाने एवं रोकने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप पर्याप्त लेखाविधि, रिकार्डों का रख-रखाव; उचित लेखा-विधि नीतियों का चयन एवं अनुप्रयोग; तार्किक एवं बुद्धिमत्तापूर्ण निर्णय एवं आकलन करना; और पर्याप्त वित्तीय नियंत्रण का आरेखन, कार्यान्वयन एवं अनुरक्षण, जो लेखाविधि रिकॉर्डों की सत्यता एवं पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए प्रभावकारी ढंग से कार्य कर रहे थे, वित्तीय विवरणी से संबंधित तैयारी एवं प्रस्तुति, जो धोखाधड़ी या इण्ड.ए.एस. भूल से उत्पन्न तथ्यात्मक ग़लत विवरण से मुक्त, सच्ची एवं सही स्थिति दर्शाते हों जिन्हें उपर्युक्त. इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की तैयारी के उद्देश्य से उपयोग में लाया जाता है |

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी को तैयार करने के दौरान जारी व्यापार के लिए कंपनी की योग्यता व्यापार से संबंधित मामलों के प्रकटीकरण, जैसा लागू हो, एवं लेखाविधि के लिए जारी व्यापार के आधार के उपयोग के लिए के प्रबंधन और निदेशक-मंडल उत्तरदायी हैं, सिवाय इसके कि निदेशक-मंडल कंपनी को रिनिर्धारित करने का इरादा रखते हों या काम बंद कर देना चाहें या ऐसा करने के अलावा कोई वास्तविक विकल्प नहीं हो|

ये निदेशक-मंडल, कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया के लिए भी उत्तरदायी हैं|

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी हेतु लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा लक्ष्य उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करना है कि पूरी इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी आर्थिक ग़लत विवरण से मुक्त है, चाहे वह धोखाधड़ी से हो या भूलवश हो और वह लेखापरीक्षक रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल हो । उपयुक्त आश्वासन, एक उच्च क्षमता का आश्वासन है, परन्तु वैसी गारंटी नहीं है कि एस.ए.के अनुरूप किया गया लेखापरीक्षण हमेशा आर्थिक ग़लत विवरण का पता लगा लेगा अगर यह मौजूद होता है । ग़लत विवरण का उद्भव धोखाधड़ी से या भूलवश हो सकता है और इसे आर्थिक तभी माना जाता है अगर एकल या समेकित रूप से इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के आधार पर प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय को प्रभावित किया जाना संभावित प्रतीत हो।

एस.ए. के अनुरूप लेखापरीक्षण के हिस्से के तौर पर, हम पेशेवर निर्णय करते हैं और समूचे लेखापरीक्षण के दौरान पेशेवराना नज़र रखते हैं। हम,

- इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों में धोखाधड़ी या भूल के कारण होने वाले आर्थिक ग़लत विवरण से जोख़िमों की पहचान और आकलन करते हैं, उन जोख़िमों के लिए उत्तरदायी कारणों के लिए लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करते हैं और लेखापरीक्षण प्रक्रिया निष्पादित करते हैं, तथा

वैसे लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करते हैं जो हमारे मत की पुष्टि के लिए पर्याप्त एवं उचित आधार प्रदान करते हैं। धोखाधड़ी के कारण दिए जाने वाले आर्थिक ग़लत विवरण की पहचान नहीं किए जाने का जोख़िम ज्यादा हो सकता है बनिस्बत कि भूल के कारण, क्योंकि धोखाधड़ी में कपट, जालसाजी, इरादतन चूक, मिथ्या वर्णन या आंतरिक नियंत्रण का रद्द किया जाना शामिल है।

- स्थितियों के अनुरूप उपयुक्त लेखापरीक्षण की रूपरेखा तैयार करने के लिए लेखापरीक्षण से संबंधित आंतरिक नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं। अधिनियम की धारा 143(3)(i) के अंतर्गत, हम यह मत रखने के लिए भी उत्तरदायी हैं कि कंपनी के पास इण्ड ए. एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण प्रणाली और ऐसे नियंत्रणों की प्रभावोत्पादक प्रचालनीयता विद्यमान हैं।

- उपयोग में लाई जाने वाली लेखाविधि नीतियों एवं लेखाविधि आकलनों की यथार्थता तथा प्रबंधन द्वारा संबंधित प्रकटीकरण का मूल्यांकन करते हैं।

- प्रबंधन द्वारा लेखाविधि के लिए जारी व्यापार की उपयुक्तता और प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य के आधार पर, निष्कर्ष निकालते हैं कि क्या घटनाक्रम या स्थितियों से संबंधित आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है जो कंपनी के जारी व्यापार की निरंतरता पर उल्लेखनीय संशय पैदा करती है। यदि हम यह निष्कर्ष निकालते हैं कि आर्थिक अनिश्चितता विद्यमान है तो अपने लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी से संबंधित प्रकटीकरण के प्रति इस ओर ध्यान आकर्षित करने या ऐसे प्रकटीकरण यदि अपर्याप्त हैं तो अपने विचारों में संशोधन करने की आवश्यकता है। हमारे निष्कर्ष, लेखापरीक्षक की रिपोर्ट की तिथि तक प्राप्त लेखापरीक्षण साक्ष्य पर आधारित हैं। फिर भी, भविष्य के घटनाक्रम या स्थितियाँ, जारी व्यापार की निरंतरता पर विराम लगा सकती हैं।

- प्रकटीकरण सहित इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी की समेकित प्रस्तुति, संरचना एवं विषयवस्तु तथा क्या इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी गुप्त अंतरण तथा घटनाक्रम को इसतरह प्रस्तुत करते हैं ताकि उचित प्रस्तुति प्राप्त हो सके, का मूल्यांकन करते हैं।

भौतिकत्व ही इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में ग़लत विवरण का परिमाण है जो एकल या समेकित रूप से यह संभावना व्यक्त करता है कि वित्तीय विवरणी की यथार्थ जानकारी रखने वाले प्रयोक्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम, (i) अपने लेखापरीक्षण कार्यों के दायरे की योजना और अपने काम के परिणाम के मूल्यांकन तथा (ii) वित्तीय विवरणियों में किसी चिह्नित ग़लत विवरण से पड़ने वाले प्रभाव के मूल्यांकन में परिमाणात्मक भौतिकत्व एवं गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों के साथ अन्य बातों के अलावा लेखापरीक्षण के नियोजित दायरे एवं समय तथा उल्लेखनीय लेखापरीक्षण परिणाम में शामिल आंतरिक नियंत्रण में महत्वपूर्ण कमियाँ जिनकी हम पहचान करते हैं, के बारे में बात करते हैं।

हम ऐसे सभी पदाधिकारियों को वह विवरण प्रदान करते हैं जिनका हमने स्वतंत्रता से संबंधित नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है और सभी संबंधों एवं अन्य बातों जिनका हमारी स्वतंत्रता पर वास्तविक प्रभाव पड़ता है, और संबंधित बचाव, यदि लागू होता हो, के बारे में बात करते हैं।

उन सभी पदाधिकारियों को बताई गई बातों के आधार पर, हम उन बातों को सुनिश्चित करते हैं जो वर्तमान अवधि के इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षण में विशेष रूप से उल्लेखनीय रही हैं और जो परिणामस्वरूप प्रमुख लेखापरीक्षण संबंधी बातें हैं। हम, विधि या अधिनियम द्वारा सार्वजनिक प्रकटीकरण पर लगने वाली रोक या किसी बेहद ख़ास परिस्थितियों में जब हम सुनिश्चित करते हैं कि अपनी रिपोर्ट में इन बातों के उल्लेख का ग़लत प्रभाव पड़ने वाला है जिससे सार्वजनिक हितलाभ को नुकसान होने वाला है, के अलावा इन बातों को अपनी लेखापरीक्षण रिपोर्ट में वर्णित करते हैं।

अन्य बातें

(क) 31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी की ए.एस. वित्तीय विवरणी, राव असोसिएट, सनदी लेखाकार, एक अन्य लेखा परीक्षक द्वारा लेखापरीक्षित की गई थी, जिन्होंने 09 जुलाई, 2021 को उन मंतव्यों पर एक अपरिवर्तित मत व्यक्त किया था|

(ख) 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए निदेशक-मंडल द्वारा अनुमोदित कंपनी की ए.एस. वित्तीय विवरणी पर श्री संजय कुमार अग्रवाल, अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त) जिन्हें 19 जुलाई, 2022 को आयोजित बोर्ड की बैठक में पारित संकल्प द्वारा अधिनियम की धारा 134(1) के अंतर्गत बोर्ड द्वाराअधिकृत किया गया है, द्वारा बोर्ड की ओर से हस्ताक्षर किए गए हैं|

31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी पर हमारे मत इन विषयों के संबंध में संशोधित नहीं हैं।

अन्य विधिक एवं नियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट

1. भारत सरकार द्वारा जारी अधिनियम की धारा 143 की उप-धारा 11 से संबंधित कंपनी (लेखा परीक्षक की रिपोर्ट) आदेश, 2020 ("आदेश") यथापेक्षित आदेश के अनुच्छेद 3 एवं 4 में उल्लिखित विषय वस्तुओं पर अधोलिखित "अनुलग्नक-क" में हम विवरणी प्रस्तुत करते हैं |

2. अधिनियम की धारा 143 (3) द्वारा यथापेक्षित, हम रिपोर्ट करते हैं कि :

   (क) हमने अपने ज्ञान एवं विश्वास के आधार पर अपनी उपर्युक्त लेखा परीक्षा के लिए सभी सूचनाओं की माँग की एवं उन्हें प्राप्त किया है;

   (ख) हमारे विचार से, उपर्युक्त वित्तीय विवरणी की तैयारी से संबंधित कंपनी के पास विधिसम्मत उपयुक्त लेखा-बही है, जैसा कि इनकी परीक्षाओं से परिलक्षित होता है;

   (ग) इस रिपोर्ट द्वारा व्यवहृत, तुलनपत्र, लाभ तथा हानि लेखा, नकद प्रवाह विवरणी, एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी खाता-बही के अनुरूप है;

   (घ) हमारे विचार से, उपर्युक्त इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी, अधिनियम की धारा 133, कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) नियम 2015, यथासंशोधित में वर्णित लेखाविधि मानकों के अनुरूप है|

   (ङ) यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 164(2) के निदेशकों की अयोग्यता से संबंधित प्रावधान दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463 (ई) के कारण कंपनी के लिए लागू नहीं है |

   (च) कंपनी की इन इण्ड ए.एस. वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की पर्याप्तता के संदर्भ में एवं ऐसे नियंत्रण के परिचालन प्रभावोत्पादकता के लिए "अनुलग्नक-ख" में अलग से प्रस्तुत हमारी रिपोर्ट का संदर्भ लें|

   (छ) यह कंपनी, भारत सरकार की कंपनी है, इसलिए अधिनियम की धारा 197(16), यथा संशोधित, के अनुरूप लेखापरीक्षक की रिपोर्ट में शामिल किए जाने वाले अन्य विषय दिनांक 05 जून, 2015 की अधिसूचना सं.जी.एस.आर. 463 (ई) के कारण कंपनी के लिए लागू नहीं है; और

   (ज) कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम 2014 के नियम 11, यथासंशोधित, के अनुरूप लेखापरीक्षक रिपोर्ट में शामिल अन्य बातें, मेरे मतानुसार एवं हमारी सूचनाओं के आधार पर तथा हमें दी गई व्याख्या के अनुसार, के संदर्भ में :-

      (ए) कंपनी ने 31 मार्च, 2022 तक की अपनी इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी में अपनी वित्तीय स्थिति पर लंबित मामलों से पड़ने वाले प्रभाव का उल्लेख किया है|

इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के नोट 42(i) क, 44 एवं 50 का संदर्भ लें|

परिलक्षित हो कि कोई आपसी समझ-बूझ, या तो लिखित में हुई हो या अन्यथा हुई हो कि निधिदाता पक्ष, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति या संस्था को उधार दे या निवेश करे जिसे कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या इसके बदले में गारंटी, सुरक्षा या ऐसे ही कुछ और, अंतिम लाभार्थी के बदले में प्रदान किए गए हों| और,

(बी) 31 मार्च, 2022 तक कंपनी के पास अन्य स्रोतों से प्राप्त संविदा सहित कोई दीर्घावधि संविदा नहीं है जिसके चलते कोई अनपेक्षित आर्थिक हानि हुई हो|

(सी) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी के पास कोई ऐसी राशि नहीं थी जिसे कंपनी द्वारा निवेशक शिक्षा एवं बचाव निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता हुई हो|

(डी) (i) प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि जहाँ तक उन्हें ज्ञात है और विश्वास है कि (किसी उधार लिए गए धन या शेयर प्रीमियम या धन प्राप्ति के अन्य स्रोतों या प्रकारों से) कंपनी द्वारा कोई राशि न तो अग्रिम या ऋण या निवेश के रूप में किसी व्यक्ति या विदेशी प्रतिष्ठान ("मध्यस्थ") सहित किसी प्रतिष्ठान को, दी गई है जिससे यह परिलक्षित हो कि कोई आपसी समझ-बूझ, या तो लिखित में हुई हो या अन्यथा हुई हो कि मध्यस्थ, चाहे प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से किसी व्यक्ति या संस्था को उधार दे या निवेश करे जिसे कंपनी (अंतिम लाभार्थी) द्वारा या इसके बदले में गारंटी, सुरक्षा या ऐसे ही कुछ और, अंतिम लाभार्थी के बदले में प्रदान किए गए हों|

(ii) प्रबंधन ने यह प्रस्तुत किया है कि जहाँ तक उन्हें ज्ञात है और विश्वास है कि कंपनी द्वारा कोई राशि न तो किसी व्यक्ति या विदेशी प्रतिष्ठान ("निधिदाता पक्ष") सहित किसी प्रतिष्ठान से ली गई है जिससे यह

(iii) ऐसी लेखापरीक्षण प्रक्रियाएँ जिन्हें वर्तमान परिस्थितियों में उचित और उपयुक्त माना गया है, के आधार पर हमारे संज्ञान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें यह विश्वास हो कि उप-खंड (i) और (ii) के अंतर्गत की गई प्रस्तुति में कोई महत्वपूर्ण गलत विवरण शामिल हुआ हो ; एवं

(ई) पिछले वर्ष के लिए घोषित लाभांश के समान कंपनी द्वारा इस वर्ष के दौरान प्रदत्त अंतिम लाभांश की राशि लाभांश के भुगतान पर लागू होने वाले अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है|

जैसा कि इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी के नोट 54 में उल्लिखित है, कंपनी के निदेशक-मंडल ने इस वर्ष के लिए एक अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है जिसे आगामी वार्षिक आम बैठक में सदस्यों द्वारा अनुमोदित किया जाना है| घोषित लाभांश की राशि लाभांश की घोषणा पर लागू होने वाले अधिनियम की धारा 123 के अनुरूप है|

कृते एस पी आर एवं कं
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 009784 एस)

हस्ता/-
(एस वेदवल्ली)
भागीदार
सदस्य सं. 210255

स्थान :बेंगलूरु
तिथि: 19 जुलाई 2022
यूडीआइएन: 22210255ANIGAV9889

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक "क"

(i) (क) (ए) कंपनी, अपनी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के परिमाणात्मक विवरण तथा स्थिति सहित पूर्ण विवरण देने के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रखी है|

(बी) कंपनी, अपनी अमूर्त परिसंपत्ति का पूर्ण विवरण देने के लिए उचित अभिलेख अनुरक्षित कर रखी है|

(ख) सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर के सत्यापन हेतु वर्ष के दौरान, प्रबंधन द्वारा वार्षिक कार्यक्रम के अनुरूप संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर का वस्तुगत सत्यापन किया गया है| प्रबंधन से हमें मिली सूचना और स्पष्टीकरण के अनुसार, जाँच के दौरान कोई भी कमी नहीं पाई गई है|

(ग) कंपनी के पास पट्टाधारी भूमि, जिसका कंपनी पट्टाधारक है, पर भवन के अलावा कोई अचल संपत्ति नहीं है|

(घ) 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान कंपनी ने संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर (परिसंपत्ति के उपयोग का अधिकार सहित) या अमूर्त परिसंपत्ति का पुनर्मूल्यांकन नहीं किया है|

(ङ) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, बेनामी संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम, 1988 एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत कंपनी के विरुद्ध किसी बेनामी संपत्ति धारिता संबंधी कोई कार्यवाही न तो शुरू की गई है, न लंबित है|

(ii) (क) वर्ष के दौरान प्रबंधन द्वारा वस्तुसूची का वस्तुगत सत्यापन किया गया है| हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, सत्यापन का अंतराल उपयुक्त है और ऐसे सत्यापन का दायरा और प्रक्रिया उचित है| ऐसे सत्यापन के दौरान वस्तुसूची के प्रत्येक वर्ग में समेकित रूप से 10% या इससे अधिक की कोई कमी नहीं पाई गई थी|

(ख) कंपनी के पास बैंक या वित्तीय संस्थानों द्वारा निर्धारित कोई पूँजी सीमा नहीं है| तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (ii)(बी) लागू नहीं है|

(iii) कंपनी ने किसी कंपनी, प्रतिष्ठान, सीमित देयता साझेदारों या अन्य किसी पक्ष के साथ कोई निवेश नहीं किया है या कोई गारंटी या प्रतिभूति नहीं दिया है या सुरक्षित या असुरक्षित प्रकृति का ऋण या अग्रिम नहीं दिया है| तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (iii) लागू नहीं है|

(iv) कंपनी के पास कोई ऋण, निवेश, गारंटी एवं प्रतिभूति नहीं है जिसका अधिनियम की धाराएँ 185 तथा 186 के तहत अनुपालन आवश्यक हो| तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (iv) लागू नहीं है|

(iv) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कोई राशि जमा नहीं की गई है जिसे अधिनियम की धारा 73 से 76 के प्रावधानों एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के अंतर्गत जमा माना जाए| तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (v) लागू नहीं है|

(vi) कंपनी एक सेवा प्रदाता/व्यापारिक प्रतिष्ठानहै और इसलिए अधिनियम की धारा 148 की

उपधारा (1) के तहत लागत अभिलेख के अनुरक्षण की आवश्यकता नहीं है। तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (vi) लागू नहीं है|

(vii) (क) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, कंपनी ग़ैर-विवादित सांविधिक बकाये से संबंधित लेखा-बही में कटौती की गई/जमा राशि जिसमें माल एवं सेवा कर, कंपनी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निधि, आयकर, उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक बकाया शामिल है, को उपयुक्त प्राधिकारी को सामान्यत: नियमित तरीके से जमा कराती रही है।

हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, माल एवं सेवा कर, कंपनी भविष्य निधि, राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली निधि, आयकर, उत्पाद-शुल्क, सीमा-शुल्क, उपकर एवं अन्य कोई सांविधिक बक़ाया से संबंधित कोई भी ग़ैर-विवादित राशि देय नहीं थी जिसे 31 मार्च, 2022 तक भुगतान किए जाने हेतु छ: महीने से अधिक अवधि तक बक़ाया के तौर पर रखा गया हो|

(ख) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, विवाद के कारण, सेवाकर, बिक्री कर एवं मूल्य संवर्धित कर कंपनी द्वारा जमा नहीं कराए गए हैं :

(viii) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी ने आयकर अधिनियम,1961 के अंतर्गत कर आकलन में पिछले वर्ष लेखा-बही में दर्ज़ नहीं किए गए किसी भी अंतरण को आय के तौर पर अभ्यर्पित या प्रकट नहीं किया है| तदनुसार, आदेश का अनुच्छेद 3 (viii) लागू नहीं है|

(ix) वर्ष के दौरान, कंपनी के पास कोई ऋण नहीं है या कोई उधारी नहीं ली गई है और न ही वर्ष के अंत में लंबित है| तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (ix) (क) से 3 (ix) (च) लागू नहीं हैं|

(x) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार, कंपनी ने प्रारंभिक सार्वजनिक प्रस्ताव या अगले सार्वजनिक प्रस्ताव (ऋण पत्रक सहित) द्वारा कोई उगाही नहीं की है और न ही वर्ष के दौरान कोई अधिमान्य आबंटन या शेयर का निजी स्थानन या विनिमेय ऋणपत्र जारी नहीं किया है| तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (ix) (क) एवं (ख) लागू नहीं हैं|

(xi) (क) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई धोखाधड़ी नहीं की गई या कंपनी से धोखाधड़ी की कोई घटना देखी गई या रिपोर्ट की गई है।

(ख) वर्ष के दौरान, कंपनी (लेखापरीक्षण एवं लेखापरीक्षक) नियम, 2014 के नियम 13 के तहत यथावर्णित फॉर्म एडीटी-4 में केंद्र सरकार के साथ अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (12) के अंतर्गत कोई रिपोर्ट दर्ज़ नहीं की गई है|

(ग) जैसा कि प्रबंधन द्वारा वर्णित किया गया है, वर्ष के दौरान, कंपनी द्वारा सूचना प्रदाता संबंधी कोई भी परिवाद प्राप्त नहीं हुआ है|

(xii) कंपनी, कोई निधि कंपनी नहीं है। तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xii) लागू नहीं हैं|

(xiii) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, संबंधित पक्षों के साथ अंतरण यथा लागू अधिनियम की धारा 177 एवं 188 का अनुपालन करते हैं और लागू होने वाले लेखा विधि मानकों द्वारा यथापेक्षित वित्तीय विवरणी में इनके विवरण उल्लिखित किए गए हैं।

क्रम सं.	अध्यादेश का नाम	बकाये की प्रकृति	राशि (₹ लाख में)	बकाये की अवधि	न्यायालय जहाँ मामला लंबित है
1	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	885.33	01 जुलाई, 2012 से 30 सितम्बर, 2013 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण (सी.ई.एस.टी.ए.टी),बेंगलूरु
2	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	163.02	01 अक्तूबर, 2013 से 30 सितम्बर, 2014 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण (सी.ई.एस. टी.ए.टी), बेंगलूरु
3	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	264.18	01 अक्तूबर, 2014 से 30 सितम्बर, 2015 तक	केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवाकर अपील अधिकरण (सी.ई.एस टी.ए.टी),बेंगलूरु
4	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003 एवं केंद्रीय बिक्री कर, 1956	के.वी.ए.टी एवं केंद्रीय बिक्री कर	19,683.09	01 अप्रैल, 2005 से 31 जुलाई, 2008 तक	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय
5	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003 एवं केंद्रीय बिक्री कर, 1956	के.वी.ए.टी एवं केंद्रीय बिक्री कर	7,109.80	01 अप्रैल, 2008 से 31 मार्च, 2010 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
6	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	20,320.02	01 अप्रैल, 2009 से 31 मार्च, 2010 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
7	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	20,577.15	01 अप्रैल, 2010 से 31 मार्च, 2011 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
8	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	23,325.87	01 अप्रैल, 2011 से 31 मार्च, 2012 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
9	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	26,183.62	01 अप्रैल, 2012 से 31 मार्च, 2013 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
10	कर्नाटक मूल्य संवर्धित कर (के.वी.ए.टी) अधिनियम, 2003	के.वी.ए.टी	26,328.42	01 अप्रैल, 2013 से 31 मार्च, 2014 तक	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय
11	वित्त अधिनियम 1994	सेवाकर	366.96	01 जनवरी, 2017 से 30 जून, 2017 तक	केंद्रीय कर आयुक्त (अपील), बेंगलूरु
12	आयकर अधिनियम 1961	आयकर	211.48	मूल्यांकन वर्ष 2017-18	आयकर आयुक्त (अपील),

(xiv) (क) हमारे मत एवं हमारे परीक्षण के आधार पर, कंपनी के व्यापार के आकार एवं प्रकार के अनुरूप आंतरिक लेखापरीक्षण प्रणाली है| (ख) हमने लेखापरीक्षण वर्ष के दौरान,कंपनी से संबंधित अब तक जारी की गई लेखा

रिपोर्ट की आंतरिक लेखापरीक्षण रिपोर्ट पर विचार किया है|

(xv) हमें प्राप्त सूचना एवं स्पष्टीकरण के अनुसार और कंपनी के अभिलेखों के परीक्षण के आधार पर, वर्ष के दौरान, कंपनी ने निदेशकों या उनसे संबंधित व्यक्तियों के साथ कोई ग़ैर नकदी अंतरण नहीं किया है| तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3(xv) लागू नहीं हैं|

(xvi) (क) भारतीय रिज़र्व बैंक अधिनियम, 1934 की धारा 45-I अ के तहत कंपनी को पंजीकृत किए जाने की आवश्यकता नहीं है| तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (क) लागू नहीं हैं|

(ख) कंपनी ग़ैर-बैंकिंग वित्तीय या आवास हेतु वित्तीय क्रियाकलापों में संलिप्त नहीं है| तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (ख) लागू नहीं हैं|

(ग) भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बनाए गए परिनियमों की परिभाषा के अनुसार, कंपनी मूल रूप से कोई निवेश कंपनी नहीं है| तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (ग) लागू नहीं हैं|

(घ) भारतीय रिज़र्व बैंक दिशानिर्देश 2016 के अनुसार, कंपनी के पास कोई समूह कंपनी नहीं है जैसा कि मूल रूप से निवेश कंपनी के लिए पा\रिभाषित है| तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xvi) (घ) लागू नहीं हैं|

(xvii) कंपनी को वर्तमान वर्ष और इससे पूर्व के वित्तीय वर्ष में कोई धन-हानि नहीं हुई है|

(xviii) वर्ष के दौरान, सांविधिक लेखापरीक्षक ने त्यागपत्र नहीं दिया है और तदनुसार, आदेश के अनुच्छेद 3 (xviii) लागू नहीं हैं|

(xix) हम अपनी लेखापरीक्षण रिपोर्ट में "जारी व्यापार से संबंधित वस्तुगत अनिश्चितता" के अनुच्छेद में बताए गए मामले का उल्लेख करते हैं जो इंगित करता है कि एक वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है जिसके चलते कंपनी के जारी व्यापार को नियमित रखने के प्रति संदेह उत्पन्न होती है| उस मामले को छोड़कर, दूसरे इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणी के लिए नोट 53 में प्रकट वित्तीय अनुपातों के आधार पर, वित्तीय परिसंपत्तियों की आयु और उनके प्रापण की संभावित तिथि और वित्तीय देयताओं के भुगतान के साथ निदेशक-मंडल एवं प्रबंधन की योजनाओं की जानकारी और धारणाओं का समर्थन करने वाले साक्ष्य की हमारी जाँच के आधार पर, हमारे ध्यान में ऐसा कुछ भी नहीं आया है जिससे हमें विश्वास हो कि लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तारीख तक कोई भी वस्तुगत अनिश्चितता मौजूद है जिसे कंपनी तुलन-पत्र की तिथि पर विद्यमान तुलन-पत्र की तारीख से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय अपनी देयताओं को चुकता करने के लिए सक्षम नहीं हो | हालाँकि, हम कहते हैं कि यह कंपनी की भविष्य की व्यवहारिकता के बारे में कोई आश्वासन नहीं है। आगे हम कहते हैं कि हमारी रिपोर्टिंग लेखापरीक्षण रिपोर्ट की तिथि तक उपलब्ध तथ्यों पर आधारित है और हम न तो कोई गारंटी देते हैं और न ही कोई आश्वासन देते हैं कि तुलन-पत्र की तिथि से एक वर्ष की अवधि के भीतर देय होने वाली सभी देयताओं, जैसे ही वे देय हों, का कंपनी द्वारा भुगतान कर दिया जाएगा।

(xx)	(क) जारी परियोजनाओं के अलावा कोई अव्ययित राशि नहीं रही है जिसे अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के द्वितीय प्रावधान के अनुपालन में अधिनियम की अनुसूची VII में वर्णित निधि में हस्तांतरित करने की आवश्यकता हो|	(ख) वैसी कोई भी जारी परियोजनाएँ जिसमें सभी राशि जो अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 5 के अंतर्गत अव्यतित रही है, उसे उक्त अधिनियम की धारा 135 की उपधारा 6 के प्रावधानों के अंतर्गत विशेष लेखा में अंतरित कर दी गई हैं|

कृते एस पी आर एवं कं
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 009784 एस)

हस्ता/-
(एस वेदवल्ली)
भागीदार
सदस्य सं. 210255

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 19 जुलाई 2022

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के सदस्यों के लिए 31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष की स्वतंत्र लेखापरीक्षक रिपोर्ट से संबंधित अनुलग्नक "ख"

कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 143 की उपधारा 3 के अनुच्छेद (i) के तहत इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्ट

हमने मेसर्स एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड (कंपनी) की 31 मार्च, 2022 तक की इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का लेखापरीक्षण किया है जो उस तिथि तक समाप्त हुए वर्ष के लिए कंपनी की इण्ड ए.एस वित्तीय विवरणी के लेखापरीक्षण से संयोजित है|

आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रबंधन का उत्तरदायित्व:

भारत के सनदी लेखाकार संस्थान (आइ.सी.ए.आइ.) द्वारा जारी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर दिशानिर्देश नोट ("दिशानिर्देश नोट") में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए वित्तीय नियंत्रण की स्थापना एवं अनुरक्षण हेतु कंपनी का प्रबंधन उत्तरदायी है| इन उत्तरदायित्वों में व्यापार का सुचारु एवं सक्षम संचालन सुनिश्चित करने के लिए पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का डिजाइन, क्रियान्वयन और अनुरक्षण शामिल है और अधिनियम के तहत यथापेक्षित कंपनी की नीतियाँ, इसकी परिसंपत्तियों की सुरक्षा, लेखाविधि अभिलेखों की सत्यता एवं पूर्णता तथा विश्वसनीय वित्तीय सूचना का समय पर तैयारी भी शामिल है |

लेखापरीक्षकों का उत्तरदायित्व:

हमारा उत्तरदायित्व कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण से संबंधित इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में अपने लेखापरीक्षण पर आधारित अपना मत प्रकट करना है | हमने आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत आइ.सी.ए.आइ द्वारा जारी विहित लेखा परीक्षण दिशानिर्देश नोट एवं मानकों के अनुसार अपना लेखापरीक्षण किया है, उस सीमा तक जो आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण हेतु लागू है| इन मानकों तथा दिशानिर्देश नोट के लिए यह आवश्यक है कि हम नैतिक आवश्यकताओं का अनुपालन करें और योजना बनाएँ तथा इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय रिपोर्टिंग हेतु पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण स्थापित और अनुरक्षित करें और ऐसे सभी महत्वपूर्ण पहलुएँ प्रभावशाली ढंग से प्रचालित किए गए या नहीं, इसके बारे में उपयुक्त आश्वासन प्राप्त करने के लिए लेखापरीक्षण संपन्न करें |

हमारे लेखापरीक्षण में, इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ एवं उनकी परिचालन संबंधी प्रभावोत्पादकता के विषय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली की पर्याप्तता के बारे में लेखापरीक्षण प्रमाण प्राप्त करने के लिए निष्पादन प्रक्रियाएँ शामिल हैं| वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण में इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ से जुड़े आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के बारे में जानकारी प्राप्त करना, वस्तुगत कमी से संबंधित जोख़िम का आकलन करना और आकलित जोख़िम के आधार पर आंतरिक नियंत्रण के परिरूप तथा प्रचालनीय प्रभावोत्पादकता का परीक्षण एवं मूल्यांकन शामिल है| इसके लिए चयनित प्रक्रियाएँ लेखापरीक्षक के निर्णय पर निर्भर करता है जिसमें वित्तीय विवरणी में, धोखाधड़ी से या भूलवश की गई वस्तुपरक ग़लत बयानी से उत्पन्न जोख़िम का आकलन शामिल है|

हमें विश्वास है कि लेखापरीक्षण प्रमाण जो हमने प्राप्त किए हैं,वे कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली से जुड़े इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ में वित्तीय नियंत्रण के बारे में अपने लेखापरीक्षण मत प्रकट करने के लिए आधार के तौर पर पर्याप्त एवं उपयुक्त हैं|

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण का अर्थ

एक कंपनी की इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण एक

प्रक्रिया है जिससे वित्तीय रिपोर्टिंग की विश्वसनीयता से संबंधित उचित आश्वासन तथा सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि सिद्धांतों के अनुसार बाह्य उद्देश्यों के लिए वित्तीय विवरणी की तैयारी प्रदान होती हैं| एक कंपनी की इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में वे नीतियाँ और प्रक्रियाएँ शामिल हैं जो (i) कंपनी की परिसंपत्ति के अंतरण एवं वितरण की सटीक एवं सही, उचित विवरण सहित, अभिलेखों के अनुरक्षण से संबंधित है; (ii) उचित आश्वासन प्रदान करती हैं कि अभिलिखित अंतरण सामान्यतया स्वीकृत लेखाविधि के अनुसार वित्तीय विवरणी तैयार करने की अनुमति हेतु आवश्यक है और कंपनी की प्राप्ति एवं व्यय कंपनी के निदेशकों एवं प्रबंधन के प्राधिकार के अनुरूप तैयार किए जाते हैं; और, (iii) कंपनी की परिसंपत्ति की अनधिकृत प्राप्ति, उपयोग या वितरण से संबंधित समय पर पहचान या रोकथाम के लिए उचित आश्वासन प्रदान करती हैं जिसका वित्तीय विवरणी पर वस्तुपरक प्रभाव पड़ता हो |

वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमा

इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों की अंतर्निहित परिसीमन के कारण मिलीभगत की संभावनाओं या नियंत्रण के अनुचित प्रबंधन प्रत्यादेश के कारण, भूल या धोखाधड़ी के कारण वस्तुपरक ग़लतबयानी हो सकती है और जिसकी पहचान नहीं की जा सकती| साथ ही, भविष्य के लिए इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के किसी मूल्यांकन का प्रक्षेप जोख़िम भरा है| इस कारण, इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण शर्तों में परिवर्तन के कारण अपर्याप्त हो सकता है या नीतियों या प्रक्रियाओं के साथ अनुपालन का स्तर घट सकता है|

मत

हमारे मत से, सभी आर्थिक पहलुओं में, कंपनी के पास इन इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के संदर्भ से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण है और ऐसे आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लेखापरीक्षण पर आइ.सी.ए.आइ द्वारा जारी दिशानिर्देश नोट में उल्लिखित आंतरिक नियंत्रण के आवश्यक घटकों पर विचार करते हुए कंपनी द्वारा स्थापित वित्तीय रिपोर्टिंग मापदंड पर आधारित ऐसी वित्तीय रिपोर्टिंग से संबंधित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी ढंग से प्रचालित हो रहे थे |

कृते एस पी आर एवं कं
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 009784 एस)

हस्ता/-
(एस वेदवल्ली)
भागीदार
सदस्य सं. 210255
यूडीआइएन: 22210255ANIGAV9889

स्थान: बेंगलूरु
तिथि: 19 जुलाई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के इण्ड ए.एस. वित्तीय विवरणियों के लेखापरीक्षण से संबंधित कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (5) के अंतर्गत प्राप्त निर्देशों पर स्वतंत्र लेखा परीक्षक की रिपोर्ट

क्र. सं.	निर्देश	उत्तर
1.	क्या कंपनी के पास आइटी प्रणाली से सभी लेखाविधि अंतरण किए जाने की प्रणाली स्थापित है? यदि हाँ, तो आइटी से अलग लेखाविधि अंतरण प्रक्रिया पर लेखा के एकीकरण सहित वित्तीय प्रभाव पड़ने के कारणों, यदि कोई हों, का उल्लेख करें।	जी हाँ, कंपनी के पास आइटी प्रणाली से सभी लेखाविधि अंतरण किए जाने की प्रणाली स्थापित है। हालाँकि कुछ लेखाविधि प्रविष्टियाँ एक्सेल स्प्रेडशीट एवं अन्य प्रणालियों से हैं किंतु इन्हें उपयुक्त अनुमोदन एवं नियंत्रण के बाद लेखाविधि आइटी प्रणाली द्वारा प्रक्रमित किया जाता है।
2.	क्या कंपनी द्वारा ऋण की फिर से अदायगी में अक्षम होने के कारण वर्तमान उधार/ ऋण/ ब्याज इत्यादि को छोड़ देने या बट्टे खाते में डालने के लिए पुन: संरचनाबद्ध किया गया है? यदि हाँ, तो उसके वित्तीय प्रभाव का उल्लेख करें। क्या ऐसे मामलों से संबंधित संपति लेखाविधित की जाती है?	कंपनी के पास वर्ष के दौरान कोई ऋण या अन्य उधारी नहीं है या वर्ष के अंत में कोई लंबित भी नहीं है। इसलिए इस निर्देश के अंतर्गत कोई रिपोर्टिंग लागू नहीं होती।
3.	क्या केंद्र / राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए प्राप्त/प्राप्य निधि (अनुदान/सहायता राशि आदि) उचित ढंग से लेखाविधित की गई / इसके नियम एवं शर्तों के अनुरूप उपयोग में लाई गई ? विचलन के मामलों को सूचीबद्ध करें।	केंद्र/राज्य सरकार या इसकी एजेंसियों से विशिष्ट उद्देश्यों के लिए कोई निधि न तो प्राप्त हुई है और न ही प्राप्य है। वित्तीय विवरणियों के नोट में उल्लिखित नोट 41 के अंतर्गत रिपोर्ट की गई अनुदान राशि लेखाविधि मानक के अनुपालन के लिए उचित मूल्यांकन पर आधारित महज मान ली गई राशि है।

कृते एस पी आर एवं कं
सनदी लेखाकार
(प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 009784 एस)

हस्ता/-
(एस वेदवल्ली)
भागीदार
सदस्य सं. 210255
यूडीआइएन: 22210255ANIGAV9889

स्थान : बेंगलूरु
तिथि : 19 जुलाई 2022

दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणियों पर कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143(6) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की प्रारूपित टिप्पणी

दिनांक 31 मार्च, 2022 वर्ष के लिए कंपनी अधिनियम, 2013 (अधिनियम) में विनिर्दिष्ट वित्तीय रिपोर्टिंग कार्य-ढाँचे के अनुसार एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी तैयार करना कंपनी के प्रबंधन की जिम्मेदारी है । इस अधिनियम की धारा 139(5) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त सांविधिक लेखापरीक्षक/लेखापरीक्षकगण, अधिनियम की धारा 143 (10) के तहत विनिर्दिष्ट लेखापरीक्षा मानक के अनुसार स्वतंत्र रूप से लेखापरीक्षा करते हुए इन वित्तीय विवरणियों पर अधिनियम की धारा 143 के तहत अपना विचार व्यक्त करने के लिए उत्तरदायी है/हैं । दिनांक 1**9.07.2022** की उनकी लेखापरीक्षा रिपोर्ट में उनके द्वारा ऐसा किए जाने के बारे में उल्लेख है ।

मैंने, अधिनियम की धारा 143(6)(क) के तहत भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की तरफ़ से 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड की वित्तीय विवरणी की पूरक लेखापरीक्षा की है । यह पूरक लेखापरीक्षा सांविधिक लेखापरीक्षकों के कार्य-संबंधी कागज़ात प्राप्त किए बिना स्वतंत्र रूप से की गई है और प्राथमिक रूप से यह सांविधिक लेखापरीक्षकों और कंपनी के कार्मिकों से पूछताछ एवं कुछ चुनिंदा परीक्षण तक ही सीमित है ।

अपनी लेखापरीक्षा के आधार पर, कुछ भी विशेष मेरे संज्ञान में नहीं आया है जिसकारण अधिनियम की धारा 143(6)(ख) के तहत सांविधिक लेखापरीक्षक रिपोर्ट पर कोई टिप्पणी की जा सके या परिशिष्ट तैयार की जाए ।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
महानिदेशक लेखापरीक्षा
पर्यावरण एवं वैज्ञानिक विभाग

स्थान : नई दिल्ली
तिथि : 21.09.2022

विस्तृत वित्तीय विवरणी

सीआइएन:U85110KA1992GOI013570

31.03.2022 तक तुलन पत्र

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
परिसंपत्ति:			
(1) दीर्घकालीन परिसंपत्ति			
(क) संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर	4	903.19	1,021.93
(ख) अन्य अमूर्त परिसंपत्ति	4 ए	19.45	38.50
(ग) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	5	256.06	261.51
(घ) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) ऋण	6	0.57	1.15
(ii) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	7	4,815.72	0.48
(ङ.) आस्थगित कर परिसम्पत्ति (निवल)	31	3,046.65	3,099.98
(च) अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति	8	33,825.43	32,697.55
		42,867.07	37,121.10
(2) चालू परिसंपत्ति			
(क) सूची	9	15.72	16.63
(ख) वित्तीय परिसंपत्ति			
(i) व्यापार प्राप्तियाँ	10	18,558.09	41,867.25
(ii) नकद एवं नकद समतुल्य	11	237.18	348.17
(iii) नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक बचत	12	87,025.76	93,561.22
(iv) अन्य वित्तीय परिसंपत्ति	13	2,554.57	3,260.50
(ग) अन्य चालू परिसंपत्ति	14	13,977.86	14,381.31
		1,22,369.18	1,53,435.08
		1,65,236.25	**1,90,556.18**
एक्विटी एवं देयता:			
(1) एक्विटी			
(क) एक्विटी शेयर पूँजी	15	680.00	680.00
(ख) अन्य एक्विटी	16	1,50,706.62	1,56,051.45
		1,51,386.62	1,56,731.45
(2) देयता			
दीर्घकालीन देयता			
(क) वित्तीय देयता			
(i) पट्टा देयता	17	270.38	270.95
(ख) प्रावधान	18	-	39.97
		270.38	310.92
चालू देयता			
(क) वित्तीय देयता			
(i) पट्टा देयता	17	0.57	0.52
(ii) व्यापार देय	19		
(अ) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों की कुल बकाया राशि		5.25	14.20
(ब) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों की कुल बकाया राशि		9,412.51	24,242.71

(iii) अन्य वित्तीय देयता	20	1,205.05	2,061.50
(ख) अन्य चालू देयता	21	2,240.42	6,364.13
(ग) प्रावधान	22	715.45	830.75
		13,579.25	33,513.81
		1,65,236.25	**1,90,556.18**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	3		
संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं|			

यह तुलनपत्र हमारे समतिथीय रिपोर्ट से संदर्भित है|

कृते एस पी आर एवं कं
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 009784 एस

हस्ता/-
(एस वेदवल्ली)
भागीदार
सदस्य सं. 210255
यूडीआइएन: 22210255ANIGAV9889
बेंगलूरु
तिथि: 19 जुलाई 2022

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 19 जुलाई 2022

सीआइएन:U85110KA1992G3570

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लाभ तथा हानि लेखा

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

	विवरण	नोट सं.	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
I	प्रचालनों से राजस्व:	23	18,164.62	65,438.12
II	अन्य आय	24	5,079.87	5,520.08
III	**कुल आय (I +II)**		**23,244.49**	**70,958.20**
IV	**व्यय:**			
	(i) प्रचालनों से राजस्व की लागत	25	15,987.56	60,668.75
	(ii) माल की सूची में परिवर्तन	26	0.91	23.14
	(iii) कर्मचारी लाभ व्यय	27	329.34	352.05
	(iv) वित्त लागत	28	22.27	22.30
	(v) मूल्यह्रास व संक्रामण व्यय	4,4ए & 5	146.55	175.61
	(vi) अन्य व्यय	29	3,133.58	1,993.88
	(vii) कुल व्यय (IV)		**19,620.21**	**63,235.73**
V	**कर पूर्व लाभ (III - IV)**		3,624.28	7,722.47
VI	**कर व्यय:**			
	(i) चालू कर		1,075.20	2,080.56
	(ii) आस्थगित कर	30	53.33	70.79
VII	**वर्ष हेतु लाभ (V - VI)**		**2,495.75**	**5,571.12**
VIII	**अन्य व्यापक आय**			
	क (i) सामग्री जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा| निर्धारित लाभ योजना का पुनर्मापन		12.62	4.63
	(ii) सामग्री से संबंधित आयकर जिसे लाभ एवं हानि में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा |		(3.20)	(1.17)
	वर्ष के लिए कुल अन्य व्यापक आय/(हानि) क (i+ii)		9.42	3.46
IX	**वर्ष के लिए कुल व्यापक आय (VII+VIII)**		**2,505.17**	**5,574.58**
X	प्रति एक्विटी शेयर आय (शेयर का अंकित मूल्य): ₹. 100 (31 मार्च, 2021)			
	(1) (1) मौलिक/समायोजित (₹)	32	367.02	819.28
	महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियाँ	3		

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं|

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार यह लाभ तथा हानि लेखा है|

कृते एस पी आर एवं कं
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 009784 एस

हस्ता/-
(एस वेदवल्ली)
भागीदार
सदस्य सं. 210255
यूडीआइएन: 22210255ANIGAV9889
बेंगलूरु
तिथि: 19 जुलाई 2022

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 19 जुलाई 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए नकद प्रवाह विवरणी

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख रुपए में हैं)

	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क. प्रचालन गतिविधियों से नकद प्रवाह		
कर पूर्व लाभ	**3,624.28**	**7,722.47**
समायोजन:		
वित्त लागत (पट्टा देयता)	22.27	22.30
मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय	146.55	175.61
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की बिक्री से हानि	0.18	0.28
संदिग्ध ऋण हेतु प्रावधान	(243.89)	(322.14)
नकद और नकद समतुल्य से अप्राप्य विदेशी मुद्रा लाभ	-	(4.65)
बैंक जमा राशि से प्राप्त ब्याज आय	(4,420.61)	(4,176.39)
सरकारी अनुदान से आय	(22.69)	(22.69)
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से पहले प्रचालन लाभ	**(893.91)**	**3,394.79**
कार्यरत पूँजी परिवर्तन से समायोजन		
वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी - ऋण	0.58	(0.48)
अन्य दीर्घकालीन वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	-	18.24
अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	1,380.78	(7,684.90)
वस्तु-सूची में (वृद्धि)/कमी	0.91	23.14
व्यापार प्राप्तियों में (वृद्धि)/कमी	23,553.05	76,491.90
अन्य चालू वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	116.05	752.47
अन्य चालू परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	416.07	8,183.90
अन्य दीर्घकालीन वित्तीय देयता में (वृद्धि)/कमी	-	-
अन्य दीर्घकालीन देयता में (वृद्धि)/कमी	-	-
अन्य दीर्घकालीन प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(39.97)	(10.59)
व्यापार देय में (वृद्धि)/कमी	(14,839.15)	(44,371.48)
अन्य चालू वित्तीय देयता में (वृद्धि)/कमी	(856.45)	(3,967.70)
अन्य दीर्घकालीन देयता में (वृद्धि)/कमी	(4,123.71)	(4,146.41)
अन्य चालू प्रावधानों में (वृद्धि)/कमी	(115.30)	268.75
प्रचालन-जनित नकद	**4,598.95**	**28,951.63**
घटाइए: आयकर प्रदत्त (निवल)	(3,587.06)	(7,188.77)
प्रचालनीय क्रियाकलापों से प्राप्त निवल नकद	**1,011.89**	**21,762.86**
ख. निवेश क्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
अन्य बैंक शेषराशि एवं अन्य वित्तीय परिसंपत्ति में (वृद्धि)/कमी	1,736.16	(18,195.31)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की ख़रीद	(3.66)	(26.46)
संपत्ति, संयंत्र एवं उपस्कर की बिक्री	0.17	0.23
बैंक में जमा से प्राप्त आय	4,994.55	5,169.15
निवेश क्रियाकलापों से प्राप्त/(में प्रयुक्त) निवल नकद	**6,727.22**	**(13,052.39)**

ग .वित्तीयक्रियाकलापों से नकद प्रवाह		
पट्टा देयता के भुगतान पर ब्याज	(0.10)	(0.10)
प्रदत्तलाभांश	(7,850.00)	(8,500.00)
वित्तीयक्रियाकलापों में प्रयुक्त निवल नकद	**(7,850.10)**	**(8,500.10)**
नकद एवं नकद समतुल्य में निवल में (कमी)/वृद्धि	**(110.99)**	**210.37**
वर्ष के आरंभ में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 13 का संदर्भ लें)	348.17	133.15
नकद एवं नकद समतुल्य पर विनिमय दरों में बदलाव से पड़ने वाले प्रभाव	-	4.65
वर्ष के अंत में नकद एवं नकद समतुल्य (नोट 13 का संदर्भ लें)	**237.18**	**348.17**
नकद एवं नकद समतुल्य के अंग		
बैंक में शेष	237.07	348.00
नकद	0.11	0.17
कर्मचारियों के पास अग्रदाय नकद	-	-
	237.18	**348.17**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ	**नोट 3**	
संलग्न नोट इन वित्तीयविवरणियों के अभिन्न अंग हैं|		

यह तुलनपत्र हमारे समतिथीय रिपोर्ट से संदर्भित है|
कृते एस पी आर एवं कं
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं.: 009784 एस

हस्ता/-
(एस वेदवल्ली)
भागीदार
सदस्य सं. 210255
यूडीआइएन:22210255ANIGAV9889
बेंगलूरु
तिथि: 19 जुलाई 2022

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए एवं उनकी ओर से

हस्ता/-
(संजय कुमार अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त
डीआइएन 08200144
बेंगलूरु
तिथि: 19 जुलाई 2022

सीआइएन: U85110KA1992GOI013570

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुई अवधि के लिए एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

क. एक्विटी शेयर पूँजी		31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
(i)	वर्ष के आरंभ में शेष	**680.00**	**680.00**
(ii)	पूर्वावधि भूल के कारण एक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
(iii)	वर्ष के आरंभ में पुनरोक्त शेष	680.00	680.00
(iv)	वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर पूँजी में परिवर्तन	-	-
(v)	वर्ष के अंत में शेष	**680.00**	**680.00**

ख. अन्य एक्विटी	रिज़र्व एवं अधिशेष								कुल	
विवरण	सामान्य रिज़र्व		पूँजी पुनर्लाभ रिज़र्व (सांविधिक)		प्रतिधारित आय (अधिशेष)		अन्य व्याप्क आय के मद			
	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक	31 मार्च 2022 तक	31 मार्च 2021 तक
(i) वर्ष के आरंभ में शेष	**1,06,614.10**	**1,06,614.10**	**60.00**	**60.00**	**49,383.11**	**52,311.99**	**(5.76)**	**(9.22)**	**1,56,051.45**	**1,58,976.87**
(ii) लाभांश	-	-	-	-	(7,850.00)	(8,500.00)	-	-	(7,850.00)	(8,500.00)
(iii) वर्ष के लिए लाभ	-	-	-	-	2,495.75	5,571.12	-	-	2,495.75	5,571.12
(iv) पारिभाषित लाभ योजना का पुनर्मापन (आय्कर से निवल)	-	-	-	-	-	-	9.42	3.46	9.42	3.46
(v) वर्ष के अंत में शेष	**1,06,614.10**	**1,06,614.10**	**60.00**	**60.00**	**44,028.86**	**49,383.11**	**3.66**	**(5.76)**	**1,50,706.62**	**1,56,051.45**

Note :

1. सामान्य रिज़र्व : यह अर्जित आय से सृजित मुक्त रिज़र्व है जो किसी विशेष उद्देश्य के लिए नहीं है और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप उपयोग के लिए है।
2. मूलधन विमोचन रिज़र्व: कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुसार, मूलधन विमोचन रिज़र्व का सृजन तब होता है जब कंपनी मुक्त रिज़र्व या प्रतिभूति अग्रधन से अपने शेयर स्वयं ख़रीदती है। नाममात्र मूल्य के ख़रीदे गए शेयर के बराबर की राशि मूलधन विमोचन रिज़र्व में हस्तांतरित की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुरूप इस रिज़र्व का उपयोग किया जाता है। विमोचन रिज़र्व में हस्तांतरित की गई है। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 69 के प्रावधानों के अनुरूप इस रिज़र्व का उपयोग किया जाता है।

संलग्न नोट इन वित्तीय विवरणियों के अभिन्न अंग हैं।

हमारी संलग्न समतिथीय रिपोर्ट के अनुसार यह एक्विटी में परिवर्तन की विवरणी है

एस.पी.आर एवं कं. के लिए.
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं. 009784S

(हस्ता/-)
(एस. वेदवल्ली)
भागीदार
सदस्यता सं. 210255
यूडीआइएन: 22210255ANIGAV9889
स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 19 जुलाई, 2022

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल के लिए एवं की ओर से

(हस्ता/-)
(संजय कुमार अग्रवाल)
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)
डीआइएन: 08200144
स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 19 जुलाई, 2022

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट
(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

1. कंपनी का विहंगमावलोकन

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड ("एन्ट्रिक्स" या "कंपनी") भारतीय अंतरिक्ष कार्यक्रम द्वारा विकसित उत्पादों तथा सेवाओं के विपणन में शामिल है। एन्ट्रिक्स, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण के अंतर्गत भारत सरकार की एक पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है | एन्ट्रिक्स, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (इसरो) का वाणिज्यिक अंग है |

एन्ट्रिक्स के व्यापारिक क्रियाकलाप इस प्रकार हैं:

- संचार उपग्रह प्रेषानुकर का प्रावधान
- भारतीय सुदूर संवेदन (आइ.आर.एस.) हेतु अभिगमन प्रदान करना
- ग्राहक सेवाओं हेतु उपग्रह प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करना
- भारतीय एवं विदेशी सुदूर संवेदन उपग्रहों से प्राप्त आँकड़ों का विपणन
- उपग्रह, उपग्रह उपप्रणाली एवं प्रमोचन यान उपप्रणाली का निर्माण एवं विपणन
- अंतरिक्ष अनुप्रयोग के लिए संबद्ध भू-अवसंरचना स्थापित करना; तथा
- उपग्रह के लिए मिशन सहायता सेवाएँ |

अंतरिक्ष भवन परिसर, न्यू बी.ई.एल रोड, बेंगलूरु-560094 में कंपनी का पंजीकृत कार्यालय स्थित है |

निदेशकमंडल ने 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी को अनुमोदन प्रदान किया और इसे 19 जुलाई, 2022 को जारी करने के लिए अधिकृत किया|

2. अनुपालन-विवरण

ये वित्तीय विवरणी भारतीय लेखा मानक (इण्ड ए.एस.) के अनुरूप यथावर्णित कंपनी अधिनियम, 2013 ('अधिनियम') की धारा 133, समय-समय पर यथासंशोधित पठ्य कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, के तहत तैयार किए गए हैं|

3. महत्वपूर्ण लेखाविधि नीतियों का सारांश

3.1 तैयारी एवं प्रस्तुति का आधार

ये वित्तीय विवरणी प्रोद्भवन के आधार पर ऐतिहासिक लागत के तहत इण्ड ए.एस. के अनुरूप तैयार की गई हैं सिवाय कुछ वित्तीय संलेखों के जिनका मापन प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उचित मूल्यों या परिशोधित लागत के आधार पर किया गया है|

वर्गीकरण विभाजन से संबंधित वित्तीय विवरणी इण्ड ए.एस.1," वित्तीय विवरणी की प्रस्तुति "में समाविष्ट है| स्पष्टता के लिए, लाभ तथा हानि लेखा एवं तुलनपत्र में कई मद समेकित किए गए हैं| ये मद, वित्तीय विवरणी की नोट, जहाँ कहीं भी लागू हो, में अलग से रखे गए हैं| ये वित्तीय विवरणी अधिनियम की अनुसूची III के तहत निर्धारित प्रारूप में तैयार और प्रस्तुत की गई हैं|

जहाँ नए जारी किए गए लेखा मानक प्रारंभ में अपनाए गए हों या उस समय उपयोग में आने वाली लेखाविधि नीतियों में बदलाव के लिए विद्यमान लेखा मानक में संशोधन जरूरी हुआ हो, को छोड़ कर लेखाविधि नीतियाँ सुसंगत ढंग से लागू की गई हैं ।

3.2 प्रकार्यात्मक एवं प्रस्तुति मुद्रा

ये वित्तीय विवरणी भारतीय रुपए (₹), जो कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा है, में प्रस्तुत की गई है। सभी राशियाँ निकटतम लाख के मान में पूर्ण की गई हैं।

3.3 प्रचालन-चक्र एवं चालू तथा दीर्घकालीन वर्गीकरण

परिसंपत्ति एवं देयता के चालू/दीर्घकालीन वर्गीकरण के उद्देश्य से, कंपनी ने अपने सामान्य प्रचालन-चक्र को बारह महीने का नियत कर रखा है| यह सेवाओं की प्रकृति एवं संपत्ति या सूची को प्रक्रमित करने एवं उन्हें नकद और नकद समतुल्य प्रापण के बीच लगने वाले समय पर आधारित है|

कोई भी परिसंपत्ति या देयता चालू मानी जाएगी अगर वे निम्नलिखित शर्तें पूरी करती है :

i. कंपनी के सामान्य परिचालन काल में ही किसी परिसंपत्ति/देयता को प्राप्त/भुगतान किया जा सके;

ii. परिसंपत्ति बिक्री या उपभोग के लिए अभिलक्षित हो;

iii. परिसंपत्ति/देयता को मूलत: व्यापार के लिए रखा जाए;

iv. विवरित अवधि के बाद बारह महीने के भीतर परिसंपत्ति/देयता को प्राप्त/भुगतान किया जा सके;

v. परिसंपत्ति नकद या नकद समतुल्य है जबतक इसकी अदला-बदली पर रोक न लगी हो या विवरित अवधि के कम-से-कम बारह महीने के बाद देयता के भुगतान के लिए उपयोग में न लाई जा सके;

vi. जहाँ तक देयता का प्रश्न है, कंपनी को विवरित अवधि के कम-से-कम बारह महीने के बाद भी देयता के भुगतान को टालने का कोई बिना शर्त अधिकार प्राप्त नहीं है|

अन्य सभी परिसंपत्ति या देयता दीर्घकालीन मानी जाती हैं|

3.4 आकलन एवं निर्णय के उपयोग

इण्ड ए.एस. के अनुरूप वित्तीय विवरणी की तैयारी में आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान हेतु प्रबंधन की आवश्यकता पड़ती है| ये आकलन, निर्णय एवं पूर्वानुमान परिसंपत्ति तथा देयता की राशि से संबंधित सूचना, वित्तीय विवरणी की तिथि तक आकस्मिक परिसंपत्ति तथा देयता के प्रकटीकरण एवं अवधि के दौरान राजस्व तथा व्यय की राशि से संबंधित सूचना को प्रभावित करते हैं| इन आकलनों से वास्तविक परिणाम भिन्न हो सकते हैं|

आकलनों तथा अधोगत पूर्वानुमान की समय-समय पर समीक्षा की जाती है| वह अवधि जब आकलनों को संशोधित किया जाता है और जब कोई भविष्य की अवधि प्रभावित होती है तब लेखाविधि आकलनों को संशोधन हेतु स्वीकार किया जाता है| विशेषकर, लेखाविधि नीतियों को लागू करने में आकलन के महत्वपूर्ण क्षेत्र, अनिश्चितता एवं समीक्षात्मक निर्णयों के बारे में सूचना जिसका वित्तीय विवरणी में स्वीकृत राशि पर अति महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है, निम्नलिखित नोट में प्रकट किया गया है :

(i) राजस्व स्वीकृति:

कंपनी, स्थाई मूल्य संविदाओं के संबंध में प्रगति की पूर्णता के मापन हेतु संविदा में यथासहमत पूर्णता विधि की प्रतिशतता में क्रियाकलापों की पूर्णता के चरण/अंतिम लक्ष्य का उपयोग करती है| लेखाविधि में पूर्णता विधि की प्रतिशतता कुल अपेक्षित संविदा राजस्व एवं लागत के आकलन पर निर्भर करती है| इस विधि का अनुसरण तब किया जाता है जब संविदा के विभिन्न तत्वों के लिए लागू होने वाले राजस्व

और लागत के भरोसेमंद आकलन तैयार किए जाते हैं| चूँकि, इन संविदाओं की वित्तीय सूचना आकलन पर निर्भर करती है जिसकी इन संविदाओं की अवधि के दौरान जारी व्यापार के आधार पर आकलन और समीक्षा की जाती है, जैसे ही संविदा पूर्ण होने के कगार पर पहुँचती है वैसे ही स्वीकृत राजस्व और लाभ का संशोधन किया जाता है|

(ii) आयकर:

कर आकलनों में कर की स्थिति धारणीय होने की संभावना से संबंधित निर्णय सहित आयकर के लिए प्रावधानों को निश्चित करने में महत्वपूर्ण निर्णय शामिल हैं| कर आकलन एक जटिल प्रक्रिया है जिसका हल विस्तारित समयावधि में निकाला जा सकता है|

(iii) आस्थगित कर:

परिसंपत्ति एवं देयता तथा उनकी वाहित राशि के कर के मध्य उत्पन्न होने वाले निगम्य एवं कर-योग्य अस्थाई अंतर पर आस्थगित कर अभिलिखित किया जाता है, उस दर से जिसे रिपोर्टिंग तिथि तक क्रियान्वित या वास्तविक तौर पर क्रियान्वित किया गया है। अवधि के दौरान आस्थगित कर परिसंपत्ति का अंतिम प्रापण भविष्य के करयोग्य लाभ के सृजन पर निर्भर करता है जिसमें वे अस्थाई अंतर और अग्रेनीत कर हानि कटौती योग्य हो जाते हैं| कंपनी, इस आकलन को तैयार करने में आस्थगित कर देयता एवं भविष्य की प्रायोजित करयोग्य आय में उत्क्रमण पर विचार करती है| आस्थगित कर परिसंपत्ति की स्वीकार्य मान्य राशि, हालाँकि, निकट काल में कम किया जा सकता है यदि अग्रेनीतअवधि के दौरान भविष्य के करयोग्य आय के आकलन को कम किया जाता है|

(iv) पारिभाषित लाभ योजना एवं क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति:

पारिभाषित लाभ योजना की लागत, क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति एवं पारिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य प्रायोजित यूनिट आकलन विधि का प्रयोग करता हुआ बीमांकिक मूल्यांकन पर आधारित है| बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न पूर्वानुमान शामिल हैं जो भविष्य के वास्तविक विकास से भिन्न हो सकते हैं| इनमें छूट की दर, भविष्य में वेतन-वृद्धि एवं मृत्यु-दर शामिल है| मूल्यांकन में शामिल जटिलताओं एवं इनकी दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, यह पारिभाषित लाभ दायित्व इन पूर्वानुमानों में परिवर्तन के प्रति अति संवेदनशील है| प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक सभी पूर्वानुमानों की समीक्षा की जाती है|

(v) वित्तीय परिसंपत्ति पर अपेक्षित ऋण हानि:

वित्तीय परिसंपत्ति का क्षति प्रावधान, भुगतान नहीं करने के जोखिम के बारे में पूर्वानुमान एवं संग्रहण के समय पर आधारित है| कंपनी अपने अतीत के इतिहास, ग्राहकों की लेनदारी क्षमता, बाज़ार की वर्तमान स्थिति के साथ-साथ प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक भविष्य के आकलनों के आधार पर और कोविड-19 के प्रभाव को भी क्षति की गणना के लिए इन पूर्वानुमानों तथा इनपुट के चयन में निर्णय का उपयोग करती है |

(vi) कोविड-19 के कारण वैश्विक स्वास्थ्य महामारी से संबंधित अनिश्चतताओं का आकलन:

कंपनी ने वित्तीय और ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की वाहित राशि की वापसी की प्रतिलभ्यता सहित इन वित्तीय विवरणी की तैयारी में कोविड-19 से संबंधित महामारी के परिणामस्वरूप पड़ने वाले संभावित प्रभाव पर विचार किया है| इन वित्तीय विवरणी की संस्तुति की तिथि तक कंपनी ने इस महामारी के कारण वैश्विक आर्थिक अवस्था में भविष्य की संभावित अनिश्चितताओं से संबंधित पूर्वानुमान को विकसित करने में आकलन रिपोर्ट एवं संबंधित सूचना तथा आर्थिक भविष्यवाणी को उपयोग में लाया है

और आशा करती है कि इन परिसंपत्तियों की वाहित राशि वापस ली जाएगी| कोविड-19 के कारण प्रभावित कंपनी की वित्तीय विवरणी और अनुमोदन की तिथि तक आकलित इन स्वसंपूर्ण वित्तीय विवरणी में अंतर हो सकता है|

(vii) उचित मूल्य का मापन

वित्तीय एवं ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति एवं देयता के लिए कंपनी की कुछेक लेखाविधि नीतियों तथा प्रकटीकरण हेतु उचित मूल्य का मापन आवश्यक होता है|

मूल्यांकन तकनीकों में उपयोग में लाई जाने वाली इनपुट के आधार पर उचित मूल्य के अनुक्रम में उचित मूल्य विभिन्न स्तरों पर वर्गीकृत किए गए हैं, जो निम्नलिखित हैं:

स्तर 1: समान परिसंपत्ति या देयता के लिए सक्रिय बाज़ारों में उद्धृत मूल्य (असमायोजित)

स्तर 2: स्तर 1 में शामिल उद्धृत मूल्य को छोड़कर इनपुट जो परिसंपत्ति या देयता के लिए या तो प्रत्यक्ष (यानी मूल्य के रूप में) या अप्रत्यक्ष (यानी मूल्य से प्राप्त) के लिए प्रेक्षणीय है |

स्तर 3: परिसंपत्ति या देयता के लिए इनपुट जो प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े पर आधारित नहीं है (अप्रेक्षणीय इनपुट)|

परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में, जहाँ तक संभव हो, कंपनी प्रेक्षणीय बाज़ार के आँकड़े उपयोग करती है| यदि, परिसंपत्ति या देयता के उचित मूल्य के मापन में प्रयुक्त इनपुट उचित मूल्य के अनुक्रम में विभिन्न स्तरों के तहत आती हैं, तब उचित मूल्य मापन पूरी तौर पर उचित मूल्य के अनुक्रम में समान स्तर में निम्नतम स्तर की इनपुट के तौर पर वर्गीकृत की जाती हैं जो पूरे मापन के लिए महत्वपूर्ण होती हैं|

3.5 संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(i) मान्यता एवं मापन

संचित मूल्यह्रास एवं संचित क्षति हानि, यदि कोई हो, को घटाकर संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण का उल्लेख किया जाता है |

संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद की लागत में व्यापार बट्टा, छूट और आयात शुल्क एवं अप्रतिदेय क्रय कर सहित, इनके क्रय मूल्य की कटौती के बाद, इसके अभिलक्षित उपयोग के लिए मद को कामकाजी स्थिति में लाने से संबंधित प्रत्यक्ष लागत को पुन: स्थापित करने के लिए आकलित लागत शामिल हैं |

यदि संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के महत्वपूर्ण अंगों का कोई अलग से उपयोगी जीवन है तो उन्हें संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के इतर मद (प्रमुख घटक) में गिना जाता है |
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के मद के निपटारे में किसी लाभ एवं हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है |

(ii) इण्ड ए.एस. में अंतरण

इण्ड ए.एस. में संक्रमण पर, कंपनी ने पिछली जी.ए.ए.पी. के अनुसार मापित, 1 अप्रैल, 2015 तक अपनी सभी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण के वाहित मूल्य के साथ जारी रहने का निर्णय लिया है, और ऐसी संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण की विचारित लागत के वाहित मूल्य का उपयोग करेगी (नोट 4 देखें)।

(iii) परवर्ती व्यय

परवर्ती व्यय पूँजीकृत तभी किया जाता है जब ऐसी संभावना हो कि व्यय से संबंधित भविष्य के आर्थिक लाभ कंपनी के पास आयेंगे |

(iv) मूल्यह्रास

कंपनी अधिनियम, 2013 की अनुसूची II के अनुसार, सरल रेखा विधि का उपयोग करते हुए उनके आकलित उपयोगी जीवन के ऊपर मूल्यह्रास प्रभारित किया गया है | ₹0.05 लाख से कम लागत वाली परिसंपत्ति का शेष मूल्य परिसंपत्ति की मूल लागत का 0% होता है और अन्य सभी परिसंपत्तियों के लिए, परिसंपत्ति के शेष मूल्य परिसंपत्ति की लागत के 1% होते हैं | 1% के शेषमूल्य को परिसंपत्ति को अधिकतम सीमा तक कम करने के लिए प्रतिफलित किया जाता है | कंपनी द्वारा यथानिर्धारित परिसंपत्ति का उपयोगी जीवन इसप्रकार हैं:

परिसंपत्ति की प्रकृति	उपयोगी जीवन
संयत्र एवं यंत्र-समूह	15 वर्ष
भवन	60 वर्ष
भवन(अस्थाई निर्माण)	3 वर्ष
भवन(बाड़, इत्यादि)	5 वर्ष
फर्नीचर एवं अन्य सामग्री	10 वर्ष
वाहन	8 वर्ष
कम्प्यूटर एवं अन्य सहायक सामग्री	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	5 वर्ष
विद्युतीय व्यवस्था	10 वर्ष
सर्वर और नेटवर्क	6 वर्ष

3.6 अमूर्त परिसंपत्ति

संचित परिशोधन एवं क्षति को घटाकर लागत पर अमूर्त परिसंपत्ति का उल्लेख किया जाता है | आकलित उपयोगी जीवन/परिशोधन अनुज्ञप्ति की अवधि है और इसके न होने की स्थिति में 5 वर्ष है | यह सरल रेखा विधि द्वारा परिशोधित किया जाता है|

3.7 वस्तुसूची

कच्चा माल, कार्य-प्रगति एवं परिसज्जित माल निम्न-लागत तथा आकलित प्राप्य मूल्य पर मूल्यांकित किए जाते हैं| माल की लागत का निर्धारण पहले डालो, पहले निकालो सूत्र के आधार पर किया जाता है और इसमें सामान-सूची प्राप्त करने में लगे व्यय और उन्हें उनके वर्तमान स्थान एवं स्थिति में लाने में लगी अन्य लागत शामिल हैं| कार्य-प्रगति एवं परिसज्जित माल की लागत में रूपांतरण की लागत शामिल है|

3.8 राजस्व प्रापण

(i) उत्पादों की बिक्री

राजस्व, सभी परोक्ष करों से निवल, तभी स्वीकार किए जाते हैं जब माल ग्राहकों अथवा उनके द्वारा निर्धारित/ठेके पर दी गई परियोजना को सौंपा जाता है| हालाँकि, यदि ग्राहक के अनुरोध पर सुपुर्दगी में विलम्ब होता है और ग्राहक यह जिम्मेदारी लेकर बिल स्वीकार कर लेता है तो राजस्व स्वीकार कर लिए जाते हैं| यद्यपि भौतिक रूप से माल की सुपुर्दगी नहीं की गई तथापि यह आशा की जाती है कि माल सुपूर्दगी के लिए हस्तगत, चिह्नित एवं तैयार है और सुपुर्दगी कर दी जाएगी और,यदि

संस्थापना/निरीक्षण किए जाने की शर्तों के निमित्त हो तो राजस्व को सामान्यतया स्वीकार नहीं किया जाता जब तक कि ग्राहक सुपुर्दगी स्वीकार नहीं कर ले और संस्थापना/निरीक्षण पूरा न हो जाए|

(ii) सेवाएँ

(अ) प्रमोचन, संस्थापन, अभिचालन और परीक्षण

ग्राहक के साथ हुए करार के अनुरूप अंतिम लक्ष्य/काम के पूरा के बाद ही सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व स्वीकार किए जाते हैं|

(ब) अभिगम शुल्क, अंतरिक्ष खंड, मिशन सहायता इत्यादि

चाहे एक बार की सेवा हो या आवर्ती सेवा, उसे प्रदान करने या समय-समय पर संविदा के अनुरूप सेवा की प्रकृति के आधार पर सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व एक बार स्वीकार किए जाते हैं|

(स) परामर्शिता

परामर्शिता प्रदान करने या समय-समय पर संविदा के अनुरूप परामर्शिता की प्रकृति के आधार पर सभी परोक्ष करों से निवल राजस्व एक बार स्वीकार किए जाते हैं|

(iii) सम्मिश्र संविदा

उपर्युक्त मद (i) एवं (ii) में उल्लिखित नीति के अनुरूप सम्मिश्र संविदा के प्रत्येक मद के लिए राजस्व स्वीकार किए जाते हैं|

(iv) अन्य आय

(अ) ब्याज

ब्याज से आय प्रोद्भवन के आधार पर स्वीकार की जाती है| जबकि ब्यापार प्राप्तियों पर ब्याज से प्राप्त आय प्राप्ति के आधार पर स्वीकार किया जाता है|

(ब) रॉयल्टी

ग्राहकों से प्राप्त स्वीकृति पर आधारित रॉयल्टी की गणना प्रोद्भवन के आधार पर की जाती है|

(स) निवेश से प्राप्त लाभांश

निवेश से प्राप्त लाभांश तब स्वीकार किया जाता है जब भुगतान पाने के लिए कंपनी का अधिकार स्थापित हो जाता है|

3.9 विदेशी मुद्रा अंतरण

(i) प्रारंभिक स्वीकृति

अंतरण की तिथि तक विनिमय दर को लागू कर प्रकार्यात्मक मुद्रा में विदेशी मुद्रा अंतरण अभिलिखित किए जाते हैं|

(ii) परवर्ती मापन

विदेशी मुद्रा में अंकित मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता रिपोर्टिंग तिथि तकविनिमय दर से प्रकार्यात्मक मुद्रा में परिवर्तित किए जाते हैं| गैर-मौद्रिक परिसंपत्ति एवं देयता जिन्हें विदेशी मुद्रा में ऐतिहासिक लागत के आधार पर मापन किया जाता है, उन्हें पुन: परिवर्तित नहीं किया जाता है| लाभ तथा हानि लेखा में विनिमय अंतर को स्वीकार किया जाता है|

3.10 वित्तीय संलेख

(i) स्वीकृति एवं आरंभिक मापन

व्यापार प्राप्तियाँ प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होते हैं जब वे उद्भूत होते हैं | बाकी सभी वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से तभी स्वीकृत होते हैं जब कंपनी संलेख के संविदात्मक प्रावधानों के भागीदार बनती है|

वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता प्रारंभिक रूप से उचित मूल्य पर मापित होते हैं| लेन-देन लागत जो सीधे तौर पर अधिग्रहण या निर्गमन से संबंधित होते हैं, उन्हें तत्काल लाभ तथा हानि लेखा के ज़रिए उचित मूल्य पर लेखा-विधित किया जाता है|

(ii) वर्गीकरण एवं परवर्ती मापन

(अ) वित्तीय परिसंपत्ति :

प्रारंभिक स्वीकृति पर वित्तीय परिसंपत्ति को मापित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :

- परिशोधित लागत;
- एफ.वी.टी.पी.एल (लाभ तथा हानि द्वारा उचित मूल्य)
- एफ.वी.ओ.सी.आई (अन्य व्यापक आय द्वारा उचित मूल्य)

वित्तीय परिसंपत्ति अपनी प्रारंभिक स्वीकृति के बाद पुनर्वर्गीकृत नहीं की जाती सिवाय उस अवधि के दौरान जब कंपनी अपने वित्तीय परिसंपत्ति के प्रबंधन के लिए अपने व्यापार-प्रारूप को परिवर्तित करती है|

वित्तीय परिसंपत्ति परिशोधित लागत पर मापित की जाती है यदि यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है :

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहित करने के लिए परिसंपत्ति को धारित रखना है|
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णत: भुगतान होती है|

ऋण निवेश एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित किया जाता है यह दोनों निम्नलिखित शर्तों को पूरा करती है और एफ.वी.टी.पी.एल. के तौर पर निर्दिष्ट नहीं है :

- एक व्यापारिक प्रारूप के अंदर परिसंपत्ति रखी जाती है जिसका उद्देश्य संविदात्मक नकद प्रवाह को संग्रहितकर और वित्तीय परिसंपत्ति को बेचकर प्राप्त किया जाता है|
- वित्तीय परिसंपत्ति की संविदात्मक शर्त किसी विशिष्ट तिथि में नकद प्रवाह का सृजन करती है जो बचे हुए मूलधन पर मूलधन और ब्याज का पूर्णत: भुगतान होती है|

एक्विटी निवेश की प्रारंभिक स्वीकृति जिसे व्यापार के लिए धारित नहीं किया गया है, कंपनी, ओ.सी.आई में निवेश के उचित मूल्य में अप्रत्यादेय तौर पर परवर्ती परिवर्तन के लिए चयन कर सकती है (एफ.वी.ओ.सी.आई. के रूप में निर्दिष्ट-एक्विटी निवेश)| यह चयन निवेश-दर-निवेश आधार पर किया जाता है|

सभी वित्तीय परिसंपत्ति जो परिशोधित लागत या एफ.वी.ओ.सी.एल. पर मापित के रूप में वर्गीकृत नहीं की जाती हैं उन्हें एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित किया जाता है|

एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय परिसंप्त्ति	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं| किसी ब्याज या लाभांश आय सहित शुद्ध लाभ और हानि को लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है|
एफ.वी.ओ.सी.एल. पर ऋण निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं| प्रभावी ब्याज विधि के तहत ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षतिलाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं| अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आई. में स्वीकार किए जाते हैं| अस्वीकृति की स्थिति में, ओ.सी.आई. में जमा लाभ तथा हानि लाभ एवं हानि लेखा के रूप में पुनर्वर्गीकृत किए जाते हैं|
एफ.वी.ओ.सी.आई.में एक्विटी निवेश	ये परिसंपत्ति बाद में उचित मूल्य पर मापित किए जाते हैं| निवेश की लागत के भाग के रूप में वापसी को इंगित करते हुए लाभांश को छोड़कर अन्य लाभांश को लाभ तथा हानि लेखा में आय के रूप में स्वीकार किया जाता है| अन्य शुद्ध लाभ तथा हानि ओ.सी.आई. में स्वीकार किए जाते हैं और लाभ एवं हानि लेखा के रूप में पुनर्वर्गीकृत नहीं किए जाते हैं|
परिशोधित लागत पर वित्तीय परिसंपत्ति	प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से ये परिसंपत्ति बाद में परिशोधित लागत पर मापित किए जाते हैं| यह परिशोधित लागत क्षति हानि द्वारा कम किया जाता है| ब्याज से आय, विदेशी विनिमय से लाभ तथा हानि और क्षतिलाभ तथा हानि लेखामें स्वीकार किए जाते हैं| अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखा के रूप में स्वीकार किया जाता है|

(ब) वित्तीय देयता :

वित्तीय देयता परिशोधित लागत या एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित की जाती हैं| किसी वित्तीय देयता को एफ.वी.टी.पी.एल. पर मापित तभी किया जाता है जब इसे व्यापार के लिए धारित के रूप में वर्गीकृत किया जाता है| एफ.वी.टी.पी.एल. पर वित्तीय देयता उचित मूल्य एवं किसी ब्याज व्यय सहित शुद्ध लाभ तथा हानि में मापित की जाती हैं और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार की जाती हैं| प्रभावी ब्याज विधि के उपयोग से अन्य वित्तीय देयता बाद में परिशोधित लागत पर मापित की जाती हैं| ब्याज व्यय एवं विदेशी विनिमय लाभ तथा हानि, लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकर किए जाते हैं| अस्वीकृति की स्थिति में किसी लाभ या हानि को लाभ एवं हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है|

(i) अस्वीकृति

(अ) वित्तीय परिसंपत्ति :

कंपनी वित्तीय परिसंपत्ति को अस्वीकार करती है जब वित्तीय परिसंपत्ति से नकद प्रवाह का संविदात्मक अधिकार समाप्त हो जाता है या यह संविदात्मक नकद प्रवाह को प्राप्त करने के लिए अधिकार को लेन-देन में अंतरित कर देती है जिसमें वित्तीय परिसंपत्ति के स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार अंतरित होते हैं या जिसमें कंपनी स्वामित्व के संपूर्ण जोखिम तथा पुरस्कार को न तो अंतरित या मूल रूप से धारित करती है और वित्तीय परिसंपत्ति के नियंत्रण को धारित नहीं करती है|

(ब) वित्तीय देयता :

कंपनी वित्तीय देयता को अस्वीकार करती है जब इसका संविदात्मक दायित्व पूरा या निरस्त या समाप्त हो जाता है|

कंपनी वित्तीय देयता को तब भी अस्वीकार करती है जब इसकी शर्तें संशोधित की जाती हैं और संशोधित शर्तों के तहत नकद प्रवाह मूल रूप से अलग होते हैं| समाप्त हो चुकी वित्तीय देयता की वाहित राशि और संशोधित शर्तों के साथ नई वित्तीय देयता का अंतर लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है|

3.11 क्षति

(i) वित्तीय संलेख की क्षति

कंपनी संभावित ऋण हानि के लिए इन पर हानि भत्ता को स्वीकार करती है:

- परिशोधन लागत पर मापित वित्तीय परिसंपत्ति

प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक, कंपनी यह आकलन करती है कि क्या परिशोधित लागत पर वाहित वित्तीय परिसंपत्ति ऋण-क्षतिग्रस्त है ? वित्तीय परिसंपत्ति 'ऋण-क्षतिग्रस्त' तब होती है जब एक या अधिक अवसर

जिसका वित्तीय परिसंपत्ति के भविष्य के आकलित नकद प्रवाह पर हानिकारक प्रभाव पड़ता है |

वह प्रमाण कि वित्तीय परिसंपत्ति 'ऋण-क्षतिग्रस्त' है, में निम्नलिखित प्रेक्षणीय आँकड़े शामिल हैं :

- लेनदार या देनदार की महत्वपूर्ण वित्तीय कठिनाई
- करार भंग होना जैसे चूक या 365 दिनों या उससे अधिक के लिए बाकी
- उन शर्तों पर कि कंपनी द्वारा ऋण या अग्रिम की पुनर्रचना पर कंपनी विचार नहीं करेगी
- वित्तीय कठिनाइयों के कारण प्रतिभूति के लिए सक्रिय बाज़ार का ग़ायब होना

व्यापार प्राप्तियों के लिए हानि भत्ता का मापन अपेक्षित जीवनकाल जमा राशि की हानि के बराबर की राशि पर किया जाता है|

(ii) ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

अन्य कर परिसंपत्ति को छोड़कर कंपनी की ग़ैर-वित्तीय परिसंपत्ति की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि क्या क्षति के कोई संकेत हैं? यदि इस तरह के कोई संकेत दिखते हैं तो परिसंपत्ति की वापस योग्य राशि का आकलन किया जाता है|

क्षति परीक्षण के लिए, परिसंपत्ति जो स्वतंत्र नकद अंतर्प्रवाह सृजित नहीं करती उन्हें नकद-सृजन इकाइयों (सी.जी.यू.) में वर्गित किया जाता है| प्रत्येक सी.जी.यू, परिसंपत्ति के छोटे समूह को सूचित करते हैं जो नकद अंतर्प्रवाह सृजित करते हैं और जो अन्य परिसंपत्ति के नकद अंतर्प्रवाह या सी.जी.यू से प्रमुखतया स्वतंत्र होते हैं|

क्षति हानि तब स्वीकार की जाती है जब किसी परिसंपत्ति की वाहित राशि या सी.जी.यू अपनी आकलित वापसी योग्य राशि को पार कर जाती है|

3.12 कर्मचारी लाभ

(क) अल्पावधि कर्मचारी लाभ

वह अवधि जिसमें कर्मचारी अपनी सेवाएँ प्रदान करता है उस दौरान उसे बिना कटौती के अल्पावधि कर्मचारी लाभ जैसे वेतन, अधिलाभ, अनुग्रह-राशि दिए जाते हैं|

(ख) उपदान

कंपनी अपने सभी कर्मचारियों को उपदान, एक पारिभाषित लाभ योजना, प्रदान करती है| योजना के तहत, कर्मचारियों को सेवानिवृत्ति के समय या रोज़गार समाप्त होने के बाद कंपनी में संबंधित कर्मचारियों के वेतन और उनके सेवाकाल के आधार पर एकमुश्त राशि का भुगतान किया जाता है|

वर्ष के अंत में, बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रावधान की राशि निर्धारित की जाती है|

निवल पारिभाषित लाभ देयता का पुनर्मूल्यांकन जिसमें बीमांकिक लाभ या हानि शामिल हैं, ओ.सी.आई. में स्वीकार किया जाता है| पारिभाषित लाभ योजना से संबंधित निवल ब्याज व्यय तथा अन्य व्यय, लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किए जाते हैं|

(ग) राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना)

राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना) में कंपनी के कार्मिक शामिल हैं|
पेंशन निधि विनियामक एवं विकास प्राधिकरण (पी.एफ.आर.डी.ए.) द्वारा संचालित राष्ट्रीय पेंशन योजना (कॉर्पोरेट मॉडल योजना), जो एक पारिभाषित अंशदान योजना है, में कंपनी मूल वेतन तथा महँगाई भत्ता का 14% का योगदान देती है| अंशदान को प्रोद्भवन के आधार पर लेखित किया जाता है और लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार किया जाता है|

(घ) क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति

कंपनी के कर्मचारियों के लिए अल्पकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाता है| दीर्घकालिक क्षतिपूर्ति अनुपस्थिति जो एक अन्य दीर्घकालिक रोज़गार लाभ योजना है, एक स्वतंत्र बीमांकिक द्वारा कार्यान्वित तुलनपत्र की तिथि तक बीमांकिक मूल्यांकन के आधार पर लेखित होता है| बीमांकिक लाभ/हानि, लाभ तथा हानि लेखा में तुरंत स्वीकार किए जाते हैं|

(ङ) डाक जीवन बीमा (पी.एल.आइ.)

कंपनी, स्वीकृत नीति के अनुरूप कर्मचारियों के नाम पी.एल.आइ. प्रीमियम के 50% का अंशदान देती है |

3.13 आयकर

आयकर में चालू तथा आस्थगित कर शामिल हैं| इसे लाभ या हानि में स्वीकार किया जाता है सिवाय इसके कि मद को सीधे एक्विटी में या अन्य व्यापक आय में स्वीकार किया गया है|

(i) चालू कर

चालू कर में, करयोग्य आय में देय या प्राप्य अपेक्षित कर या वर्ष के लिए हानि और पिछले वर्ष के लिए देय या प्राप्य कर का समायोजन शामिल है| आयकर से जुड़ी अनिश्चितता, यदि कोई हो, पर विचार करने के बाद देय या प्राप्य अपेक्षित कर राशि का आकलन चालू कर की राशि से परिलक्षित होती है| इसे रिपोर्टिंग तिथि तक, अधिनियमित या विशेष रूप से अधिनियमित कर दर (और कर नियम) के उपयोग से मापित किया जाता है|

चालू कर परिसंपत्ति और चालू कर देयता केवल क्षति की पूर्ति है यदि स्वीकृत राशि को अंकित करने के लिए विधिवत् कार्यान्वित करने योग्य अधिकार हो, और यह निवल आधार पर या समकाल में परिसंपत्ति को प्राप्त करने और देयता को स्थापित करने के लिए अभिलक्षित हो|

(ii) आस्थगित कर

वित्तीय रिपोर्टिंग के उद्देश्य हेतु परिसंपत्ति एवं देयता की वाहित राशियों और कर-निर्धारण के उद्देश्य हेतु संबंधित राशियों के बीच अस्थाई अंतर के सापेक्ष आस्थगित कर स्वीकृत किया जाता है| आस्थगित कर, अग्रेनीत कर हानि और कर जमा के सापेक्ष भी स्वीकृत किया जाता है| आस्थगित कर इन कारणों से नहीं स्वीकार किए जाते हैं:

- किसी अंतरण में, परिसंपत्ति या देयता की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले अस्थाई अंतर जो व्यापार-योग नहीं है और जो अंतरण के समय न तो लेखाविधि और न ही करयोग्य लाभ या हानि को प्रभावित करता हो;

- साख की प्रारंभिक स्वीकृति से उभरने वाले करयोग्य अस्थाई अंतर|

आस्थगित कर परिसंपत्ति उस सीमा तक स्वीकार की जाती है जब ऐसा संभव हो कि भविष्य के करयोग्य लाभ उपलब्ध रहेंगे जिनके विरुद्ध वे उपयोग में लाए जा सकते हैं| आस्थगित कर परिसंपत्ति-अस्वीकृत या स्वीकृत की प्रत्येक रिपोर्टिंग तिथि तक समीक्षा की जाती है और उस सीमा तक स्वीकृत/कम की जाती है जब ऐसा क्रमश: संभव/असंभव हो कि संबंधित कर लाभ स्वीकृत होंगे|
आस्थगित कर, कर दरों पर मापित किए जाते हैं जो उस अवधि के लिए लागू होने के लिए अपेक्षित होते हैं जब रिपोर्टिंग तिथि तक अधिनियमित/विशेष रूप से अधिनियमित नियम पर आधारित परिसंपत्ति स्वीकृत होती है या देयता स्थापित होती है|

3.14 प्रति शेयर आय

वर्ष के लिए एक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि को वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या से विभाजित कर प्रति शेयर प्रारंभिक आय की गणना की जाती है| वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को अधिलाभ शेयर जारी करने के अवसर (यदि कोई हो) हेतु समायोजित किया जाता है|

प्रति शेयर मिश्रित आय की गणना के उद्देश्य से, वर्ष के लिए एक्विटी शेयर धारक से संबंधित शुद्ध लाभ या हानि और वर्ष के दौरान एक्विटी शेयर के बची हुई भारित औसत संख्या को सभी मिश्रित प्रमुख एक्विटी शेयर के प्रभावों के लिए समायोजित किया जाता है|

3.15 प्रावधान और आकस्मिकता

प्रावधान स्वीकृत तब किया जाता है जब किसी प्रतिष्ठान के पास पिछली घटनाओं के कारण वर्तमान दायित्व होता है; यह संभव है कि संसाधन का बहिर्प्रवाह दायित्व को स्थापित करने के लिए आवश्यक होगा| इन्हें प्रत्येक तुलनपत्र की तिथि तक एवं वर्तमान उत्तम आकलनों को परिलक्षित करने के लिए समायोजित किया जाता है|

जब कोई संभावित दायित्व या कोई वर्तमान दायित्व जिसमें संसाधन का बहिर्प्रवाह हो, जो कि संभवत: नहीं होगा, तभी आकस्मिक देयता हेतु प्रकटीकरण किया जाता है| जहाँ संभावित दायित्व हो या वर्तमान दायित्व हो जिसमें संसाधन के बहिर्प्रवाह की संभावना क्षीण हो, कोई प्रावधान या प्रकटीकरण किया जाता है| वित्तीय विवरणी में आकस्मिक परिसंपत्ति न तो स्वीकार की जाती है, और न ही प्रकट की जाती है|

3.16 नकद एवं नकद समतुल्य

नकद एवं नकद समतुल्य में तीन महीने या कम की वास्तविक परिपक्वता वाले नकद, बैंक में जमा एवं अल्पकालिक निवेश शामिल हैं जो नकद में तुरंत परिवर्तनीय हैं और मूल्य में परिवर्तन के निरर्थक जोखिम के तहत हैं|

3.17 सरकारी अनुदान

अंतरिक्ष विभाग को प्रदत्त पट्टा भूमि किराए के उचित मूल्य और पट्टा भूमि किराए के वास्तविक मूल्य के अंतर को आर्थिक सरकारी अनुदान माना गया है| लाभ तथा हानि लेखा के आय एवं व्यय भाग में उन दोनों को वैचारिक रूप से संपूर्ण कर लेखाविधित किया गया है|

3.18 पट्टा

01 अप्रैल 2019 से प्रभावी, कंपनी ने इण्ड-ए.एस. 116-पट्टा को अपनाया है और संशोधित पिछली पद्धति को अपनाकर इसे 01 अप्रैल 2019 को विद्यमान सभी पट्टा संविदा पर लागू किया है| उसी के आधार पर और मानक में अनुमन्य विशिष्ट परिवर्तनीय प्रावधानों के अंतर्गत, कंपनी के लिए तुलनात्मक आँकड़ों की पुनरुक्ति आवश्यक नहीं है|

सभी पट्टों को उपयोगाधिकार परिसंपत्ति एवं पट्टा देयता मानकर लेखाविधित किया जाता है, सिवाय इनके:

- कम मूल्य की परिसंपत्ति का पट्टा
- 12 महीने या कम की अवधि का पट्टा

नोट: कंपनी के पास कोई निम्न मूल्य या अल्पकालिक पट्टे नहीं हैं|

दिनांक 01 अप्रैल 2019 के आरंभिक अनुप्रयोग के बाद ये नीतियाँ लागू होती हैं:

पट्टा शर्त से जुड़े पट्टेदार की संविदा भुगतान बकाया के वर्तमान मूल्य पर पट्टा देयता का मापन किया जाता है, पट्टे में शामिल दर के संदर्भ में बट्टा दर निर्धारित की जाती है बशर्ते (किसी विशेष स्थिति में) इसे आसानी से निर्धारित नहीं की जा सके, ऐसे हालात में पट्टे के शुरु होने पर कंपनी की वृद्धि उधार दर का उपयोग किया जाता है। परिवर्तनीय पट्टा भुगतान को पट्टा देयता मापन में तभी शामिल किया जाता है जब वे सूची या दर पर आश्रित होते हैं। ऐसी स्थिति में, पट्टा देयता का आरंभिक मापन परिवर्तनीय तत्व ग्रहण करता है जो पट्टा की पूरी अवधि तक अपरिवर्तित रहता है। अन्य परिवर्तनीय पट्टा भुगतान का व्यय उसी अवधि में किया जाता है जिससे वे संबंधित होते हैं।

आरंभिक स्वीकृति में, पट्टा देयता के वाहित मान में निम्नलिखित शामिल हैं:

- किसी बाकी बचे मूल्य गारंटी के अंतर्गत देय अपेक्षित राशि
- कंपनी के पक्ष में दी गई किसी क्रय विकल्प के प्रयोग मूल्य यदि उस विकल्प का आकलन करने के लिए तार्किक रूप से निश्चित हो।
- पट्टे को समाप्त करने के लिए कोई शास्ति, यदि पट्टे की शर्त का आकलन प्रयोग में लाए गए समापन विकल्प के आधार पर अनुमानित किया गया है।

उपयोगाधिकार परिसंपत्ति का आरंभिक मापन पट्टा देयता की राशि पर होता है जिसे किसी प्राप्त पट्टा प्रोत्साहन हेतु कम किया जाता है, और निम्नलिखित के लिए बढ़ाया जाता है:

- पट्टा के आरंभ होने पर या उससे पहले पट्टा का भुगतान किया जाता है;
- आरंभिक सीधी लागत लगाई जाती है; और

- किसी प्रावधान राशि को स्वीकार किया जाता है जहाँ कंपनी संविदा के आधार पर पट्टाधारित परिसंपत्ति को विध्वंस करने, हटाने या पुन:स्थापित करने की आवश्यकता महसूस करती है|

आरंभिक मापन के परिणामस्वरूप, बकाया राशि पर नियत दर से लिए जाने वाले ब्याज के चलते पट्टा देयता बढ़ जाती है, और पट्टे के भुगतान के लिए कम कर दी जाती है| उपयोगाधिकार परिसंपत्ति, पट्टे की बाकी बची हुई अवधि के लिए या कदाचित् परिसंपत्ति के बाकी बचे आर्थिक जीवन के लिए, क्योंकि इसे पट्टे की अवधि से कम माना जाता है, सरल रेखा आधार पर परिशोधित की जाती हैं|

जब कंपनी, अपने किसी पट्टे की अवधि के अनुमान को संशोधित करती है तो यह पट्टा देयता की वाहित राशि को संशोधित अवधि के लिए भुगतान हेतु हस्तांतरित करने के लिए समायोजित करती है जिसे संशोधित बट्टा दर का उपयोग कर छूट दी जाती है| पट्टा देयता के वाहित मूल्य को भी ठीक इसी तरह संशोधित किया जाता है जब दर या सूची पर आधारित भविष्य के पट्टे के भुगतान के परिवर्तनीय तत्व को संशोधित किया जाता है, सिवाय तब कि बट्टा दर अपरिवर्तित रहती है| दोनों स्थिति में, बाकी बचे (संशोधित) पट्टा की अवधि के लिए संशोधित वाहित राशि परिशोधन के साथ उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के वाहित मूल्य हेतु समतुल्य समायोजन किया जाता है| यदि उपयोगाधिकार परिसंपत्ति के वाहित राशि को शून्य के रूप में समायोजित किया जाता है तो आगे की कोई कटौती लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकार की जाती है|

3.19 भारतीय लेखाविधि मानकों में संशोधन

(क) वर्ष 2021-22 के दौरान, कंपनी हेतु लागू निम्नलिखित इण्ड ए.एस. को दिनांक 18 जून, 2021 के कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) संशोधन नियम, 2021 द्वारा संशोधित किए गए हैं:

i. इण्ड ए.एस.107 - वित्तीय संलेख : प्रकटीकरण (अतिरिक्त ब्याज-दर मानक सुधार)
ii. इण्ड ए.एस.109 - वित्तीय संलेख (ब्याज-दर मानक सुधार)
iii. इण्ड ए.एस.116 - पट्टा (कोविड-19 के कारण, भाड़ा में छूट हेतु विस्तारित लाभ)
iv. इण्ड ए.एस.16 - संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण (वसूली राशि की परिभाषा में संशोधन)

कंपनी के मूल्यांकन के आधार पर, इन संशोधनों का वर्तमान वर्ष की वित्तीय विवरणी में कोई वस्तुगत प्रभाव पड़ने वाला नहीं है, इसलिए अलग से कोई प्रकटीकरण प्रदान नहीं किए गए हैं|

(ख) दिनांक 23 मार्च, 2022 को कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय ने कंपनी (भारतीय लेखाविधि मानक) संशोधन नियम, 2022 द्वारा इण्ड ए.एस.16 (परीक्षण की लागत से ऊपर निर्मित सामग्री से कुल अधिक बिक्रयागम हेतु लेखाविधि का ब्योरा), इण्ड ए.एस.37 (संविदा के अनुरूप लागत की संरचना का ब्योरा), इण्ड ए.एस.103 (परिसंपत्ति एवं देयता के प्रापण हेतु अधिग्रहण विधि के लिए मानदंड का ब्योरा) एवं इण्ड ए.एस.109 (वित्तीय देयता के अस्वीकरण हेतु 10 प्रतिशत परीक्षण लागू करने किस शुल्क को शामिल किया जाए, का ब्योरा) में सुधार किया गया है| ये संशोधन 01 अप्रैल, 2022 से प्रभावी हैं और इनसे कंपनी की वित्तीय विवरणी पर कोई वस्तुगत प्रभाव नहीं पड़ने वाला है|

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

नोट सं.	विवरण	31 मार्च. 2022 तक	31 मार्च. 2021 तक
4	**संपत्तिसंयंत्र एवं उपकरण**		
	(क) भवन	826.59	895.60
	(ख) फर्नीचर एवं फिक्सर	40.60	71.09
	(ग) वाहन	16.97	19.53
	(घ) कार्यालय उपकरण	9.20	15.94
	(ङ) कम्प्यूटर एवं सर्वर	9.82	19.76
	(च) नेटवर्किंग उपकरण	0.01	0.01
		903.19	**1,021.93**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में, परिसंपत्तिके प्रत्येक वर्ग के योग, निपटारे, व्यापार संयोजन द्वारा प्रापण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण प्रदर्शित करती हुई सकल एवं निवल वाहित राशि के सामंजस्य को अलग से प्रकट किया जाता है |	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें
4ए	**अन्य अमूर्त परिसंपत्ति**		
	(क) कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर	**19.45**	**38.50**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में, परिसंपत्तिके प्रत्येक वर्ग के योग, निपटारे, व्यापार संयोजन द्वारा प्रापण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण प्रदर्शित करती हुई सकल एवं निवल वाहित राशि के सामंजस्य को अलग से प्रकट किया जाता है |	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें
5	**उपयोगाधिकार परिसंपत्ति**		
	पट्टा भूमि	**256.06**	**261.51**
	रिपोर्टिंग अवधि के आरंभ और अंत में, परिसंपत्तिके प्रत्येक वर्ग के योग, निपटारे, व्यापार संयोजन द्वारा प्रापण एवं अन्य समायोजन तथा संबंधित मूल्यह्रास और क्षति हानि या प्रतिक्रमण प्रदर्शित करती हुई सकल एवं निवल वाहित राशि के सामंजस्य को अलग से प्रकट किया जाता है |	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें	इस नोट के अनुलग्नक का संदर्भ लें

नोट 4 का परिशिष्ट-संपत्ति,संयंत्र एवं उपकरण

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

विवरण	भवन-आर. सी. सी.निर्मित ढाँचा	भवन-वातानुकूलन प्रणाली, अन्य प्रणाली	भवन-विद्युत संबंधी प्रणाली	भवन अस्थाई निर्माण, (बाड़)	फर्नीचर एवं अन्य सामग्री	वाहन	कार्यालय उपकरण	संगणक एवं सर्वर	संचारजाल उपकरण	कुल
सकल वाहित मान										
1 अप्रैल, 2020 तक	837.12	143.15	266.12	62.93	242.13	-	85.62	111.16	1.11	**1,749.34**
योग / समायोजन	-	-	-	-	-	22.28	0.23	-	-	**22.51**
निपटारा / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	1.51	-	**1.51**
31 मार्च, 2021 तक	837.12	143.15	266.12	62.93	242.13	22.28	85.85	109.65	1.11	**1,770.34**
योग / समायोजन	-	-	-	-	-	-	0.24	-	-	**0.24**
निपटारा / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	1.30	-	**1.30**
31 मार्च, 2021 तक	**837.12**	**143.15**	**266.12**	**62.93**	**242.13**	**22.28**	**86.09**	**108.35**	**1.11**	**1,769.28**
संचित मूल्यह्रास										
1 अप्रैल, 2020 तक	72.34	58.00	181.61	32.76	140.46	-	57.18	64.96	1.10	**608.41**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास/ समायोजन	14.47	11.62	36.56	6.36	30.58	2.75	12.73	25.93	-	**141.00**
निपटारा / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	1.00	-	**1.00**
31 मार्च, 2021 तक	86.81	69.62	218.17	39.12	171.04	2.75	69.91	89.89	1.10	**748.41**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास/ समायोजन	14.47	11.62	36.56	6.36	30.49	2.56	6.98	9.59	-	**118.63**
निपटारा / समायोजन	-	-	-	-	-	-	-	0.95	-	**0.95**
31 मार्च, 2022 तक	**101.28**	**81.24**	**254.73**	**45.48**	**201.53**	**5.31**	**76.89**	**98.53**	**1.10**	**866.09**
निवल वाहित मान										
31 मार्च, 2021 तक	**750.31**	**73.53**	**47.95**	**23.81**	**71.09**	**19.53**	**15.94**	**19.76**	**0.01**	**1,021.93**
31 मार्च, 2022 तक	**735.84**	**61.91**	**11.39**	**17.45**	**40.60**	**16.97**	**9.20**	**9.82**	**0.01**	**903.19**

नोट:

1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है|

2) वार्षिक किराया के आधार पर प्रारंभ में 60 वर्षों के लिए जिसकी शुरुआत दिनांक 01.02.2009 से हुई, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से पट्टे पर दी गई ज़मीन पर भवन का निर्माण हुआ है| आपसी समझौते के आधार पर पट्टे की अवधि को अगले 10 वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा |

नोट 4 क का परिशिष्ट - अन्य अमूर्त परिसंपत्ति

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

विवरण	संगणक सॉफ्टवेयर (अर्जित)	कुल
सकल वाहित मान		
1 अप्रैल, 2020 तक	136.86	**136.86**
योग / समायोजन	3.95	**3.95**
निपटारा / समायोजन	-	**-**
31 मार्च, 2021 तक	140.81	**140.81**
योग / समायोजन	3.42	**3.42**
निपटारा / समायोजन	-	**-**
31 मार्च, 2022 तक	144.23	**144.23**
संचित परिशोधन		
1 अप्रैल, 2020 तक	73.15	**73.15**
वर्ष हेतु परिशोधन/ समायोजन	29.16	**29.16**
निपटारा / समायोजन	-	**-**
31 मार्च, 2021 तक	102.31	**102.31**
वर्ष हेतु परिशोधन/ समायोजन	22.47	**22.47**
निपटारा / समायोजन	-	**-**
31 मार्च, 2022 तक	124.78	**124.78**
निवल वाहित मान		
31 मार्च, 2021 तक	**38.50**	**38.50**
31 मार्च, 2022 तक	**19.45**	**19.45**

नोट:

1) व्यापार संयोजन एवं क्षतिपूर्ति हानि/प्रतिक्रमण द्वारा कोई प्राप्ति नहीं हुई है|

नोट 5 का परिशिष्ट-उपयोगाधिकार परिसंपत्ति

कंपनी के पास मौजूद उपयोगाधिकार परिसंपत्तिके विवरण निम्नप्रकार हैं:

विवरण	पट्टाधारी भूमि	कुल
सकल वाहित मान		
1 अप्रैल, 2020 तक	272.41	**272.41**
योग / समायोजन	-	**-**
निपटारा / समायोजन	-	**-**
31 मार्च, 2021 तक	272.41	**272.41**
योग / समायोजन	-	**-**
निपटारा / समायोजन	-	**-**
31 मार्च, 2022 तक	272.41	**272.41**
संचित परिशोधन		
1 अप्रैल, 2020 तक	5.45	**5.45**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास/ समायोजन	5.45	**5.45**
निपटारा / समायोजन	-	**-**
31 मार्च, 2021 तक	10.90	**10.90**
वर्ष हेतु मूल्यह्रास/ समायोजन	5.45	**5.45**
निपटारा / समायोजन	-	**-**
31 मार्च, 2022 तक	16.35	**16.35**
निवल वाहित मान		
31 मार्च, 2021 तक	**261.51**	**261.51**
31 मार्च, 2022 तक	**256.06**	**256.06**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

		31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
6	**ऋण (खरी मानी गईं, असुरक्षित)**		
	(क) कर्मचारी को अग्रिम	0.42	0.92
	(ख) कर्मचारी को अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज	0.15	0.23
		0.57	**1.15**
7	**अन्य वित्तीय परिसंपत्ति**		
	(क) प्रतिभूति जमा	0.02	0.02
	(ख) 12 महीने से अधिक की शेष परिपक्वता के साथ बैंक जमा राशि	4,799.76	-
	(ग) प्रतिभूति जमा के बदले में निर्गत गारंटी के विरुद्ध अंतराल राशि के रूप में रखी गई जमा राशि	-	0.46
	(घ) बैंक जमा से प्रोद्भूत ब्याज	15.94	
		4,815.72	**0.48**
8	**अन्य दीर्घकालीन परिसंपत्ति**		
	(क) पूँजी अग्रिम	-	3.00
	(ख) आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	6,319.76	7,697.54
	(ग) कर प्राधिकारों के साथ जमा	5,000.00	5,000.00
	(घ) विरोध के तहत भुगतान किए गए कर	5,500.78	5,500.78
	(ङ) कर-बकाया वापसी	17,004.89	14,496.23
		33,825.43	**32,697.55**
9	**वस्तु-सूची**		
	जारी व्यापार सामग्री	**15.72**	**16.63**
10	**व्यापार प्राप्तियाँ**		
	(क) खरी मानी गई व्यापार प्राप्तियाँ -सुरक्षित	339.01	1,410.92
	(ख) खरी मानी गई व्यापार प्राप्तियाँ –असुरक्षित	18,219.08	40,456.33
	(ग) व्यापार प्राप्तियाँ जिनमें ऋण जोखिम की अर्थपूर्ण वृद्धि हुई है	12,089.11	14,774.63
	(घ) व्यापार प्राप्तियाँ - ऋण क्षति	4,717.82	2,276.19
		35,365.02	**58,918.07**
	घटाइए: संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता- जिनमें ऋण जोखिम की अर्थपूर्ण वृद्धि हुई है	12,089.11	14,774.63
	घटाइए: संदिग्ध ऋण के लिए हानि भत्ता	4,717.82	2,276.19
		18,558.09	**41,867.25**

नोट 10 का परिशिष्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

31 मार्च, 2022 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालप्रभावन सारणी

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

विवरण		भुगतान की तिथि से बकाया अवधि हेतु बाकी					
		6 महीने से कम	6 महीना-1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – खरी मानी गई	1372.22	90.20	2825.05	4754.08	9516.54	**18,558.09**
(ii)	अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – जिसके ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई	-	-	65.58	3038.82	6944.97	**10,049.37**
(iii)	अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – ऋण क्षति	-	-	-	-	4707.18	**4,707.18**
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्तियाँ – खरी मानी गई	-	-	-	-		-
(v)	विवादित व्यापार प्राप्तियाँ – जिसके ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई	-	-	-	-	2039.74	**2,039.74**
(vi)	विवादित व्यापार प्राप्तियाँ – ऋण क्षति	-	-	-	-	10.64	**10.64**

31 मार्च, 2021 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालप्रभावन सारणी

विवरण		भुगतान की तिथि से बकाया अवधि हेतु बाकी					
		6 महीने से कम	6 महीना-1वर्ष	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – खरी मानी गई	7830.42	14542.94	6789.14	11350.42	1354.33	**41,867.25**
(ii)	अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – जिसके ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई	5.76	452.59	3814.87	2053.82	6407.85	**12,734.89**
(iii)	अविवादित व्यापार प्राप्तियाँ – ऋण क्षति	-	-	-	-	2276.19	**2,276.19**
(iv)	विवादित व्यापार प्राप्तियाँ – खरी मानी गई	-	-	-	-		-
(v)	विवादित व्यापार प्राप्तियाँ – जिसके ऋण जोखिम में व्यापक वृद्धि हुई	-	-	-	2039.74	-	**2,039.74**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

		31 मार्च. 2022 तक	31 मार्च. 2021 तक
11	**नकद एवं नकद समतुल्य:**		
	(क) बैंक में शेष – चालू खाता	237.07	348.00
	(ख) नकद	0.11	0.17
		237.18	**348.17**
12	**नकद एवं नकद समतुल्य के अलावा बैंक शेष**		
	(क) 12 महीने या उससे कम की वास्तविक परिपक्वता वाली बैंक में जमा राशि	86,320.62	84,875.94
	(ख) बदले में जारी गारंटी के प्रति समायोजन राशि के रूप में रखी गई बैंक जमा	0.47	7,830.92
	(ग) सी.एस.आर क्रियाकलाप के लिए बैंक में निर्दिष्ट निधि	477.29	633.46
	(घ) सी.एस.आर क्रियाकलाप के लिए बैंक में जमा राशि	227.38	220.90
		87,025.76	**93,561.22**
13	**अन्य वित्तीयपरिसंपत्ति**		
	(क) बैंक में जमा राशि के लिए प्रोद्भूत ब्याज	2,454.29	3,044.17
	(ख) बिना बिल का राजस्व (खरी माने गए, असुरक्षित	83.91	202.33
	(ग) अन्य प्राप्तियाँ	16.37	14.00
		2,554.57	**3,260.50**
14	**अन्य चालू परिसंपत्ति**		
	(असुरक्षित-खरे माने गए)		
	(क) आपूर्तिकर्ता को अग्रिम	10,215.57	10,067.79
	(ख) उपदान निधि	5.73	33.99
	(ग) राजस्व विभागों के पास बकाया	3,756.56	4,279.53
		13,977.86	**14,381.31**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

			31 मार्च. 2022 तक	31 मार्च. 2021 तक
15	**एक्विटी शेयर पूँजी:**			
	(क)	**अधिकृत:**		
		(i) ₹100 प्रति के शेयर की संख्या	1,00,00,000	1,00,00,000
		(ii) शेयरों की राशि (₹ लाख में)	10,000.00	10,000.00
	(ख)	**निर्गत, अभिदत्त एवं पूर्णरूपेण प्रदत्त:**		
		(i) ₹100 प्रति के शेयर की संख्या	6,80,000	6,80,000
		(ii) (ii) शेयरों की राशि (₹ लाख में)	680.00	680.00

(ग)	**अवधि के आरंभ एवं अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या का सामंजस्य**	**31 मार्च. 2022 तक**	**31 मार्च. 2021 तक**
(i)	वर्ष के आरंभ में बाकी बचे शेयरों की संख्या	6,80,000	6,80,000
(ii)	वर्ष के दौरान जारी शेयर की संख्या	-	-
(iii)	**वर्ष के अंत में बाकी बचे शेयरों की संख्या**	**6,80,000**	**6,80,000**
(iv)	वर्ष के आरंभ में बाकी बचे शेयरों की राशि	680.00	680.00
(v)	वर्ष के दौरान जारी शेयर की राशि	-	-
(vi)	**वर्ष के अंत में बाकी बचे शेयरों की राशि**	**680.00**	**680.00**

(घ) लाभांश के वितरण एवं पूँजी के पुनर्भुगतान पर प्रतिबंध सहित शेयर के प्रत्येक वर्ग से जुड़े अधिकार, अधिमान एवं प्रतिबंध

(i) कंपनी के पास ₹100 प्रति शेयर के सम मूल्य के शेयर के एक ही वर्ग हैं जिसे एक्विटी शेयर कहा जाता है| प्रत्येक एक्विटी शेयर धारक को एक मत का अधिकार प्राप्त है| मंडल द्वारा प्रस्तावित लाभांश वार्षिक आम बैठक की घोषणा पर निर्भर करता है|

(ii) निवेश और लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग (डीआइपीएएम) के दिशानिर्देशों के अनुसार, कर पश्चात् लाभ का कम-से-कम 30% या कुल पूँजी का 5%, जो भी अधिक हो, भारत सरकार को लाभांश के रूप में दिया जाएगा और कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुरूप पूँजी का पुनर्भुगतान होगा |

(ङ.) धारित शेयर की संख्या का उल्लेख करते हुए कंपनी में कुल शेयर के 5% से अधिक शेयर धारण करने वाले शेयरधारकों के विवरण :

₹100 प्रत्येक के प्रदत्त एक्विटी शेयर के समस्त 6,80,000 शेयर के 100 % राष्ट्रपति एवं उनके द्वारा मनोनीत सदस्यों के नाम केंद्र सरकार (भारत सरकार) के पास है|

(च) विकल्प के तौर पर जारी किए जाने वाले कोई भी शेयर आरक्षित नहीं है|

(छ) तुलनपत्र की तिथि तक कोई भी प्रतिभूति एक्विटी शेयर में परिवर्तन के लिए बाकी नहीं है|.

(ज) तुलनपत्र तैयार किए जाने के ठीक पहले पाँच वर्षों की अवधि के लिए सूचना तुलनपत्र तैयार किया जाता है|

---अनुसूची के अनुसार ----

नोट 15 का परिशिष्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

तुलनपत्र तैयार किए जाने की तिथि के तुरंत पहले तक पिछले पाँच वर्ष के आँकड़े

विवरण		31 मार्च. 2022 तक	31 मार्च. 2021 तक	31 मार्च. 2020 तक	31 मार्च. 2019 तक	31 मार्च. 2018 तक	31 मार्च. 2017 तक
(i)	बिना नकद प्राप्ति के संविदा के अनुरूप पूर्ण प्रदत्तशेयर के तौर पर आबंटित शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
(ii)	बोनस शेयर के माध्यम से पूर्ण प्रदत्तशेयर के तौर पर आबंटित शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	₹ 100/-प्रत्येक की दर से ₹ 340 लाख मूल्य के 3,40,000 एक्विटी शेयर	शून्य
(iii)	पुन: खरीदे गए शेयर के प्रकार एवं कुल संख्या	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	₹ 100/-प्रत्येक के प्रत्यक्ष मूल्य पर ₹ 0.40 लाख प्रत्येक के 60,000 एक्विटी शेयर	शून्य

प्रवर्तकों की शेयरधारिता के विवरण निम्नप्रकार हैं:

वर्ष के अंत में प्रवर्तकों द्वारा धारित शेयर					
प्रवर्तक का नाम	**31 मार्च. 2022 तक**		**31 मार्च. 2021 तक**		**वर्ष के दौरान प्रतिशत परिवर्तन**
	शेयर की संख्या	**शेयर का प्रतिशत**	**शेयर की संख्या**	**शेयर का प्रतिशत**	
महामहिम राष्ट्रपति जी एवं उनके नामित सदस्यों द्वारा केंद्र सरकार (भारत सरकार)	680,000	100%	680,000	100%	-
Total	**680,000**	**100%**	**680,000**	**100%**	**-**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

		31 मार्च. 2022 तक	31 मार्च. 2021 तक
16	**अन्य एक्विटी**		
	एक्विटी में परिवर्तनों की संलग्न विवरणी के अनुसार	150,706.62	156,051.45
17	**पट्टा देयता**		
	(क) दीर्घकालीन	270.38	270.95
	(ख) चालू	0.57	0.52
		270.95	**271.47**
18	**प्रावधान**		
	(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान - छुट्टी नकदीकरण	-	39.97
		-	**39.97**
19	**व्यापार देय (नोट का अनुलग्नक देखें)**		
	(क) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों के बाकी बची कुल बकाया राशि	5.25	14.20
	(ख) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों के पास बाकी बची बकाया राशि	9,087.91	24,216.17
	(ग) सूक्ष्म एवं लघु उद्यमों को छोड़कर लेनदारों के पास बिना बिल की बाकी बची बकाया राशि	324.60	26.54
		9,417.76	**24,256.91**
	अतिरिक्त सूचना:		
	कंपनी के पास उपलब्ध सूचना के आधार पर सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 (एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम) के तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यमों के पास बाकी बची बकाया राशि निम्नवत् है:		
	विवरण		
	1 बाकी और अप्रदत्तब्याज मूलधन	5.25	14.20
	2 उपर्युक्त (1) के बाकी ब्याज और अप्रदत्तब्याज	-	-
	3 एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम के तहत सभी विलंबित भुगतान पर प्रदत्तब्याज	-	-
	4 वर्ष के दौरान निर्धारित तिथि के बाद किए गए भुगतान	-	-
	5 उपर्युक्त (3) को छोड़कर विलम्ब-अवधि के लिए बाकी और देय ब्याज	-	-
	6 प्रोद्भूत एवं अप्रदत्तबाकी बचे ब्याज	-	-
	7 एम.एस.एम.ई.डी अधिनियम, 2006 की धारा 23 के तहत व्यय छूट की अस्वीकृति के उद्देश्य से लघु उद्यम को उस तिथि तक जब उपर्युक्त बकाया ब्याज का वास्तविक भुगतान किया गया है और आगामी वर्षों में भी आगे दिए जाने वाले बाकी एवं देय ब्याज	-	-

नोट 19 का परिशिष्ट

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

31 मार्च, 2022 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालप्रभावन सारणी

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

विवरण		भुगतान की तिथि से बकाया अवधि हेतु बाकी				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	5.25	-	-	-	**5.25**
(ii)	अन्य	1,255.44	1,199.34	1,655.19	4,977.94	**9,087.91**
(iii)	विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	**-**
(iv)	विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	**-**

31 मार्च, 2021 तक व्यापार प्राप्तियाँ कालप्रभावन सारणी

Particulars		भुगतान की तिथि से बकाया अवधि हेतु बाकी				
		1 वर्ष से कम	1-2 वर्ष	2-3 वर्ष	3 वर्ष से अधिक	कुल
(i)	एमएसएमई	14.20	-	-	-	**14.20**
(ii)	अन्य	10,152.45	8,229.97	4,204.74	1,629.01	**24,216.17**
(iii)	विवादित बकाया – एमएसएमई	-	-	-	-	**-**
(iv)	विवादित बकाया – अन्य	-	-	-	-	**-**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

		31 मार्च. 2022 तक	31 मार्च. 2021 तक
20	**अन्य वित्तीयदेयता – चालू**		
	(क) अन्य देयता के लिए लेनदार	82.79	84.30
	(ख) अन्य-प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	1,122.26	1,977.20
		1,205.05	**2,061.50**
21	**अन्य चालू देयता**		
	(क) सांविधिक देयता	269.58	2,416.73
	(ख) ग्राहकों से अग्रिम	481.17	1,050.46
	(ग) अग्रिम के तौर पर प्राप्त राजस्व	1,489.67	2,896.94
		2,240.42	**6,364.13**
22	**प्रावधान**		
	(क) कर्मचारी लाभ के लिए प्रावधान- अवकाश नकदीकरण	11.40	8.73
	(ख) कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वप्रतिबद्धता हेतु प्रावधान (नोट 29 का संदर्भ लें)	704.05	822.02
		715.45	**830.75**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

नोट सं.	विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
23	**प्रचालनों से राजस्व:**		
	(क) **उत्पादों की बिक्री:**		
	(i) निर्यात	64.60	53.81
	(ii) घरेलू	1,097.33	6,708.23
	कुल (ए)	**1,161.93**	**6,762.04**
	(ख) **सेवाओं की बिक्री:**		
	(i) **निर्यात**		
	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी	170.99	139.81
	परिवर्तन-प्रमोचन सेवाएँ	(91.28)	-
	मिशन सहायता सेवाएँ	60.19	151.12
	(ii) **घरेलू**		
	अंतरिक्ष खण्ड क्षमता - इन्सैट	(844.37)	(1,138.22)
	घटाइए: अंतरिक्ष विभाग राजस्व शेयर	(717.72)	(967.49)
		(126.65)	(170.73)
	अंतरिक्ष खण्ड क्षमता - विदेशी उपग्रह	13,932.64	55,173.55
	आँकड़ा सूचना अभिगम शुल्क प्राप्ति	2,447.16	2,717.95
	मिशन सहायता सेवाएँ	604.90	604.90
	परामर्शिता सेवा प्राप्तियाँ	4.74	59.48
	कुल (ख)	**17,002.69**	**58,676.08**
	कुल (क)+(ख)	**18,164.62**	**65,438.12**
24	**अन्य आय:**		
	(क) ब्याज से प्राप्त आय		
	(i) बैंक में जमा राशि पर	4,420.61	4,176.39
	(ii) व्यापार प्राप्तियों पर	228.54	427.87
	(iii) आयकर वापसी पर	-	259.71
	(iv) कर्मचारियों को अग्रिम पर	0.05	0.04
	(ख) ग्राहकों से प्रोत्साहन	140.56	127.88
	(ग) पुनर्लिखित संदिग्धपूर्ण ऋण	243.89	322.14
	(घ) पुनर्लिखित अनावश्यक देयता	23.15	-
	(ङ) सरकारी अनुदान से आय	22.69	22.69
	(च) विक्रेताओं से परिनिर्धारित क्षति प्राप्ति	-	183.09
	(छ) विविध आय	0.38	0.27
		5,079.87	**5,520.08**
25	**प्रचालनों से राजस्व की लागत**		
	(क) उत्पादों की बिक्री की लागत		
	(i) निर्यात	28.62	24.01
	(ii) घरेलू (निवल)	194.99	6,104.55
	कुल (क)	**223.61**	**6,128.56**
	(ख) सेवाओं की बिक्री की लागत		
	(i) **निर्यात**		
	अभिगम शुल्क एवं रॉयल्टी	102.60	83.88
	परिवर्तन-प्रमोचन सेवाएँ	(73.03)	-
	मिशन सहायता सेवाएँ	34.98	102.87
	(ii) **घरेलू**		
	परामर्शिता सेवाएँ	2.41	51.76
	अंतरिक्ष खण्ड क्षमता - विदेशी उपग्रह	12,921.71	51,239.43
	आँकड़ा सूचना अभिगम शुल्क	2,248.78	2,535.75
	मिशन सहायता सेवाएँ	526.50	526.50
	कुल (ख))	**15,763.95**	**54,540.19**
	कुल (क)+(ख)	**15,987.56**	**60,668.75**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

		For the year ended March 31, 2022	For the year ended March 31, 2021
26	**माल की वस्तु-सूची में परिवर्तन**		
	(i) प्रारंभिक स्टॉक	16.63	39.77
	(ii) घटाइए: अंतिम स्टॉक	15.72	16.63
		0.91	**23.14**
27	**कर्मचारी लाभ व्यय**		
	वेतन एवं अधिलाभ	278.22	289.37
	अन्य निधि में योगदान	45.82	47.21
	कर्मचारी कल्याण एवं सुविधाएँ	5.30	15.47
		329.34	**352.05**
28	**वित्तलागत:**		
	पट्टे की देयता पर ब्याज	22.27	22.30
		22.27	**22.30**
29	**अन्य व्यय:**		
	यात्रा व्यय	17.78	13.19
	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.99	2.39
	संचार संबंधी व्यय	19.12	24.33
	कानूनी शुल्क एवं व्यय	1,578.81	312.68
	परामर्शिता एवं व्यावसायिक शुल्क	35.32	53.77
	महसूल एवं कर	287.40	46.00
	विज्ञापन एवं प्रचार	6.38	17.36
	परिनिर्धारित नुकसानी	88.90	-
	सदस्यता एवं अभिदान	4.39	4.37
	जनशक्ति व्यय	72.90	102.69
	बीमा शुल्क	4.37	3.70
	विदेशी मुद्रा विनिमय एवं अंतरण से कुल हानि	393.84	398.93
	बैंक प्रभार	3.69	10.88
	बैंक गारंटी एवं एलसी प्रभार	(13.73)	131.94
	मरम्मत एवं अनुरक्षण-अन्य	36.40	25.30
	लेखापरीक्षकों को भुगतान:		
	सांविधिक लेखापरीक्षण हेतु	5.40	5.40
	सांविधिक लेखापरीक्षण हेतु	-	1.00
	कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्वक्रियाकलापों पर व्यय (अनुलग्नक के अनुरूप विवरण)	574.86	820.53
	संपत्तिसंयंत्र एवं उपकरण की बिक्री से हानि विविध	0.18	0.28
	व्यय	14.58	19.14
		3,133.58	**1,993.88**
30	**आस्थगित कर**		
	वर्ष के दौरान उद्भूत होने वाले आस्थगित कर	53.33	70.79
		53.33	**70.79**

नोट 29 का परिशिष्ट

31 मार्च 2022 को समाप्त वित्त वर्ष के अंत में किए गये कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व ('सीएसआर') व्यय के विवरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए
कंपनी द्वारा अग्रेनीत व्यय नहीं की गई/(समायोजन हेतु राशि)	(0.53)	112.00
कंपनी द्वारा वर्ष हेतु व्यय के लिए आबंटित राशि	549.00	708.00
जोड़ें: सीएसआर निधि पर अर्जित ब्याज	26.31	-
कंपनी द्वारा वर्ष हेतु व्यय के लिए कुल राशि	**574.78**	**820.00**
पीएम केयर कोष में योगदान	-	60.00
विद्यालयों एवं महाविद्यालयों में शैक्षिक एवं संबंधित गतिविधियाँ	45.72	122.95
सशस्त्र सेना झंडा दिवस कोष (एएफएफडीएफ), युद्ध में दिवंगत सैनिकों की विधवाओं, भूतपूर्व सैनिकों एवं उनके आश्रितों के लिए केंद्रीय सैनिक बोर्ड (केएसबी) में योगदान	5.00	10.00
महिला सशक्तिकरण	5.07	70.00
विद्यालयों, अस्पतालों, घरों , सामुदायिक एवं सार्वजनिक उपयोग के स्थानों में स्वच्छता	0.54	49.71
चिकित्सीय सहयोग एवं स्वास्थ्य देखभाल	401.22	305.21
सिरसी, कर्नाटक के निकट सौर ऊर्जा सहायता प्रणाली की स्थापना	-	3.16
केरल के बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए 'आशा परियोजना' के तहत गृह-निर्माण	-	60.00
सांत्वना हॉस्पाइस में पेलेटिव देखभाल इकाई का उन्नयन	-	9.00
वृद्धाश्रम एवं अनाथालय के लिए उपकरण एवं सहायता सामग्री	12.27	0.78
आइआइटी, धारवाड़ में अंतरिक्ष प्रयोगशाला की स्थापना	-	128.00
कर्नाटक के वनों के लिए बाघ हेतु रेडियो कॉलर एवं दो अंकीय खोजी उपकरण	105.00	-
विविध सीएसआर व्यय	0.04	1.72
कुल व्यय	**574.86**	**820.53**
कंपनी द्वारा अग्रेनीत व्यय हेतु/(समायोजन हेतु राशि)	**(0.08)**	**(0.53)**
व्यय में शामिल प्रतिबद्ध देयता जिसे व्यय किया जाना बाकी है	**704.05**	**822.02**
इण्ड एएस 24 के अनुरूप सीएसआर व्यय से जुड़े संबंधित पक्ष अंतरण के विवरण - संबंधित पक्ष प्रकटीकरण	शून्य	शून्य

31 आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल)

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर ऑकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

विवरण	31 मार्च, 2022 तक	31 मार्च, 2021 तक
(क) आस्थगित कर परिसंपत्ति		
कर कटौती में समयांतर	4,229.98	4,291.35
	4,229.98	4,291.35
(क) आस्थगित कर देयता		
कर कटौती में समयांतर	1,183.33	1,191.37
	1,183.33	1,191.37
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**3,046.65**	**3,099.98**

31 आस्थगित कर परिसंपत्ति (निवल) जारी

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

क) लाभ तथा हानि लेखा में मान्य राशि

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
वर्तमान कर व्यय:	1,075.20	2,080.56
आस्थगित कर व्यय	53.33	70.79
निवल कर व्यय	**1,128.53**	**2,151.35**

ख) अन्य व्यापक आय में मान्य राशि

विवरण	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु
क) मद जिन्हे लाभ तथा हानि लेखा में पुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगापुनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा		
पनर्वगीकृत नहीं किया जाएगा		
रोज़गार के बाद पारिभाषित लाभ योजनाओं पर	12.62	4.63
उपर्युक्त मद का कर प्रभाव	(3.20)	(1.17)
कुल	**9.42**	**3.46**

ग) प्रभावी आयकर दर का सामंजस्य				
विवरण	**31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**		**31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**	
	राशि	**दर**	**राशि**	**दर**
कर पूर्व लाभ	3,624.28	25.168%	7,722.47	25.168%
अपेक्षित आयकर व्यय	912.16		1,943.59	
अपेक्षित आयकर व्यय के साथ प्रतिवेदित आयकर व्यय के सामंजस्य के लिए समायोजन				
पर कर प्रभाव	859.70		825.50	
स्थाई अंतर	859.70		825.50	
समायोजन (निवल) का प्रभाव	216.37		207.76	
समायोजन पर कर का प्रभाव	**1,128.53**		**2,151.35**	
वर्ष के लिए कुल आयकर व्यय		**31.14%**		**27.86%**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

घ) आस्थगित कर शेष में परिचालन				
विवरण	**1 अप्रैल, 2020 तक**	**लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य**	**अन्य व्यापक आय में मान्य**	**31 मार्च, 2021 तक**
	कर परिसंपत्ति			**कर परिसंपत्ति**
कर कटौती में समयांतर				
ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	4,372.43	(81.08)	-	4,291.35
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्ति)/देयता	**4,372.43**	**(81.08)**	**-**	**4,291.35**
अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण			-	-
	कर देयता			**कर देयता**
कर कटौती में समयांतर				
विरोध के तहत प्रदत्त कर	1,154.78	-	-	1,154.78
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	46.88	(10.29)	-	36.59
	1,201.66	**(10.29)**	**-**	**1,191.37**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**3,170.77**	**(70.79)**	**-**	**3,099.98**

ङ) आस्थगित कर शेष में परिचालन				
विवरण	**1 अप्रैल, 2020 तक**	**लाभ एवं हानि विवरणी में मान्य**	**अन्य व्यापक आय में मान्य**	**31 मार्च, 2021 तक**
	कर परिसंपत्ति			**कर परिसंपत्ति**
कर कटौती में समयांतर				
ऋण के प्रति क्षतिपूर्ति भत्ता	4,291.35	(61.37)	-	4,229.98
निश्चित होने से पूर्व कर (परिसंपत्ति)/देयता	**4,291.35**	**(61.37)**	**-**	**4,229.98**
अप्रयुक्त कर जमा का अग्रसारण				
	कर देयता			**कर देयता**
कर कटौती में समयांतर				
विरोध के तहत प्रदत्त कर	1,154.78	-	-	1,154.78
संपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	36.59	(8.04)	-	28.55
	1,191.37	**(8.04)**		**1,183.33**
निवल आस्थगित कर परिसंपत्ति	**3,099.98**	**(53.33)**	**-**	**3,046.65**

32 प्रति शेयर आय (ई.पी.एस.)

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

i. एक्विटी धारक से संबंधित लाभ

	31 मार्च, 2022 को माप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
वर्ष के लिए कर पश्चात् लाभ	2,495.75	5,571.12
प्रारंभिक आय के लिए कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित लाभ	**2,495.75**	**5,571.12**
अन्य	-	-
मिले-जुले प्रभाव को समायोजित करने के बाद कंपनी के एक्विटी धारक से संबंधित लाभ	**2,495.75**	**5,571.12**

ii. प्रश्रय दी गई एक्विटी शेयर की औसत संख्या

	31 मार्च, 2022 को माप्त वर्ष के लिए	31 मार्च, 2021 को समाप्त वर्ष के लिए
प्रश्रय दी गई शेयर की औसत संख्या	6,80,000	6,80,000
मिले-जुले प्रभाव (अगर कोई हो)	-	-
	6,80,000	**6,80,000**
₹ 100 के मामूली मान की प्रति शेयर मौलिक आय (₹)	**367.02**	**819.28**
₹ 100 के मामूली मान की प्रति शेयर मिली-जुली आय (₹)	**367.02**	**819.28**

33 वित्तीय संलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट
लेखाविधि वर्गीकरण एवं उचित मूल्य

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

31 मार्च 2021 को

	वाहित मूल्य				उचित मान			
	एफवीटीपीएल	**एफवीटीओसीआई**	**परिशोधित लागत**	**कुल**	**स्तर 1**	**स्तर 2**	**स्तर 3**	**कुल**
उचित मूल्य में मापित वित्तीय परिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय परिसंपत्ति								
दीर्घकालीन ऋण								
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	0.57	0.57	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि सहित			4,815.70	4,815.70	-	-	-	-
चालू वित्तीय परिसंपत्ति								
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	18,558.09	18,558.09	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	237.18	237.18	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	87,025.76	87,025.76				
अन्य वसूली योग्य	-	-	16.37	16.37	-	-	-	-
बिना बिल के राजस्व			83.91	83.91				
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	2,454.29	2,454.29	-	-	-	-
	-	**-**	**1,13,191.89**	**1,13,191.89**	**-**	**-**	**-**	**-**
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीय देयता								
चालू वित्तीय देयता		-	270.38	270.38	-	-	-	-	-
पट्टा देयता								
चालू वित्तीय देयता		-	0.57	0.57				
पट्टा देयता		-	9,417.76	9,417.76	-	-	-	-
व्यापार देय		-	82.79	82.79	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार		-	1,122.26	1,122.26	-	-	-	-
	-	**-**	**10,893.76**	**10,893.76**	**-**	**-**	**-**	**-**

33 वित्तीयसंलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

31 मार्च 2021 को

	वाहित मूल्य				उचित मान			
	एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	कुल	स्तर 1	स्तर 2	स्तर 3	कुल
उचित मूल्य में मापित वित्तीयपरिसंपत्ति	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीयपरिसंपत्ति								
दीर्घकालीन वित्तीयपरिसंपत्ति								
कर्मचारियों को अग्रिम	-	-	1.15	1.15	-	-	-	-
प्रतिभूति जमा	-	-	0.02	0.02				
12 महीने से अधिक की परिपक्वता वाली बैंक जमा राशि सहित अन्य वित्तीयपरिसंपत्ति			0.46	0.46				
चालू वित्तीयपरिसंपत्ति								
व्यापार प्राप्तियाँ	-	-	41,867.25	41,867.25	-	-	-	-
नकद एवं नकद समतुल्य	-	-	348.17	348.17	-	-	-	-
अन्य बैंक शेष राशि	-	-	93,561.22	93,561.22				
अन्य वसूली योग्य	-	-	14.00	14.00	-	-	-	-
बिना बिल के राजस्व			202.33	202.33				
बैंक में जमा पर प्रोद्भूत ब्याज	-	-	3,044.17	3,044.17	-	-	-	-
	-	**-**	**1,39,038.77**	**1,39,038.77**	**-**	**-**	**-**	**-**
उचित मूल्य में अमापित वित्तीयदेयता	-	-	-	-	-	-	-	-
उचित मूल्य में अमापित वित्तीयदेयता								
दीर्घकालीन वित्तीयदेयता								
पट्टा देयता	-	-	270.95	270.95	-	-	-	-
चालू वित्तीयदेयता								
पट्टा देयता			0.52	0.52				
व्यापार देय	-	-	24,256.91	24,256.91	-	-	-	-
अन्य देयता के लिए लेनदार	-	-	84.30	84.30	-	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	-	-	1,977.20	1,977.20	-	-	-	-
	-	**-**	**26,589.88**	**26,589.88**	**-**	**-**	**-**	**-**

उचित मूल्य क्रम

उचित मूल्य मापन - नोट 3.4 (vii) का संदर्भ लें

ख. वित्तीयजोखिम प्रबंधन

वित्तीयसंलेख से उत्पन्न होने वाले निम्नलिखित जोखिम से कंपनी प्रभावित हो सकती है:

- ऋण जोखिम;
- तरलता जोखिम ;और;
- बाज़ार जोखिम

i. जोखिम प्रबंधन खाका

कंपनी की मुख्य वित्तीयदेयताओं में व्यापार देय तथा ग्राहकों से जमा शामिल हैं। इन वित्तीयदेयताओं का मुख्य उद्देश्य कंपनी के व्यापार के लिए आर्थिक व्यवस्था करना है। कंपनी की मुख्य वित्तीय परिसंपत्तिमें व्यापार प्राप्तियाँ, नकद, जमा तथा इसके व्यापार से प्रत्यक्ष रूप से उद्भूत निवेश शामिल हैं।

कंपनी के क्रियाकलाप इसे कई तरह के वित्तीयजोखिमों में डालते हैं: बाज़ार जोखिम, ऋण जोखिम और तरलता जोखिम। कंपनी का मुख्य ध्यान वित्तीयबाज़ार की अनिश्चितता और अपनी वित्तीय निष्पादकता पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव को कम करने पर केंद्रित होता है। कंपनी का मुख्य जोखिम विदेशी मुद्रा जोखिम होता है। ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है।

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

33 वित्तीय संलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

ii.ऋण जोखिम

ऋण जोखिम कंपनी के लिए वित्तीय हानि का जोखिम है यदि वित्तीय संलेख के लिए एक ग्राहक या प्रतिरूपक अपने संविदा दायित्व को पूर्ण करने से चूक जाता है, और मुख्यत: कंपनी को ग्राहकों से मिलने वाली प्राप्तियों एवं ऋण प्रतिभूति में निवेश से उत्पन्न होता है।

निम्नलिखित वित्तीय परिसंपत्ति की वाहित राशि अधिकतम ऋण अनावरण का वर्णन करती है:

(क) व्यापार प्राप्तियाँ

ग्राहक की व्यक्तिगत विशेषता से पड़ने वाले विशेष प्रभाव के कारण ही कंपनी को ऋण जोखिम का सामना करना पड़ता है। हालाँकि, प्रबंधन उद्योग से मिलने वाले अनपेक्षित जोखिम एवं वह देश जहाँ ग्राहक काम करता है, सहित उन कारणों पर भी विचार करता है जो ग्राहक के आधार को प्रभावित करता सकता है।

उद्योगजगत् के प्रचलनों एवं व्यापारिक वातावरण के आधार, जिस पर प्रतिष्ठान कार्य करता है, प्रबंधन यह विचार करता है कि व्यापार प्राप्तियाँ एवं ऋण अनपेक्षित (ऋण क्षतिग्रस्त) हैं यदि भुगतान 365 दिनों से अधिक समय से बाकी है और जमा या बैंक गारंटी के एवज में सुरक्षित नहीं है।

केंद्र/राज्य सरकारों,केंद्र/राज्य सरकारों के विभागों, केंद्र/राज्य सरकारों की स्वायत्त संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों जिनके लिए प्रावधान/हानि भत्ता की माप प्रकरण से प्रकरण पर आधारित होती है और अपेक्षित ऋण हानि हेतु विचार नहीं किया जाता है।

कंपनी क्षति हानि, जो व्यापार प्राप्तियों से संबंधित अपेक्षित हानि के लिए अपने परामर्शदाता से मिले आकलन इंगित करती है, के लिए भत्ता की व्यवस्था करती है।

व्यापार प्राप्तियों एवं व्यक्तिगत ग्राहकों से ऋण के लिए ऋण जोखिम एवं अपेक्षित ऋण हानि के अनावरण के बारे में सूचना निम्न लिखित सारणी से मिलती है:

31 मार्च 2022 को

	प्रभावशाली औसत हानि दर	**क्या ऋण क्षति हुई?**
छ: महीने से कम	0.00%	नहीं
छ: माह--1 वर्ष	0.00%	नहीं
1-2 वर्ष	2.27%	नहीं
2-3 वर्ष	38.99%	नहीं
3 वर्षों से अधिक	48.56%	नहीं
3 वर्षों से अधिक	100.00%	हाँ

31 मार्च, 2021 को

	प्रभावशाली औसत हानि दर	**क्या ऋण क्षति हुई?**
छ: महीने से कम	0.07%	नहीं
छ: माह--1 वर्ष	3.02%	नहीं
1-2 वर्ष	35.98%	नहीं
2-3 वर्ष	26.51%	नहीं
3 वर्षों से अधिक	82.55%	नहीं
3 वर्षों से अधिक	100.00%	हाँ

वर्ष के दौरान व्यापार तथा अन्य प्राप्तियों से संबंधित क्षति के लिए भत्ता में परिचालन इस प्रकार था:

	31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु	**31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**
1 अप्रैल तक शेष	17,050.82	17,372.96
पहचान की गई क्षति हानि	-	-
पुनर्लिखित राशि	243.89	322.14
31 मार्च तक शेष	**16,806.93**	**17,050.82**

ऋण जोखिम का भौगोलिक अभिकेंद्रन

व्यापार प्राप्तियों का भौगोलिक अभिकेंद्रन (सकल एवं निवल भत्ता), बिना बिल की प्राप्तियाँ एवं संविदा परिसंपत्ति अधोलिखित हैं:

देश	**31 मार्च, 2022 को**		**31 मार्च, 2021 को**	
	सकल %	निवल %	सकल %	निवल %
भारत	92.65	99.31	95.45	95.05
यूनाइटेड किंगडम	0.00	0.00	0.06	0.08
नीदरलैण्ड	5.72	0.00	3.49	3.93
अन्य देश	1.63	0.69	1.00	0.94

व्यापार प्राप्तियों का देश-व्यापी अनावरण ग्राहकों के स्थान पर आधारित है।

(ख) नकद एवं नकद समतुल्य

कंपनी के पास 31 मार्च 2022 तक ₹237.18 लाख (31 मार्च 2021 तक ₹348.17 लाख) का नकद और नकद समतुल्य था। नकद और नकद समतुल्य बैंक के पास रखा हुआ है।

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

33. वित्तीयसंलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

iii.तरलता जोखिम

तरलता जोखिम वह जोखिम है जिससे कंपनी को अपनी वित्तीयदेयता से संबंधित दायित्वों को पूर्ण करने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और जिसे नकद भुगतान या अन्य वित्तीयपरिसंपत्ति से व्यवस्थित किया जाता है । तरलता के प्रबंधन के लिए कंपनी की पहल यह सुनिश्चित करना है कि जहाँ तक संभव हो, सामान्य और कठिन परिस्थियों में, बिना किसी अस्वीकार्य हानि या कंपनी की साख को नुकसान पहुँचाए, अपनी देयता, जब वे देय हों, को पूर्ण करने के लिए पर्याप्त तरलता हो

कंपनी की तरलता प्रमुख स्रोत नकद और नकद समतुल्य हैं और वे नकद प्रवाह जिन्हें व्यापार से सृजित किया जाता है। कंपनी के पास बैंक से कोई उधार नहीं है। कंपनी को विश्वास है कि उसकी कार्यकारी पूँजी उसकी वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त है। इस प्रकार, किसी तरलता जोखिम का कोई अंदेशा नहीं है।

तरलता जोखिम के लिए अनावरण

रिपोर्टिंग तिथि तक वित्तीयदेयता की बाकी बची संविदात्मक परिपक्वता निम्नलिखित हैं । राशि सकल और बिना छूट की हैं, और इसमें अनुमानित ब्याज के भुगतान शामिल हैं तथा निवल समझौतों के प्रभाव शामिल नहीं हैं।

		संविदात्मक नकद प्रवाह			
31 मार्च 2022 तक	**वाहित राशि**	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-4 वर्ष**	**4-7 वर्ष**
मुखर वित्तीयदेयता					
सामान्य					
व्यापार देय	9,417.76	9,417.76	-	-	-
अन्य चालू वित्तीयदेयता					
अन्य देयता के लिए लेनदार	82.79	82.79	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	1,122.26	1,122.26	-	-	-
	10,622.81	**10,622.81**	**-**	**-**	**-**

		संविदात्मक नकद प्रवाह			
31 मार्च 2021 तक	**वाहित राशि**	**1 वर्ष से कम**	**1-2 वर्ष**	**2-4 वर्ष**	**4-7 वर्ष**
मुखर वित्तीयदेयता					
असामान्य					
अन्य व्यापार देय					
चालू					
व्यापार देय	24,256.91	24,256.91	-	-	-
अन्य चालू वित्तीयदेयता					
अन्य देयता के लिए लेनदार	84.30	84.30	-	-	-
अन्य - प्रतिभूति एवं अन्य संविदा जमा	1,977.20	1,977.20	-	-	-
	26,318.41	**26,318.41**	**-**	**-**	**-**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

33 वित्तीयसंलेख – उचित मूल्य एवं जोखिम प्रबंधन (जारी)

iv. बाज़ार जोखिम

बाज़ार जोखिम वह जोखिम है जो बाज़ार मूल्यों के साथ बदलता है – जैसे विदेशी मुद्रा एवं ब्याज दर – कंपनी की आय या वित्तीयसंलेखों की धारिता के मान को प्रभावित करेंगे | बाज़ार जोखिम, विदेशी मुद्रा प्राप्ति एवं देय तथा दीर्घावधि ऋण सहित सभी बाज़ार प्रभावी वित्तीयसंलेखों के प्रति उत्तरदायीहै | कंपनी, मूलत: ब्याज दर जोखिम एवं निवेश के बाज़ार मूल्य से संबंधित बाज़ार जोखिम से प्रभावित है | अतएव, बाज़ार जोखिम का प्रभाव, निवेश एवं ऋण क्रियाकलाप का ही परिणाम है | बाज़ार जोखिम प्रबंधन का लक्ष्य विदेशी मुद्रा के अत्यधिक प्रभाव से बचाना है |

मुद्रा जोखिम

कंपनी, विदेशी मुद्रा में उत्पादों एवं सेवाओं के निर्यात के कारण मुद्रा जोखिम से प्रभावित है| कंपनी की प्रकार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपया(₹) है |

मुद्रा जोखिम से प्रभावित होने वाली कंपनी के परिमाणात्मक आँकड़े के सारांश निम्नप्रकार हैं :

31 मार्च 2022 को

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि				राशि लाख ₹ में			
	चालू परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय)
यूरो(ईयूआर)	28.42	-	1.41	27.01	2,432.47	-	120.68	2,311.79
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	1.78	-	31.28	(29.50)	135.58	-	2,382.60	(2,247.02)

31 मार्च 2021 को

मुद्रा	विदेशी मुद्रा की राशि				राशि लाख ₹ में			
	चालू परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय)	वित्तीय परिसंपत्ति	दीर्घकालीन देयता	चालू देयता	निवल प्राप्तियाँ/(देय)
यूरो(ईयूआर)	28.79	-	0.97	27.82	2,509.05	-	84.54	2,424.51
अमेरिकी डॉलर (यूएसडी)	1.70	-	260.22	(258.52)	125.29	-	19,178.24	(19,052.95)

सूक्ष्मग्राही विश्लेषण

वर्ष के अंत में भारतीय रुपए, अमेरिकी डॉलर, यूरो एवं अन्य मुद्राओं में तथ्यात्मक स्थिरता (अस्थिरता) की संभावनाएँ विदेशी मुद्रा में वित्तीयसंलेख के प्रारूपों को प्रभावित किया होगा और एक्विटी तथा नीचे दी गई राशि द्वारा लाभ या हानि को प्रभावित किया | इस विश्लेषण से पता चलता है कि अन्य सभी परिवर्तनांक, एक विशेष ब्याज दर में, स्थिर रहता है और क्रय एवं विक्रय की भविष्यवाणी से पड़ने वाले किसी भी प्रभाव को अनदेखा कर देता है

	(लाभ)/हानि		एक्विटी, कर का निवल	
	स्थिर	अस्थिर	स्थिर	अस्थिर
31 मार्च 2022				
यूरो(ईयूआर)(1% परिचालन)	23.12	(23.12)	17.30	(17.30)
अमेरिकी डॉलर (1% परिचालन)	(22.47)	22.47	(16.81)	16.81
31 मार्च 2021				
यूरो(ईयूआर)(1% परिचालन)	24.25	(24.25)	18.14	(18.14)
अमेरिकी डॉलर (1% परिचालन)	(190.53)	190.53	(142.58)	142.58

निम्नलिखित उल्लेखनीय विनिमय दर लागू किए गए हैं|

	वर्ष के अंत में दर	
	31 मार्च 2022	31 मार्च 2021
यूरो(ईयूआर)	85.59	87.15
अमेरिकी डॉलर(यूएसडी)	76.17	73.70

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

34.खण्ड सूचना

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 129 के अंतर्गत, कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय, भारत सरकार ने अपनी अधिसूचना जीएसआर 463(ई) दिनांक 05- जून-2015 के अनुसार प्रत्येक वर्ग के माल एवं उनसे संबंधित मूल्यों की अतिरिक्त सूचनाओं के प्रकटीकरण से छूट दे रखी है और उत्पादों की संवेदी प्रकृति तथा व्यापार के क्षेत्र के मद्देनज़र, भारतीय लेखा मानक 108-प्रचालन खण्ड के तहत चालू एवं पिछले वित्तीय वर्ष की अपेक्षित सूचना प्रदान नहीं की गई है|

35. संबंधित पक्ष-इण्ड ए.एस.-24

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड, केंद्र सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रित केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम (सी.पी.एस.यू) है। अनुच्छेद 25 और 26 के अनुसार, कंपनी को सरकार के साथ या केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के साथ संबंधित पार्टी लेनदेन के विस्तृत प्रकटीकरण से छूट दी गई है। कंपनी ने सरकार से संबंधित संस्थाओं के लिए उपलब्ध छूट को लागू किया है और वित्तीय विवरणी में सीमित प्रकटीकरण किया है। ऐसी संस्थाएँ जिनके साथ कंपनी के महत्वपूर्ण लेनदेन हैं, उनमें अंतरिक्ष विभाग ('अं.वि''), रक्षा मंत्रालय, भारत संचार निगम लिमिटेड शामिल हैं, लेकिन इन्हीं तक सीमित नहीं हैं।सरकारी एजेंसियों/सरकार द्वारा चलाई जा रही परियोजनाओं में सी.एस.आर योगदान को इण्ड-एएस 24 के तहत संबंधित पार्टी लेनदेन के रूप में नहीं माना जाता है।

नियंत्रण प्रतिष्ठान	**अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार**	
विवरण	**31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**
प्रमुख प्रबंधन दल		
संबंधित पक्ष का नाम	**संबंध**	**संबंध**
श्री राकेश शशिभूषण (13.12.2021 तक)	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक
श्री संजय कुमार अग्रवाल	अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक (अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)	निदेशक (वित्त)
वर्ष के दौरान संबंधित पक्ष के साथ किए गए अंतरण की सूची		
प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिकों को प्रदत्त पारिश्रमिक	81.08	85.25
अल्पकालीन कर्मचारी लाभ कार्य-समापन लाभ सहित वेतन	14.46	-
	95.54	**85.25**
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार		
वर्ष के दौरान बिक्री से अर्जित राजस्व	1,404.96	1,855.00
वर्ष के दौरान राजस्व पर किए गए व्यय	1,356.71	1,536.91
वर्ष के दौरान अंतरिक्ष खंड के लिए दी गई संविदा प्रबंधन सेवा से प्राप्त राजस्व	(126.65)	(170.73)
व्यय की प्रतिपूर्ति	0.29	33.10
	2,635.31	**3,254.28**
वर्ष के दौरान अन्य सरकारी विभागों, मंत्रालयों एवं सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से प्राप्त राजस्व	3,220.21	8,231.86

संबंधित पक्ष के साथ बाकी बची शेष राशि की सूची

विवरण	**31 मार्च 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**	**31 मार्च 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**
अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को देय (निवल)	5,645.26	3,985.95
सार्वजनिक क्षेत्र की संस्थाओं से प्राप्य (निवल)	13,070.62	31,173.71
अन्य सरकारी विभागों और मंत्रालयों से प्राप्य (निवल)	3,919.12	4,657.66

36. पूँजी प्रबंधन

एक मज़बूत पूँजीगत आधार सुरक्षित रखना कंपनी की नीति है ताकि निवेशक, लेनदार एवं बाज़ार में विश्वास बना रहे और व्यापार का विकासोन्मुखी भविष्य सुरक्षित रहे| प्रबंधन, पूँजी के साथ-साथ सामान्य शेयर धारकों को मिलने वाले लाभांश के स्तर पर निगरानी रखते हैं|

कंपनी, समायोजित निवल ऋण' एवं 'समायोजित एक्विटी के अनुपात का उपयोग कर पूँजी की निगरानी रखती है| इसके लिए, कुल देयता से नकद एवं नकद समतुल्य को घटाकर समायोजित निवल ऋण सुनिश्चित किया जाता है| समायोजित एक्विटी में सुरक्षा रिज़र्व में जमा राशि को छोड़कर इक्विटी के सारे घटक शामिल हैं|

अनुपात को 2.00 से कम रखना कंपनी की नीति है| 31 मार्च तक कंपनी के समायोजित निवल ऋण एवं एक्विटी अनुपात निम्नलिखित थे:

	31 मार्च 2022 तक	**31 मार्च 2021 तक**
कुल देयता	13,849.63	33,824.73
घटाइए : नकद एवं नकद समतुल्य	237.18	348.17
समायोजित निवल ऋण	**13,612.45**	**33,476.56**
कुल एक्विटी	1,51,386.62	1,56,731.45
घटाइए : बचाव रिज़र्व	-	-
समायोजित एक्विटी	**1,51,386.62**	**1,56,731.45**
समायोजित निवल ऋण एवं समायोजित एक्विटी का अनुपात	**0.09**	**0.21**

37. कर्मचारी लाभ से संबंधित परिसंपत्तिएवं देयता

(नोट 3 में लेखा नीति देखें)

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

i. . उपदान

विवरण	**31मार्च, 2022 को**	**31मार्च, 2021 को**
पारिभाषित लाभ दायित्व	80.88	79.58
योजना परिसंपत्तिका उचित मूल्य	(86.61)	(113.57)
कुल कर्मचारी लाभ देयता	**(5.73)**	**(33.99)**

लाभ एवं हानि लेखा में मान्य व्यय	**31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**
चालू सेवा लागत	9.90	10.98
निवल ब्याज लागत/ कुल (आय) पारिभाषित लाभ देयता /(परिसंपत्ति	(2.32)	1.17
कुल	**7.58**	**12.15**

अन्य व्यापक आय में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि	**31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**	**31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष हेतु**
बीमांकिक (लाभ)/हानि		
- वित्तीयमान्यताओं में परिवर्तन	(5.21)	0.10
- अनुभव समायोजन (यानी वास्तविक अनुभव बनाम मान्यताएँ)	(8.84)	(1.96)
निवल पारिभाषित लाभ देयता का सामंजस्य	1.43	(2.77)
कुल	**(12.62)**	**(4.63)**

निवल पारिभाषित लाभ देयता का सामंजस्य

पारिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

	31मार्च, 2022 को	**31मार्च, 2021 को**
वर्ष के आरंभ में शेष	79.58	65.95
लाभ प्रदत्त		
चालू सेवा लागत	9.90	10.98
आय लागत	5.45	4.51
पिछली सेवा से लाभ		
अन्य व्यापक आय में मान्य बीमांकिक (लाभ)/हानि		
- जनसांख्यिक मान्यताओं में परिवर्तन	-	-
- वित्तीयमान्यताओं में परिवर्तन	(5.21)	0.10
- अनुभव समायोजन	(8.84)	(1.96)
वर्ष के अंत में शेष	**80.88**	**79.58**

पारिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य

	31मार्च, 2022 को	**31मार्च, 2021 को**
पारिभाषित लाभ दायित्व के वर्तमान मूल्य का सामंजस्य	113.57	48.88
नियोजन में प्रदत्तयोगदान	0.69	58.58
लाभ प्रदत्त	-	-
ब्याज से आय	7.77	3.34
अन्य व्यापक आय में मान्य नियोजित परिसंपत्तिपर प्रतिलाभ	(1.43)	2.77
बची हुई राशि का समायोजन	(33.99)	
वर्ष के अंत में शेष	**86.61**	**113.57**
निवल पारिभाषित लाभ (परिसंपत्ति	**(5.73)**	**(33.99)**

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

उपदान (जारी)

1. बीमांकिक मान्यताएँ

रिपोर्टिंग तिथि तक निम्नलिखित मुख्य बीमांकिक मान्यताएँ थीं

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
छूट दर	7.30%	6.85%
वेतन वृद्धि दर	7.00%	7.00%
महँगाई भत्ताकी दर में वृद्धि (प्रति वर्ष)	7.00%	7.00%

2. लोकतांत्रिक मान्यताएँ

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
मृत्यु दर (आइ.इ.एल.एम.2012-14 का %)	100%	100%
आहरण दर, वय आधारित (प्रति वर्ष)		
30 वर्ष तक	3%	3%
31-40 वर्ष	2%	2%
40 वर्ष से ऊपर	1%	1%

भविष्य की नश्वरता से संबंधित मान्यताएँ प्रकाशित सांख्यिकी और नश्वरता-सारणी पर अभिव्यक्ति

3. सूक्ष्मग्राहिता विश्लेषण

रिपोर्टिंग तिथि तक अन्य मान्यता स्थिरांक धारित बीमांकिक मान्यताओं में एक संबंधित मान्यता के लिए तर्कसंगत संभावित परिवर्तन नीचे दिखाई गई राशि द्वारा पारिभाषित लाभ दायित्व प्रभावित हुआ होगा|

	31 मार्च, 2022 को		31 मार्च, 2021 को	
	कमी	वृद्धि	कमी	वृद्धि
छूट दर (1%परिचालन) ₹ लाख	93.32	70.56	91.88	69.44
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में %	15.40%	-12.80%	15.50%	-12.70%
भविष्य की वेतन वृद्धि (1%परिचालन)) ₹ लाख	68.45	95.64	67.16	94.39
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में %	-15.40%	18.30%	-15.60%	18.60%
क्षयण दर (50%परिचालन) ₹ लाख	81.14	80.61	80.40	78.80
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में %	0.30%	-0.30%	1.00%	-1.00%
मृत्यु दर (10% परिचालन) ₹ लाख	80.05	81.45	78.87	80.25
(सूक्ष्मग्राहिता के कारण आधार की तुलना में %	-1.00%	0.70%	-0.90%	0.80%

एलआइसीजीजीएफ के साथ बीमा के द्वारा योग्य कार्मिकों को उपदान दिया जाता है| बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा संगणित वार्षिक माँग लाभ तथा हानि लेखा एवं अन्य व्यापक आय के ख़रचे में लिखा जाता है|

अंतरिक्ष विभाग के कार्मिक, जो इस कंपनी के कार्मिक नहीं हैं, परन्तु कंपनी के लिए कार्य करते हैं, हेतु अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को दी जाने वाली राशि में ऊपर दी गई राशि शामिल नहीं है।

ii. अवकाश मूल्यांकन

1. परिसंपत्तिएवं देयता (तुलनपत्र की स्थिति)

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
दायित्व का वर्तमान मूल्य	133.80	133.15
नियोजित परिसंपत्तिका उचित मूल्य	122.40	84.45
अधिशेष/ (घाटा)	(11.40)	(48.70)
परिसंपत्तिसीमा का प्रभाव, यदि कोई हो	-	-
निवल देयता	**(11.40)**	**(48.70)**

2.कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुसार वर्ष के अंत में वर्तमान का द्विभागीकरण

	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को
चालू देयता (अल्पावधि)	11.40	8.73
दीर्घकालीन देयता (दीर्घावधि)	-	39.97
अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	**11.40**	**48.70**

भारत की एलआइसी के साथ अवकाश नकदीकरण से संबंधित सेवानिवृत्तिलाभ समूह अवकाश नकदीकरण योजना द्वारा दिया जाता है | बीमांकिक मूल्यांकन द्वारा संगणित वार्षिक माँग लाभ तथा हानि लेखा एवं अन्य व्यापक आय के ख़रचे में लिखा जाता है |

अंतरिक्ष विभाग के कार्मिक, जो इस कंपनी के कार्मिक नहीं हैं, परन्तु कंपनी के लिए कार्य करते हैं, हेतु अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार को दी जाने वाली राशि में ऊपर दी गई राशि शामिल नहीं है।

38. इण्ड एएस 37 के अंतर्गत प्रकटीकरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

प्रावधानों में परिचालन				
	1 अप्रैल, 2020 तक	योग	उपयोग की गई राशि	31 मार्च, 2021 तक
उपदान				
चालू	0.60	-	0.60	-
दीर्घकालीन	16.47	-	16.47	-
अवकाश नकदीकरण				
चालू	7.42	8.73	7.42	8.73
दीर्घकालीन	34.09	39.97	34.09	39.97
सी.एस.आर प्रतिबद्धताएँ	553.98	496.53	228.49	822.02
कुल	**612.56**	**545.23**	**287.07**	**870.72**

प्रावधानों में परिचालन				
	1 अप्रैल, 2021 तक	योग	उपयोग की गई राशि	31 मार्च, 2022 तक
उपदान				
चालू	-	-	-	-
दीर्घकालीन	-	-	-	-
अवकाश नकदीकरण				
चालू	8.73	11.40	8.73	11.40
दीर्घकालीन	39.97	-	39.97	-
सी.एस.आर प्रतिबद्धताएँ	822.02	433.79	551.76	704.05
कुल	**870.72**	**445.19**	**600.46**	**715.45**

39. भारतीय लेखाविधि मानक इण्ड एएस-38 -अमूर्त परिसंपत्तिके अंतर्गत प्रकटीकरण:

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

(क)	अमूर्त परिसंपत्तिकी श्रेणी	कम्प्यूटर सॉफ्टवेयर
(ख)	अमूर्त परिसंपत्तिकी प्रकृति	अलग से प्राप्त
(ग)	उपयोगी जीवन या परिशोधन दर	निश्चित उपयोगी जीवन
(घ)	उपयोग में लाई गई परिशोधन पद्धति	अनुज्ञप्ति की अवधि के पार परिशोधन सीधी रेखा के आधार पर और इसके अभाव में 5 वर्ष होता है
(ङं.)	सकल वाहित राशि	₹144.23 लाख (पिछले वर्ष ₹ 140.81 लाख)
(ङं.)	सकल वाहित राशि	₹124.78 लाख (पिछले वर्ष ₹ 102.31 लाख)
(च)	संचित परिशोधन	मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय
(छ)	लाभ तथा हानि लेखा की लाइन सामग्री जिसमें किसी अमूर्त परिसंपत्तिका परिशोधन शामिल है	शून्य
अवधि के आरंभ और अंत में वाहित राशि का सामंजस्य		
(i)	आंतरिक विकास से अलग, अलग से प्राप्त, एवं समामेलन से प्राप्त इंगित करते योग	अलग से प्राप्त- ₹ 3.42.00 लाख (पिछले वर्ष ₹ 3.95 लाख) आंतरिक तौर पर या समामेलन द्वारा विकसित कोई सॉफ्टवेयर नहीं है|
(ii)	इण्ड एएस-105 और अन्य निपटारे के अनुरूप बिक्री के लिए नियंत्रित के रूप में वर्गीकृत या बिक्री के लिए नियंत्रित के रूप में वर्गीकृत निपटारे के समूह में शामिल परिसंपत्ति	शून्य (पिछले वर्ष-शून्य)
(iii)	अवधि के दौरान, इण्ड एएस-36 के अनुरूप पुनर्मूल्यांकन और अन्य व्यापक आय में क्षति हानि स्वीकृत या प्रतिक्रमित से हुई वृद्धि या कमी	शून्य
(iv)	अवधि के दौरान, इण्ड एएस-36 के अनुरूप लाभ तथा हानि लेखा में स्वीकृत क्षति हानि	शून्य
(v)	अवधि के दौरान स्वीकृत कोई समामेलन	₹ 22.47 लाख (पिछले वर्ष ₹ 29.16 लाख)
(vi)	वित्तीयविवरणी के प्रदेय मुद्रा में स्थानांतरण, और अस्तित्व के विदेशी प्रचालन के प्रदेय मुद्रा में स्थानांतरण के कारण उद्भूत होने वाले निवल विनिमय अंतर	शून्य
(vii)	अवधि के दौरान वाहित राशि में अन्य परिवर्तन	शून्य

40. 31 मार्च 2022 को समाप्त हुए चालू वर्ष के लिए इण्ड एएस 116 के अंतर्गत पट्टा प्रकटीकरण

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

इण्ड एएस 116 का क्रियान्वयन-पट्टेदार के तौर पर पट्टा

कंपनी के पास केवल एक ही पट्टा है| उदाहरणार्थ, अंतरैक्ष विभाग, भारत सरकार भूमिका पट्टा| 01 अप्रैल, 2019 से इस पट्टा करार पर इण्ड ए.एस 116 लागू किया गया| 01 अप्रैल 2019 तक पट्टा देयता पर लागू पट्टेदार की ऋण वृद्धि दर का वाहित औसत 8.20% प्रति वर्ष था|

परिवर्तन के कारण, नए मानक अपनाने से ₹272.41 लाख की उपयोगाधिकार परिसंपत्ति और ₹272.41 लाख की पट्टा देयता स्वीकार की गई है|

तुलन पत्र में उपयोगाधिकार परिसंप]त्ति को 'दीर्घकालीन' परिसंपत्ति के अंतर्गत अलग से दर्शाया गया है एवं पट्टा देयता को 'चालू एवं दीर्घकालीन वित्तीय देयता' के अंतर्गत को दर्शाया गया है |

i) तुलन पत्र में मान्य राशि

विवरण	**31 मार्च, 2022 तक**	**31 मार्च, 2021 तक**
क)उपयोगाधिकार परिसंपत्ति	256.06	261.51
ख)पट्टा देयता		
चालू	0.57	0.52
दीर्घकालीन	270.38	270.95
कुल पट्टा देयता	270.38	0.53
ग)उपयोगाधिकार परिसंपत्ति में योग	-	-

ii) तुलन पत्र में मान्य राशि

विवरण	**31 मार्च, 2022 तक**	**31 मार्च, 2021 तक**
क) उपयोगाधिकार परिसंपत्ति हेतु मूल्यह्रास शुल्क	5.45	5.45
ख) ब्याज व्यय	22.27	22.30
ग) अल्पावधि पट्टे से संबंधित व्यय	-	-

iii) नकद प्रवाह

विवरण	**31 मार्च, 2022 तक**	**31 मार्च, 2021 तक**
पट्टे के कारण कुल नकद बहिर्गमन	0.10	0.10

iv) भविष्य की प्रतिबद्धता

विवरण	**31 मार्च, 2022 तक**	**31 मार्च, 2021 तक**
भविष्य के बिना बट्टे वाले पट्टे के भुगतान जिसके लिए पट्टा करार अभी तक आरंभ नहीं	-	-

v) अप्रकट पट्टा देयता का परिपक्व विश्लेषण (₹ 22.69 लाख की स'रकारी अनुदान राशि सहित)

अवधि	**31 मार्च, 2022 तक**	**31 मार्च, 2021 तक**
एक वर्ष के बाद नहीं	22.79	22.79
एक वर्ष के बाद और पाँच वर्षों के बाद नहीं	91.14	91.14
पाँच वर्षों के बाद	953.22	976.01
कुल	**1,067.15**	**1,089.94**

प्रचालनीय पट्टा

31 मार्च तक, अविलोप्य प्रचालनीय पट्टे के अंतर्गत भविष्य के न्यूनतम किए जाने वाले पट्टा भुगतान (₹. 22.69 लाख की सरकारी अनुदान के अलावा) अधोलिखित हैं

अवधि	**31 मार्च, 2022 तक**	**31 मार्च, 2021 तक**
एक वर्ष से कम में देय	0.10	0.10
एक और पाँच वर्ष के बीच देय	0.40	0.40
पाँच वर्ष से अधिक के बाद देय	4.20	4.30
	4.70	4.80

41 इण्ड एएस 20 के अंतर्गत सरकारी अनुदान का प्रकटीकरण

कंपनी ने अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 60 वर्षों के लिए पट्टे पर भूमि ली है जो ₹ 10,000 प्रति वर्ष के नाममात्र किराए पर कंपनी का अकेला हिस्सेदार भी है।

मूल्यांकन के आधार पर, पट्टा किराए का अनुमानित उचित मूल्य ₹ 22.79 लाख प्रतिवर्ष है। इण्ड एएस 20 के "सरकारी अनुदान की लेखाविधि और सरकारी सहायता के प्रकटीकरण" के अनुसार, उचित मूल्य और ₹ 22.69 लाख के नाममात्र किराए के अंतर को 'अन्य आय' के तौर पर स्वीकार किया गया है।

		31 मार्च. 2022 तक	31 मार्च. 2021 तक
42	**आकस्मिक देयताएँ एवं प्रतिबद्धताएँ:** (जहाँ तक कि प्रावधान न किया गया हो) i) **आकस्मिक देयता:**		
	(क) कंपनी के प्रति दावे जिन्हें ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किया गया:-		
	(i) माँग की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति सहित कर्नाटक मूल्य आधारित कर एवं केंद्रीय विक्री कर इन माँगों के प्रति (चालू एवं पिछली रिपोर्टिंग अवधि दोनों के लिए लागू) विरोध के तहत₹ ₹ 912.47 लाख का भुगतान किया गया और भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के दिनांक 12.03.2010 के अंतरिम आदेश के निर्देशानुसार ₹ 5,000 लाख की राशि जमा की गई|	1,44,440.44	1,44,440.44
	(ii) इन माँगों के प्रति माँग की तिथि तक सेवा कर, विरोध के तहत ₹ 4,588.31 लाख (पिछले वर्ष ₹4,588.31 लाख) का भुगतान किया गया|	5,900.84	5,900.84
	(iii) अद्यतित सेनवैट साख (ब्याज एवं शास्ति सहित) सेवाकर की माँग के प्रति केंद्रीय कर आयुक्त (अपील) के समक्ष दायर अपील पर ₹10.25 लाख (पिछले वर्ष ₹10.25 लाख) का भुगतान किया गया|	377.21	356.71
	(iv) भारत सरकार द्वारा करार के रद्द किए जाने के कारण, मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के दावे के प्रति अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल द्वारा अधिनिर्णीत राशि| कंपनी ने अधिनिर्णय को चुनौती दी है जो भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के सम्मुख लंबित है।₹ में विनिर्दिष्ट राशि, अधिनिर्णय में दिए गए तरीके के अनुरूप अधिनिर्णय से पूर्व और बाद के ब्याज की गणना और प्राप्त विधिक मत के आधार पर ₹43.78 प्रति अमेरिकी डालर की संविदित विदेशी मुद्रा विनिमय दर से परिवर्तित राशि के अला 562.50 मिलियन अमरीकी डालर के समझौता अधिनिर्णय पर आधारित है| (साथ	6,41,808.62	5,88,729.65

	ही, नीचे दिए गए 44(घ) को देखें| (v) वित्त वर्ष 2016-17 हेतु आयकर आकलन हेतु सीआइटी (अपील) के समक्ष अपील लंबित है|	211.48	211.48
	कुल	**7,92,738.59**	**7,39,639.12**
	(ख) गारंटी: (i) बैंक गारंटी	शून्य	6,361.95
	(ग) अन्य राशि जिसके लिए कंपनी आकस्मिक रूप से उत्तरदायी है:-	शून्य	शून्य
	ii) प्रतिबद्धताएँ:		
	(क) संविदा की बची हुई अनुमानित राशि जिसे पूँजी पर निष्पादित किया जाना है;	शून्य	शून्य
	(ख) अन्य प्रतिबद्धताएँ	शून्य	शून्य
	कंपनी का मत है कि आकस्मिक मानी जाने वाली देयता के लिए संसाधन बाहर नहीं जा पाएगी|		

43	सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया में उल्लिखित राशि जो कम-से-कम राशि के बराबर हो के प्रापण से संबंधित परिसंपत्ति, स्थायी परिसंपत्ति के बारे में मंडल की राय|	मंडल की राय है कि ऐसी परिसंपत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा |	मंडल की राय है कि ऐसी परिसंपत्ति का मूल्य कम-से-कम लेखा में उल्लिखित राशि के समान होगा जो सामान्य व्यापारिक प्रक्रिया के क्रम में प्राप्य होगा|

44. विवादों के विवरण:

क्र.सं.	विवाद की प्रकृति	फोरम/प्राधिकरण जहाँ मामला/ विवाद लंबित है	31.03.2022 तक विवाद में शामिल राशि (₹ लाख में)
क.	दिनांक 01.04.2005 से दिनांक 31.07.2008 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. की माँग	भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	20,595.56
विवाद की स्थिति: मानननीय सर्वोच्च न्यायालय में सिविल अपील कार्यवाही जारी है| माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 03 मई, 2010 के अपने आदेश के द्वारा "मूल्यांकन अधिकारी को मूल्यांकन कार्यवाही को लेकर आगे बढ़ सकने और अगले आदेश तक वसूली नहीं करने का आदेश दिया है|"			
ख.	01.08.2008 से 31.03.2010 की अवधि के लिए के.वी.ए.टी. एवं सी.एस.टी. (वर्ष 2009-10 के लिए, के.वी.ए.टी. पुन: आकलित और इसलिए अलग से दिखाया गया) | आदेश निम्नवत् : i. आदेश सं 221736837/05.01.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2009-10 के लिए के.वी.ए.टी ii. आदेश सं. 259709721/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2010-11 के लिए के.वी.ए.टी iii. आदेश सं. 251709773/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2011-12 के लिए के.वी.ए.टी iv. आदेश सं. 275709811/24.02.2016 द्वारा वित्त वर्ष 2012-13 के लिए के.वी.ए.टी	कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय / भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय	1,23,844.88

विवाद की स्थिति:

मूल्यांकन अधिकारी द्वारा इस अवधि के लिए जारी मूल्यांकन आदेश के विरुद्ध कंपनी ने कर्नाटक के माननीय उच्च न्यायालय में समादेश याचिका दायर की है\|

दिनांक 20 सितम्बर, 2016 को माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने आदेश पारित कर एन्ट्रिक्स को अगस्त 2008 से मार्च 2014 तक की अवधि के लिए 3 महीने के भीतर माँगे गए कर के 50% जमा करने का निर्देश दिया \| कर के शेष, ब्याज और शास्ति को शोधक्षम प्रतिभूति प्रस्तुत करने तक रोक लगा दी गई है\|

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय की खण्डपीठ के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध कंपनी द्वारा दायर समादेश अपील को भी दिनांक 14.12.2016 के आदेश द्वारा अस्वीकार कर दिया गया था \|

कंपनी ने भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विद्वान एकल न्यायाधीश के आदेश के विरुद्ध विशेष अनुमति याचिका दायर की थी जिन्हें सिविल अपील के तौर पर स्वीकार किया गया था और है तथा 2010 के मूल अपील सं.2349-2352 के साथ सुनवाई का आदेश दिया गया है\| मामला भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है \|

माननीय कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी संबंधित मामलों को माननीय सर्वोच्चन्यायालय में हस्तांतरित करने के लिए माननीय सर्वोच्चन्यायालय के समक्ष हस्तांतरण याचिका दायर की गई थी \| शीर्ष न्यायालय ने दिनांक 03 अप्रैल, 2017 को यह निर्देश देते हुए याचिका ख़ारिज़ कर दिया कि कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष लंबित सभी संबंधित मामलों की सुनवाई तभी होगी जब इसके समक्ष लंबित सिविल अपीलीय कार्यवाही पूरी हो जाएगी और सिविल अपील के संबंध में उच्च न्यायालय स्वत: माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश का अनुपालन करेगा \|

ग.	जुलाई 2012 से सितम्बर 2015 तक की अवधि के दौरान विदेशी उपग्रहों के लिए प्रमोचन सेवाएँ प्रदान करने के लिए माँग किए गए सेवाकर	सीईएसटीएटी, बेंगलूरु (केंद्रीय उत्पाद एवं सेवाकर अपीलीय न्यायाधिकरण)	5,900.84

विवाद की स्थिति:

सीईएसटीएटी, बेंगलूरु के समक्ष मामला लंबित है | फिर भी, ब्याज एवं शास्ति को छोड़कर सह-कर लाभ को पाने के बाद ₹ ₹4,588.31 लाख का सेवाकर विरोध के तहत भुगतान कर दिया गया है |

घ.	अपनी संप्रभु क्षमता के तहत केन्द्र सरकार के नीतिगत निर्णय के अनुरूप कंपनी के वाणिज्यिक क्रियाकलापों के लिए एस. बैण्ड में कक्षीय स्लॉट नहीं प्रदान करने के कारण कंपनी औरमेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड के बीच करार को रद्द किए जाने के फलस्वरूप मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आइ.सी.सी.),पेरिस के समक्ष करार समापन के चलते क्षति का मामला उठाया		नगर व्यवहार न्यायालय, बेंगलूरुदिल्ली/उच्च न्यायालयभारत के सर्वोच्च / पेरिस अपीलीय /न्यायालय पश्चिमी वाशिंगटन /न्यायालय, सिएटल, यूएसए स्थित ज़िला न्यायालयराष्ट्रीय कंपनी विधि / अधिकरण, बेंगलूरुनौवें चल / न्यायालय, सेन फ्रांसिसको हेतु संयुक्त राष्ट्र अपीलीय न्यायालयपूर्वी वर्जीनिया का / न्याय उच्च /ज़िला न्यायालय न्यायालय, क्वींस बेंच प्रभाग, वाणिज्यिक न्यायालय, लंदन (.के.यू)|	₹ 641,808.62 (विनिर्दिष्ट राशि, अधिनिर्णय में दिए गए तरीके के अनुरूप अधिनिर्णय से पूर्व और बाद के ब्याज की गणना और प्राप्त विधिक मत के आधार पर ₹₹ 43.78 प्रति अमेरिकी डालर की संविदित विदेशी मुद्रा विनिमय दर से परिवर्तित राशि के अलावा 562.50 मिलियन अमरीकी डालर के समझौता अधिनिर्णय पर आधारित है|)

विवाद की स्थिति:

कंपनी और मेसर्स देवास मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड ('देवास') ने दिनांक 28.01.2005 को "मल्टीमीडिया प्राइवेट लिमिटेड द्वारा इसरो/एन्ट्रिक्स एस- बैण्ड" की अंतरिक्ष खंड क्षमता के पट्टे के लिए करार" किया था जिसे उक्त करार में उपलब्ध तार्किक आधार का उल्लेख करते हुए दिनांक 25.02.2011 को एन्ट्रिक्स द्वारा जारी निरस्तीकरण पत्र द्वारा निरस्त कर दिया गया था। इस निरस्तीकरण को देवास ने चुनौती दी जिसकारण विभिन्न न्यायिक एवं अर्धशासी-न्यायिक कार्यवाही का उद्भव हुआ।

करार समाप्ति के परिणामस्वरूप, देवास ने अंतर्राष्ट्रीय वाणिज्य मंडल (आइ.सी.सी) के तत्वावधान में मध्यस्थता कार्यवाही की शुरुआत की | कंपनी के आपत्ति के बावजूद कंपनी की भागीदारी के बिना आइ.सी.सी मध्यस्थता न्यायाधिकरण का गठन किया गया था। आइ.सी.सी न्यायालय ने दिनांक 14.09.2015 को कंपनी के विरुद्ध अधिनिर्णय सुनाया जिसमें देवास को (i) 562.50 मिलियन अमेरिकी डॉलर की क्षतिपूर्ति (ii) दिनांक 25.02.2011 से अधिनिर्णय सुनानेकी तिथि तक 3 महीने की छूट +4% की दर से ब्याज (iii) अधिनिर्णय सुनाने की तिथि से पूरा भुगतान होने तक (i)एवं(ii) पर 18% प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देने का उल्लेख किया |

भारतीय विधिक कार्यवाही

यहाँ तक कि आइ.सी.सी. की मध्यस्थता से पहले, कंपनी ने, अपर नगर व्यवहार न्यायाधीश, बेंगलूरु के समक्ष मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत मध्यस्थता आवेदन तथा सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के आदेश VII से पठ्य धारा 26 के अंतर्गत दीवानी मुकदमा दायर किया था जिसमें प्रार्थना की गई थी कि देवास द्वारा आइ.सी.सी. कार्यवाही पर रोक लगाई जाए तथा मध्यस्थता का आदेश करार के अनुरूप नहीं होने के कारण अधिनिर्णय सुनाया जाए। कंपनी ने, (मध्यस्थता एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत) मध्यस्थता आवेदन और अतिरिक्त नगर सिविल न्यायाधीश, बेंगलूरु के समक्ष दायर सिविल मुकदमा में अपनी दलील पूरी कर ली है | दिनांक 14.09.2015 को आइ.सी.सी. अधिनिर्णय मिलने के बाद, कंपनी ने, आइ.सी.सी.न्यायाधिकरण द्वारा जारी अधिनिर्णय और इसे चुनौती देने के अपने प्रस्ताव के बारे में न्यायालय को सूचित करते हुए संशोधन आवेदन प्रस्तुत किया | दिनांक 24 अगस्त, 2016 को देवास ने धारा 9 के मध्यस्थता आवेदन को अस्वीकार करने के लिए आवेदन प्रस्तुत किया | एन्ट्रिक्स ने सी.बी.आइ एवं प्रवर्तन निदेशालय द्वारा की गई जाँच को दर्शाते हुए अंतरिम आवेदन भी प्रस्तुत किया |

दिनांक 16 नवम्बर, 2018 को कंपनी ने बेंगलूरु शहर के अधिसूचित/अभिहित ज़िला वाणिज्यिक न्यायालय के समक्ष इन तीन मामलों को सूचीबद्ध करने के लिए अलग से स्मारपत्र दाख़िल किया | आगे, नगर व्यवहार न्यायालय, बेंगलूरु के मनोनीत वाणिज्यिक न्यायालय में दीवानी मुकदमा को स्थानांरित किया गया था जहाँ दलील पूरी हो चुकी है और दोनों पक्षों द्वारा लिखित निवेदन प्रस्तुत की गई है। कथित दीवानी मुकदमा अभी विचाराधीन है।

आइ.सी.सी. के निर्णय की प्राप्ति के बाद देवास ने दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष मध्यस्थ एवं समझौता अधिनियम, 1996 की धारा 9 के अंतर्गत याचिका दायर किया है जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ, विवाचन न्यायाधिकरण द्वारा दिनांक 14.09.2015 को दिए गए निर्णय के अनुरूप अर्जित राशि को प्रतिभूत करने के लिए कंपनी को निर्देश जारी करने का अनुरोध किया गया है| पूरी तरह भुगतान होने की तिथि तक बैंक गारंटी प्रस्तुति या कंपनी के सभी बैंक खाताओं, प्राप्यों, अन्य सभी चल संपत्ति एवं अचल संपत्ति को संलग्न कर प्रतिभूति की माँग भी की गई है |

दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश ने दिनांक 28 फरवरी, 2017 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायक्षेत्र पर कंपनी की प्राथमिक आपत्तियों को अस्वीकार कर दिया और कंपनी को निर्देश दिया कि विगत तीन वर्षों के लेखापरीक्षित तुलन-पत्र एवं लाभ तथा हानि लेखा पर शपथ-पत्र दाख़िल करे जिसे दाख़िल कर दिया गया है|

कंपनी ने, दिनांक 07 मार्च, 2017 को दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग के समक्ष दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28 फरवरी, 2017 के आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की है| दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग ने दिनांक 30 मई, 2018 के अपने आदेश द्वारा दिल्ली उच्च न्यायालय के विद्वान एकल न्यायाधीश के दिनांक 28 फरवरी, 2017 के आदेश को रद्द कर दिया|

दिनांक 01 अक्तूबर, 2018 को देवास ने दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय संभाग के दिनांक 30 मई, 2018 के आदेश के विरुद्ध भारत के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की | दिनांक 19 नवम्बर, 2018 को माननीय न्यायालय ने अधिसूचना जारी करने के निर्देश दिए और नगर व्यवहार न्यायालय के समक्ष धारा 9 और धारा 34 चुनौती याचिका के तहत मध्यस्थता आवेदन पर अगले आदेश तक रोक लगा दी |

दिनांक 01 दिसम्बर, 2018 को कंपनी ने न्यायिक अधिकार क्षेत्र मामलों से संबंधित दिल्ली उच्च न्यायालय के वाणिज्यिक अपीलीय न्यायालय के कुछ अवलोकनों पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष विशेष अनुमति याचिका दायर की जिसे माननीय सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष न्यायिक निर्णय के लिए लंबित देवास की विशेष अनुमति याचिका के साथ संलग्न किया गया था |

दिनांक 28.02.2017 के दिल्ली उच्च न्यायालय के माननीय एकल न्यायाधीश के आदेश को चुनौती देते हुए

अलग से एक विशेष अनुमति याचिका दायर की गई। उक्त तीन विशेष अनुमति याचिकाएँ (एस.एल.पी) एक साथ आबद्ध की गई हैं और विचाराधीन हैं। नगर व्यवहार न्यायालय, बेंगलूरु के समक्ष एन्ट्रिक्स द्वारा दाखिल कार्यवाही को अलग रखते हुए 04 नवम्बर, 2020 को माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने अंतरिम आदेश पारित कर आइसीसी के अधिनिर्णय को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था| आगे यह निर्देश भी दिया गया कि इस विशेष अनुमति याचिका के अंतिम आदेश के लंबित होने की स्थिति में देवास आइसीसी के अधिनिर्णय का लाभ नहीं उठा पाएगा| इस अधिनिर्णय को भी स्थगित रखने के निर्देश दिए गए जब तक दिल्ली उच्च न्यायालय इस आवेदन पर रोक लगाने का निर्णय करता है| इस आदेश के अनुसार, अलग रखी गई कार्यवाही को दिल्ली उच्च न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था, जहाँ ये लंबित हैं|

कंपनी ने, राष्ट्रीय कम्पनी विधि अधिकरण (एनसीएलटी), के समक्ष एक याचिका दायर की कि देवास को समाप्त किया जाए क्योंकि कंपनी के साथ धोखाधड़ी हुई है और आइ.सी.सी. अधिनिर्णय के कारण कंपनी को नुकसान हुआ है। एनसीएलटी ने, दिनांक 19 जनवरी, 2021 के अपने आदेश के अनुरूप, याचिका को स्वीकार किया और देवास के प्रबंधन के नियंत्रण और उसकी परिसंपत्ति के अभिरक्षण के लिए अस्थाई तौर पर परिसमापक को नियुक्त किया है| एनसीएलटी ने, दिनांक 25 मई, 2021 के अपने अंतिम आदेश द्वारा यह निर्णय लिया कि देवास के द्वारा धोखाधड़ी हुई है और उसके समापन का आदेश दिया| राष्ट्रीय कम्पनी विधि अपील अधिकरण (एनसीएलएटी) के समक्ष देवास के पूर्व प्रबंधन ने इस आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की थी जिसे ख़ारिज़ कर दिया गया था|

परिणामस्वरूप, देवास के पूर्व प्रबंधन एवं देवास (परिसमापनोन्मुख कंपनी) के एक शेयरधारक यथा मॉरिशस देवास कर्मचारी प्राइवेट लिमिटेड (डीईएमपीएल) ने इस आदेश के विरुद्ध माननीय सर्वोच्च न्यायालय में एक अपील दायर की | माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 17 जनवरी, 2022 के अपने आदेश के ज़रिए यह निष्कर्ष निकाला कि एनसीएलटी एवं एनसीएलएटी के मौज़ूदा आदेश के आधार पर की गई अपील निराधार थी और इसलिए उसे ख़ारिज़ कए दिया|

देवास के एक शेयरधारक यथा डीईएमपीएल ने याचिका को दरकिनार कर जारी निर्णय पर बहस के लिए दिनांक 06 अप्रैल, 2022 को माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय में एक आवेदन प्रस्तुत किया| बहस के लिए डाले गए आवेदन के लंबित रखे जाने पर डीईएमपीएल को लिखित में अपनी बात रखने और मौखिक प्रस्तुति की अनुमति प्रदान की गई थी| दिनांक 01 जून, 2022 को याचिका को दरकिनार कर सुनाए गए निर्णयों में हुई बहस में डीईएमपीएल सहित सभी पक्षों की सुनवाई हुई और निर्णय को आदेश हेतु सुरक्षित रखा गया|

विदेशी विधिक कार्यवाही

दिनांक 13 नवम्बर, 2015 की एक अधिसूचना के द्वारा देवास ने फ्रांस में पंचाट परिनिर्णय को फ़ैसले में परिवर्तित करवा लिया था और पेरिस के प्रथम वादी न्यायालय के पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दिनांक 22 अक्तूबर, 2015 का एक्सक्वाटर आदेश प्राप्त कर लिया| एन्ट्रिक्स ने इस एक्सक्वाटर आदेश के विरुद्ध पेरिस के अपीलीय न्यायालय में अपील दायर की | दिनांक 27 मार्च, 2018 के अपने आदेश द्वारा पेरिस के अपीलीय न्यायालय ने अपने एक्सक्वाटर आदेश की पुष्टि की| कंपनी ने आदेश के विरुद्ध फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष याचिका दाखिल की | फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय ने दिनांक 28 जनवरी, 2020 को मामले की सुनवाई की और दिनांक 04 मार्च, 2020 को फ्रांस के सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय सुनाया गया जिसमें इसने दिनांक 27 मार्च, 2018 मामला वापस भेज दिया, यह समादेश देते हुए कि अपीलीय न्यायालय ने अपने निर्णय में यह भूल की है कि एन्ट्रिक्स की यह दलील कि मध्यस्थता न्यायाधिकरण का अनुचित गठन हुआ है, अमान्य थे।

परिणामस्वरूप, पेरिस के प्रथम मुकदमा न्यायालय के दिनांक 22 अक्तूबर, 2015 के एक्सक्वाटर आदेश के विरूद्ध एन्ट्रिक्स ने दिनांक 23 मार्च, 2020 को पेरिस के अपीलीय न्यायालय के समक्ष एक अपील दायर की| अपील पर सुनवाई पूरी हो चुकी है और आदेश हेतु मामला सुरक्षित है।

देवास ने संयुक्त राज्य अमेरिका के वाशिंगटन शहर के पश्चिमी ज़िले, सिएटल स्थित ज़िला न्यायालय में

आइ.सी.सी. अधिनिर्णय की पुष्टि के लिए कार्यवाही की पहल की है । कंपनी ने याचिका ख़ारिज़ करने के लिए न्यायालय की आज्ञा हेतु अपनी प्रार्थना प्रस्तुत की है। न्यायालय ने अधिनिर्णय की पुष्टि करते हुए दिनांक 27 अक्तूबर, 2020 को अपना आदेश जारी किया| परिणामस्वरूप, दिनांक 04 नवम्बर, 2020 को न्यायालय ने अपने निर्णय में निर्णय की तिथि से 0.12% के ब्याज दर के साथ $1,293 करोड़ के भुगतान और लागत को शामिल किया| एन्ट्रिक्स ने दिनांक 24 नवम्बर, 2020 को सेन फ्रांसिसको में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका अपीलीय न्यायालय के नौवें चल न्यायालय के समक्ष अपील दायर की, जो लंबित है।

देवास के कुछ शेयरधारक और संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में देवास की सहायक संस्था, डीएमएआइ ने सिएटल स्थित ज़िला न्यायालय एवं नौवें चल न्यायालय, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में प्रतिस्थापन और हस्तक्षेप हेतु आवेदन प्रस्तुत किया। यद्यपि हस्तक्षेप हेतु आवेदन को स्वीकार कर लिया गया तथापि प्रतिस्थापन और अन्य राहत संबंधी आवेदनों को दोनों न्यायालयों द्वारा अस्वीकार कर दिया गया।

उपर्युक्त हस्तक्षेपक ने एन्ट्रिक्स को प्रकटन सूचना भी भेजा और प्रकटन हेतु सिएटल स्थित न्यायालय के आदेश के बाद एन्ट्रिक्स इसके अनुपालन हेतु अपेक्षित सूचना मुहैया करा रहा है और प्रकटन प्रगति पर है|

हस्तक्षेपक ने सिएटल ज़िला न्यायालय में एक प्रावेदन डाला कि न्यायिक निर्णय की पुष्टि के पंजीकरण हेतु संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के किसी अन्य ज़िला न्यायालय में अनुमति प्रदान की जाए| न्यायालय ने न्यायिक निर्णय के पंजीकरण हेतु केवल पूर्वी वर्जीनिया के न्यायालय को चुनने की अनुमति प्रदान की| एन्ट्रिक्स ने नौवें चल न्यायालय के समक्ष आदेश के विरुद्ध हस्तक्षेपक को अधिकार दिए जाने हेतु याचिका दायर की जो विचाराधीन है| हस्तक्षेपक ने जस्टिस क्वीन के उच्च न्यायालय की खंडपीठ, वाणिज्यिक न्यायालय, लंदन (यूके) के समक्ष दिनांक 24 फरवरी, 2022 को आवेदन प्रस्तुत किया है जिसमें न्यायिक निर्णय को लागू किए जाने में एक पक्षकार की भूमिका निभाने की बात की है| न्यायालय के आदेश के आधार पर दिनांक 12 जुलाई, 2022 को संयोजन आवेदन और अन्य संबंधित अभिलेख एन्ट्रिक्स को ई-मेल के ज़रिए भेजे गए| अभिलेख के अवलोकन के पश्चात् ऐसा पाया गया कि न्यायालय ने दिनांक 26 अक्तूबर, 2015 को आइसीसी के निर्णय की पुष्टि करते हुए आदेश जारी किया है| हालाँकि उक्त आदेश एन्ट्रिक्स को अबतक सौंपा नहीं गया है| एन्ट्रिक्स, संयोजन आवेदन को दाखिल करने और उस पर सुनवाई के लिए समय निर्धारित किए जाने पर चर्चा कर रहा है|

डीएमएआइ ने अक्तूबर, 2021 में हेग, नीदरलैंड के ज़िला न्यायालय में आइसीसी के निर्णय को लागू कराने के लिए याचिका दायर किया जिसकी सुनवाई 31 अगस्त, 2022 को होना निर्धारित किया गया है|

इस विवाद के संबंध में, अन्य की तुलना में, एन.ए.एफ.ई.डी (नफेड) बनाम अलिमेंटा एस.ए. (2012 की दीवानी अपील सं. 667) के बारे में सर्वोच्च न्यायालय का निर्णय विशेष रूप से ध्यान देने योग्य है। उक्त निर्णय में, एन.ए.एफ.ई.डी (नफेड) के विरूद्ध पारित मध्यस्थता निर्णय को सर्वोच्च न्यायालय ने भारत की सार्वजनिक नीति के उल्लंघन के चलते अवैध करार दिया है। शीर्ष न्यायालय ने यह निर्णय सुनाया कि उक्त निर्णय भारत के मौलिक कानून के विरूद्ध था क्योंकि नफेड द्वारा बिना सरकारी आदेश के कोई निर्यात नहीं किया गया है जिससे नियमों का उल्लंघन हुआ हो।

आकस्मिक देयता का प्रकटीकरण प्राप्त विधिक मत के आधार पर किया गया है|

विधि सलाहकार और अंतरिक्ष विभाग के साथ परामर्श करके अगली कार्रवाई की जा रही है।

45. कंपनी ने वर्ष 2017-18 में इन्सैट/जीसैट अंतरिक्ष खण्ड से प्राप्त राजस्व की स्वीकृति हेतु आइसीएआइ से उनका विचार जानना चाहा था| उनके मतानुसार, अंतरिक्ष विभाग को प्रदान किए जाने वाले शेयर के प्रति कंपनी जवाबदेह है | कंपनी ने उनके मत को स्वीकार किया है और उनके मतानुसार ही इन्सैट/जीसैट अंतरिक्ष खण्ड से प्राप्त राजस्व का लेखा-जोखा रखा है | वर्ष के दौरान, इस खण्ड से प्राप्त राजस्व ₹126.65 लाख) है| [निवल साख पत्र निर्गत] (विगत वर्ष ₹170.73 लाख)|

46. कंपनी ने विदेशी ग्राहकों को उनके उपग्रह प्रमोचित कर अपनी सेवाएँ दी हैं| संविदा के शर्तों के अनुरूप, विदेशी ग्राहक, इस सुविधा के उपयोग के लिए तैयार होने की तिथि से सात वर्षों के लिए जगह साझा (ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति) करके उसके एवज की भरपाई करेंगे| इण्ड एएस-115 के अनुच्छेद 48(डी), इण्ड एएस-115 के अनुच्छेद 66 के तौर पर पठ्य के अनुरूप, अंतरण मूल्य ₹ 11,130 लाख (लागू होने वाले माल सेवा कर सहित) निर्धारित किया गया है जो ग्राहक द्वारा प्रदान की जाने वाली ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति का उचित मूल्य निर्दिष्ट करता है | यह सुविधा नवम्बर 2020 से उपयोग के लिए उपलब्ध है | परवर्ती अवधि से संबंधित इस ग़ैर-वित्तीय क्षतिपूर्ति को "सेवा-अग्रिम" के तौर पर वर्गीकृत किया गया है और कंपनी अधिनियम, 2013 के भाग II अनुसूची III के तहत प्रस्तुत किया गया है|

47. कंपनी के लिए, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा €शून्य, ₹शून्य लाख के समतुल्य (विगत वर्ष €7,300,000, ₹6,361.95 लाख के समतुल्य), की निर्गत गारंटी के बदले में कंपनी ने ₹ शून्य लाख (विगत वर्ष ₹7,830.92 लाख) की राशि उनके साथ सावधि जमा के तौर पर बंधक रखे हुए है| हालाँकि, कंपनी उक्त सावधि जमा पर कार्ड दर से ब्याज अर्जित कर रही है| फिलहाल, भारतीय लेखाविधि मानक (इण्ड एएस)-37 में "प्रावधान" का कोई प्रसंग पारिभाषित नहीं है|

48. कंपनी ने प्रमुख ग्राहकों से 31 मार्च, 2022 तक शेष की पुष्टि के लिए अनुरोध किया है और केवल कुछेक ग्राहकों से ही उत्तर मिल पाया है| अंतर पाए जाने वाले ग्राहकों के लेखा का सामंजस्य जारी है। प्रबंधन की दृष्टि में इस सामंजस्य का लाभ तथा हानि लेखापर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है|

49. अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार से 31 मार्च, 2022 तक शेष की पुष्टि प्राप्त नहीं हुई है| प्रबंधन की दृष्टि में ऐसी अपुष्टि से वर्ष के लाभ पर कोई आर्थिक प्रभाव नहीं पड़ने वाला है |

50. 01.04.2005 से 31.03.2014 तक वाणिज्यिक कर विभाग, कर्नाटक सरकार द्वारा माँगे गए के.ए.वी.टी. एवं सी.एस.टी से संबंधित ₹144,440.44 लाख की आकस्मिक देयता जो नोट-सं.42(i)(क)(i) द्वारा दर्शाया गया है, में माँग की तिथि से तुलनपत्र की तिथि तक ब्याज एवं शास्ति शामिल नहीं है|

51. प्रमोचन सेवा करार के प्रावधानों के अनुसार, कंपनी, "स्व-बीमा" नीति के अंतर्गत ग्राहक से बिना कोई अतिरिक्त शुल्क लिए क्षेत्र को अनुरक्षित और विस्तृत करने के लिए उत्तरदायी है| इस नीति में, प्रमोचन काल के दौरान मृत्यु सहित शारीरिक चोट लगने और इसरो के प्रमोचन यान का उपयोग करके समर्पित और सहयात्री ग्राहक उपग्रह प्रमोचित करने के दौरान तीसरे पक्ष के उत्पादों को हुई हानि के लिए कानूनी देयता शामिल है| इसरो, प्रत्येक प्रमोचन के लिए स्व-बीमा नीति का अनुसरण करता है| इसप्रकार, कंपनी के लिए तीसरा पक्ष देयता बीमा की आवश्यकता समाप्त हो जाती है|

52. अन्य कर परिसंपत्ति के तहत विभिन्न आकलन वर्षों के लिए आयकर वापसी बकाए की स्थिति के विवरण निम्नानुसार हैं:-

वित्त वर्ष	लेखा के अनुसार वापसी आयकर बकाया (₹ लाख में)	स्थिति
2007-08	1008.68	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया |
2008-09	143.92	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया |
2009-10	386.76	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया |
2010-11	105.51	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया |
2011-12	186.09	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किए जाने में हुई देरी को अनदेखा करने के लिए केंद्रीय प्रत्यक्ष कर के समक्ष आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 119 के तहत आवेदन-पत्र किया जाना है।
2012-13	181.18	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-
2013-14	20.13	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया |
2014-15	175.42	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया |
2015-16	0.91	आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया गया |
2016-17	1,247.77	आयकर विभाग में अपील लंबित है।
2017-18	2,083.39	आयकर विभाग में अपील लंबित है और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 154 के तहत शुद्धिकरण आवेदन-पत्र दाखिल किया जाना है।
2018-19	1,761.85	विवरणी पर कार्यवाही किया जाना बाकी है।
2019-20	4,624.39	विवरणी पर कार्यवाही किया जाना बाकी है।
2020-21	4,250.33	विवरणी पर कार्यवाही किया जाना बाकी है।
2021-22	546.53	विवरणी भरा जाना बाकी है।
कुल	**16,722.86**	

उपर्युक्त आयकर बकाया वापसी में टी.डी.एस प्रमाणपत्रों और ग्राहकों से प्राप्त भुगतान पत्रक/सूचना पर आधारित लेखाविधित स्रोतों पर कर कटौती शामिल है। जहाँ कहीं भी लागू हो, विशिष्ट बकाया राशि हेतु आकलन अधिकारी के समक्ष आयकर अधिनियम,1961 की धारा 154 के तहत संशोधन आवेदन-पत्र दाखिल किया जा चुका है।

नोट 53: वित्तीयअनुपात

31 मार्च, 2022 को समाप्त हुए वर्ष के लिए वित्तीयविवरणी हेतु नोट

(शेयर आँकड़े एवं यथोल्लिखित के अलावा सभी राशि लाख ₹ में हैं)

क्र.सं.	अनुपात	अंश में प्रयुक्त विवरण/सूत्र	हर में प्रयुक्त विवरण/सूत्र	31 मार्च, 2022 को	31 मार्च, 2021 को	अंतर	अंतर के कारण
क	वर्तमान अनुपात (अवधि में)	कुल चालू परिसंपत्ति	कुल चालू देयता	9.01	4.58	97%	चालू परिसंपत्तिका प्रापण दर चालू देयता के भुगतान से कम रहा है|
ख	ऋण-एक्विटी अनुपात (अवधि में)	कुल ऋण	शेयरधारकों की कुल एक्विटी या निवल मूल्य	0	0	0	-
ग	ऋण सेवा संरक्षण अनुपात (अवधि में)	करोपरान्त निवल लाभ + मूल्यह्रास एवं परिशोधन व्यय + ब्याज व्यय	ब्याज व्यय + उधारी का पुनर्भुगतान	-	-	0%	-
घ	एक्विटी अनुपात से प्राप्ति (% में)	करोपरान्त लाभ	औसत शेयरधारक एक्विटी या औसत निवल मूल्य	1.62%	3.52%	-54%	वर्तमान वर्ष में राजस्व-प्राप्ति में उल्लेखनीय कमी हुई एवं इसके परिणामस्वरूप कंपनी के लाभ पर प्रभाव पड़ा|
ङ	माल व्यापार अनुपात	प्रचालन से लाभ	माल का औसतन मूल्य	0.05	0.02	150%	पिछले वर्ष मे औसत जमा माल अधिक था| दोनों वर्ष के बचे हुए माल सही मायनों में माल हैं ही नहीं|
च	विपणन से प्राप्त व्यापार अनुपात(अवधि में)	प्रचालन से राजस्व-प्राप्ति	औसत व्यापार प्राप्ति	0.60	0.82	-27%	वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व में उल्लेखनीय कमी हुई| वर्तमान वर्ष के लिए औसत व्यापार प्राप्तियों की कमी इसकारण प्रतितुलित हो गई|
छ	विपणन से प्राप्त व्यापार अनुपात (अवधि में)	माल की खपत और प्रदत्त सेवाओं की लागत + माल की ख़रीदारी	औसत व्यापार देय	0.95	1.31	-27%	वर्ष के दौरान परियोजना लागत में बदलाव के कारण सेवा लागत में कमी हुई| इसप्रकार, वर्ष के दौरान पुराने विक्रेताओं की देयताओं का निपटारा किया गया जिसकारण औसत देय राशि पर प्रभाव पड़ा|
ज	निवल पूँजी व्यवसाय अनुपात (समय में)	प्रचालन से राजस्व-प्राप्ति	कार्यशील पूँजी (यानी कुल चालू परिसंपत्तिमें कुल चालू देयता कम करने के बाद)	0.17	0.55	-69%	वर्ष के दौरान प्राप्त राजस्व में उल्लेखनीय कमी हुई|
झ	निवल लाभ अनुपात (% में)	करोपरांत लाभ	प्रचालन से राजस्व-प्राप्ति	13.74%	8.51%	61%	वर्ष के दौरान परियोजना लागत में बदलाव के कारण सेवा लागत में कमी हुई|
ञ	निवेशित पूँजी से लाभ (% में)	करपूर्व लाभ एवं वित्तीय लागत	निवल मूल्य + उधारी – आस्थगित कर परिसंपत्ति	2.46%	5.04%	-51%	वर्तमान वर्ष में राजस्व-प्राप्ति में उल्लेखनीय कमी हुई एवं इसके परिणामस्वरूप कंपनी के लाभ पर प्रभाव पड़ा|
ट	निवेश से लाभ (% में)	औसत निवेश	औसत निवेश	-	-	0%	-

54. कंपनी, इण्ड एएस 10 की आवश्यकताओं के अनुरूप निम्नलिखित परिवर्ती क्रियाकलापों का प्रतिवेदन करती है:

i. कंपनी द्वारा घोषित लाभांश वितरण के लिए उपलब्ध लाभ पर निर्भर है। दिनांक 19 जुलाई, 2022 को कंपनी के निदेशकमंडल ने अपनी वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन मिलने पर दिनांक 31 मार्च, 2022 को समाप्त वर्ष के लिए ₹1,113.24 प्रति शेयर के अंतिम लाभांश का प्रस्ताव रखा है। यह प्रस्ताव वार्षिक आम बैठक में शेयरधारकों के अनुमोदन पर निर्भर करता है, और यदि अनुमोदित हो जाता है तो इसके चलते लगभग ₹7,570 लाख का नकद प्रवाह होगा।वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा घोषित और प्रदत्त लाभांश कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 123 के अनुरूप है|

55. दिनांक 31 मार्च, 2022/31 मार्च, 2021 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा हेतु अतिरिक्त नोट:

i. आयकर अधिनियम, 1961 (जैसे आयकर अधिनियम, 1961 की खोज या सर्वेक्षण या अन्य कोई संबंधित प्रावधान) के अंतर्गत कंपनी ने अपनी लेखा-पुस्तिका में किसी ऐसे अंतरण का उल्लेख नहीं किया है जिसे अपने कर आकलन में आय के तौर पर अभ्यर्पित या प्रकट किया गया ह और ऐसा प्रकट नहीं करने से कोई परहेज भी नहीं है|| विगत में, ऐसा कोई भी अनभिलेखित आय या संबंधित परिसंपत्ति का मामला सामने नहीं आया है जिसे लेखा-पुस्तिका में उल्लेख किया गया है|

ii. कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 248 या कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 560 के अंतर्गत इस कंपनी का किसी समाप्त हो चुकी कंपनी से कोई सरोकार नहीं है|

56. कोविड-19 (वैश्विक महामारी) का प्रभाव:
कंपनी, अंतरिक्ष विभाग, भारत सरकार (इसरो) के वाणिज्यिक अंग के रूप में सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत है।कंपनी का अनुमान है कि कंपनी द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रकृति के चलते इसके संचालन पर कोई प्रभाव पड़ने वाला नहीं है। हालाँकि, ग्राहकों से विलंबित बकाया प्राप्ति की संभावनाएँ नज़र आ रही हैं।

57. वर्तमान वर्ष के वर्गीकरण से तालमेल बिठाने के लिए पिछले वर्ष के आँकड़ों को यथास्थान पुनर्समूहित/पुर्वर्गीकृत किया गया है| कंपनी अधिनियम, 2013 की संशोधित अनुसूची III के अनुरूप आवश्यकतानुसार तुलनात्मक प्रकटीकरण प्रदान किया गया है|

एस.पी.आर एवं कं. के लिए.
सनदी लेखाकार
प्रतिष्ठान पंजीयन सं. 009784S

(हस्ता/-)
एस. वेदवल्ली
भागीदार
सदस्यता सं. 210255
यूडीआइएन: 22210255ANIGAV9889
स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 19 जुलाई, 2022

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड के निदेशक मंडल
के लिए एवं की ओर से

(हस्ता/-)
संजय कुमार अग्रवाल
अध्यक्ष-सह-प्रबंध निदेशक अतिरिक्त प्रभार) एवं निदेशक (वित्त)
डीआइएन 08200144
स्थान: बेंगलूरु
दिनांक : 19 जुलाई, 2022

एन्ट्रिक्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड

अंतरिक्ष: भवन, न्यू. बी.ई. एल रोड, बेंगलूरु - 560 094

दूरभाष:+91 80 2217 8302/11 फैक्स : + 91 80 2217 8337

वेबसाइट : www.antrix.co.in